Seventeenth Series, Vol. XXI No. 11

Wednesday, December 21, 2022
Agrahayana 30, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Tenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXI contains Nos.1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)

No. 11, Wednesday, December 21, 2022/ Agrahayana 30, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question Nos. 201	14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 202 to 220	15-88
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	89-651

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 652-692

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

15th to 18th Reports 693

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

99th to 101st Reports 694

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

18th Report 694

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

17th Report 695

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

38th Report 695

STATEMENTS BY MINISTERS 696-700

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 696

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 696

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 697

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj 697

Shri Kapil Moreshwar Patil

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology 698

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology 698

Shri Rajeev Chandrasekhar

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Steel 699

Shri Faggansingh Kulaste

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 699

Shri Ashwini Kumar Choubey

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 169th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 161st Report of the Committee on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. 700

Shri Som Parkash

MATTERS UNDER RULE 377 701-728

(i) Regarding construction of "Ram Gaman Marg" from Ayodhya to Chitrakoot

Shri R.K. Singh Patel 701

(ii) Need to recognise the services of Lt. Baneshwar Rai, the Azad Hind Fauz soldier and provide adequate government benefits to his family

Shri Sanjay Seth 702

(iii) Regarding development of roads from Sibsagar to Sonari and Namtola to Sapekhati in Assam as National Highways

Shri Topon Kumar Gogoi 703

(iv) Need to restore concessions in railway ticket fare to senior citizens and to general public travelling in the special trains introduced during Covid-19 Pandemic

Shri Bidyut Baran Mahato 704

(v) Need to accord approval for development of roads as National Highways in Pali Parliamentary Constituency

Shri P. P. Chaudhary 705

(vi) Regarding enquiry of a private company by a central team for causing environmental pollution in Jharsuguda district in the Bargarh Parliamentary Constituency

Shri Suresh Pujari 706-707

(vii) Regarding irregularities in implementation of "Har Ghar Nal se Jal" scheme in Chhattisgarh

Shri Sunil Kumar Soni 708

(viii) Regarding demand for autonomous states

Shri Horen Sing Bey 709

(ix) Regarding environmental clearance to the Upper Jonk Irrigation Project in Nuapada district, Odisha

Shri Basanta Kumar Panda 710

(x) Regarding better railway connectivity to Balaghat and Seoni districts in Madhya Pradesh

Dr. Dhal Singh Bisen 711

(xi) Regarding construction of Roads in the Union territory of Ladakh

Shri Jamyang Tsering Namgyal 712-713

(xii) Regarding provision of service line on Delhi-Mumbai N.H. in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 713

(xiii) Need to construct a National Highway from Rajakhera in Dholpur district to Etawah in Uttar Pradesh

Dr. Manoj Rajoria 714

(xiv) Need to deploy units of Army and Central Police forces in border areas of Araria Bihar to step up vigil on cross border smuggling

Shri Pradeep Kumar Singh 715

(xv) Regarding development of tourism in Kanniyakumari district

Shri Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth 716-717

(xvi) Need to construct Dallirajhara-Jagdalpur Rowghat railway line in Chhattisgarh

Shri Deepak Baij 718

(xvii) Regarding increase in use of banned narcotics substance in Kerala

Dr. Shashi Tharoor 719

(xviii) Regarding establishment of a National Small Crops Research Centre in Perambalur Parliamentary Constituency

Dr. T. R. Paarivendhar 720

(xix) Regarding inclusion of Rajaka community of Andhra Pradesh into scheduled caste category

Shri Raghu Rama Krishna Raju 721

(xx) Regarding establishment of an Agricultural Disaster Compensation Fund

Shri Pocha Brahmananda Reddy 722

(xxi) Regarding installation of solar submersible water pumps in Bardhaman Purba Parliamentary Constituency

Shri Sunil Kumar Mondal 723

(xxii) Regarding creation of Indian Medical Administrative Service Cadre
Shrimati Aparupa Poddar 724

(xxiii) Need to increase the income limit of beneficiaries under the National Food Security Act, 2013
Shri Vinayak Bhaurao Raut 725

(xxiv) Regarding return of deposits to the people who have invested in Sahara India Group
Shri Mahabali Singh 726

(xxv) Regarding grant of increased pension to EPF pensioners
Adv. A. M. Ariff 727

(xxvi) Regarding skilling of women construction workers
Shri P. Ravindhranath 728

STATUTORY RESOLUTIONS RE: APPROVAL TO AMEND THE EIGHTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2002
Shri Pankaj Chaudhary 729

STATUTORY RESOLUTIONS RE: APPROVAL TO AMEND THE SECOND SCHEDULE TO THE CUSTOMS TARIFF ACT
Shri Pankaj Chaudhary 730

DISCUSSION UNDER RULE 193 732-803
Problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon

Shri N.K. Premachandran 732-738

Sushri Sunita Duggal 739-742

Shri Gaurav Gogoi	742-746
Dr. S.T. Hasan	746-747
Shri Manoj Tiwari	747-749
Shri Ritesh Pandey	749-751
Shri Pratap Chandra Sarangi	751-754
Shri Benny Behanan	754-756
Shri Dilip Saikia	756-757
Prof. Sougata Ray	757-760
Shri Som Parkash	760-761
Shri Rahul Ramesh Shewale	762-765
Shri P. Ravindhranath	765-766
Shri Jagdambika Pal	767-770
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	770-772
Shri Rattan Lal Kataria	773-774
Shri Rajmohan Unnithan	774-776
Shri Jugal Kishore Sharma	776-777
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	777-780
Dr. Amar Singh	780-781
Dr. Rajdeep Roy	781-782
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil	783
Shri Amit Shah	783-800
RESOLUTION RE: DRUG FREE INDIA – Adopted	803

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (SECOND) AMENDMENT BILL, 2022 804

Amendments made by Rajya Sabha

Shri Arjun Munda 804-806

Motion to Consider 804-806

Consideration of Amendments 804-806

Amendments Agreed to 804-806

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (FIFTH AMENDMENT) BILL, 2022 807-896

Motion to Consider 807

Shri Arjun Munda 807

Shri Deepak Baij 807-812

Shri Arun Sao 812-816

Dr. DNV Senthilkumar S. 817-819

Shrimati Aparupa Poddar 820-824

Dr. Sanjeev Kumar Singari 824-829

Shri Rajendra Dhedya Gavit 829-832

Shri Pinaki Misra 832-836

Shri Girish Chandra 836-838

Shri Nama Nageswara Rao 838-840

Shrimati Supriya Sadanand Sule 740-847

Shri Sunil Kumar Soni 848-852

Shri Vincent H. Pala 852-853

Shri K. Navaskani	853-856
Shri Hasnain Masoodi	857-862
Shri P. Ravindhranath	862-864
Shri Pradyut Bordoloi	864-866
Shrimati Gomati Sai	866-869
Shri Francisco Sardinha	869-871
Shri Chunnilal Sahu	871-873
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	873-881
Shri Rahul Ramesh Shewale	881-882
Dr. Nishikant Dubey	882-883
Shri Malook Nagar	883
Shri Santosh Pandey	883-884
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	884-886
Er. Guman Singh Damor	886-887
Clauses 2 and 1	896
Motion to Pass	896

[*] ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

[*] ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 21, 2022/ Agrahayana 30, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नं. 201 – श्री संगम लाल गुप्ता।

(Q. 201)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न काल चलने दें। आप खुद प्रश्न काल नहीं चलने देना चाहते हैं। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? आप एक अच्छी परंपरा डालें कि प्रश्न काल चले ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न काल के अंदर प्रश्न पूछें। जनता ने आपको सरकार से प्रश्न पूछने के लिए चुनकर भेजा है। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 202 to 220
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530
(Page No. 15-651)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-2, डॉ. जितेन्द्र सिंह ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री**; **प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री**; **कार्मिक**, **लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री**; **परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री** (**डॉ. जितेन्द्र सिंह**): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8070/17/22]

(2) (एक) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान**,** प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8071/17/22]

(3) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8072/17/22]

(4) (एक) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8073/17/22]

(5) (एक) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8074/17/22]

(6) (एक) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8075/17/22]

(7) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8076/17/22]

(9) (एक) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8077/17/22]

(10) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8078/17/22]

(11) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8079/17/22]

(12) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8080/17/22]

(13) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8081/17/22]

(14) (एक) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8082/17/22]

(15) (एक) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8083/17/22]

(16) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8084/17/22]

(17) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8085/17/22]

(18) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8086/17/22]

(19) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8087/17/22]

(20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8088/17/22]

(21) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8089/17/22]

(22) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8090/17/22]

(23) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8091/17/22]

(24) (एक) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8092/17/22]

(25) (एक) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोशिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8093/17/22]

(26) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8094/17/22]

(27) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8095/17/22]

(28) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8096/17/22]

(29) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8097/17/22]

(30) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8098/17/22]

(31) (एक) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8099/17/22]

(32) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8100/17/22]

(33) (एक) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8101/17/22]

(34) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8102/17/22]

(35) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8103/17/22]

(36) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8104/17/22]

(37) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8105/17/22]

(38) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8106/17/22]

(39) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8107/17/22]

(ख) (एक) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सिंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरूग्राम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8108/17/22]

(ग) (एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8109/17/22]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8110/17/22]

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8111/17/22]

(ग) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8112/17/22]

(घ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8113/17/22]

(ड.) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8114/17/22]

(च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8115/17/22]

(छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8116/17/22]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(दो) इस्पात मंत्रालय तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(तीन) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(चार) इस्पात मंत्रालय तथा एनएमडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

(पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8117/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) (संशोधन) नियम, 2022, जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8118/17/22]

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कोमोडिटीज) (संशोधन) नियम, 2022, जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8119/17/22]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; **कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री** (**श्री दानवे रावसाहेब दादाराव**): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8120/17/22]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8121/17/22]

(3) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8122/17/22]

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3722(अ) जो 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए मैसर्स कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसएमसीएल) को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.4038(अ) जो 29 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.4596(अ) जो 29 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग साल्यूशंस प्राईवेट

लिमिटेड, 'कैटगरी 'बी' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स जियो मैरिन साल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड तथा 'कैटगरी 'ए' एक्सप्लोरेशन एजेंसी' के अंतर्गत मैसर्स इकोमेन लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड अधिसूचित किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 8123/17/22]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8124/17/22]

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8125/17/22]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8126/17/22]

(घ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8127/17/22]

(ङ.) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8128/17/22]

(च) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8129/17/22]

(छ) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8130/17/22]

(ज) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8131/17/22]

(झ) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8132/17/22]

(6) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 8133/17/22]

(7) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8134/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय भण्डारण निगम के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8135/17/22]

(2) (एक) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8136/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) (2022 का संख्यांक 14) - सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) योजना 2019।

[Placed in Library, See No. LT 8137/17/22]

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 22) - 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में डिरेलमेंट निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 8138/17/22]

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) - (2022 का संख्यांक 23) - रेल वित्त।

[Placed in Library, See No. LT 8139/17/22]

(4) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 25) खंड-एक - (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 8140/17/22]

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (रक्षा सेवाएं) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (2022 का संख्यांक 28) (निष्पादन लेखापरीक्षा) – डीआरडीओ में मिशन मोड परियोजनाओं का प्रबंधन और परिणाम।

[Placed in Library, See No. LT 8141/17/22]

(6) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार – राजस्व विभाग –प्रत्यक्ष कर - (2022 का संख्यांक 29)।

[Placed in Library, See No. LT 8142/17/22]

(7) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 30) – (राजस्व विभाग – सीमाशुल्क) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 8143/17/22]

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (2022 का संख्यांक 31) (वित्त लेखापरीक्षा) – वर्ष 2020-2021 के लिए संघ सरकार के लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 8143A/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8144/17/22]

2. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Services Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Services Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8145/17/22]

3. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, 17 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8146/17/22]

4. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8147/17/22]

5. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8148/17/22]

6. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2021- 2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8149/17/22]

7. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8150/17/22]

8. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC 18 India, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India, Kolkata, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8151/17/22]

9. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Spices Board India, Kochi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Kochi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Kochi, for the year 2021- 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8152/17/22]

10. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2021- 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8153/17/22]

11. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2021- 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8154/17/22]

12. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021-2022. 19

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2021- 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8155/17/22]

13. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8156/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O.4720(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th October, 2022 making certain amendments in the first Schedule of the Information Technology Act, 2000, under sub-section(5) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 8157/17/22]

(2) A copy of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions), published in Notification No. G.S.R.794(E) in Gazette of India dated 28th October, 2022, under sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000.

[Placed in Library, See No. LT 8158/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Digital India Corporation, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the 20 Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8159/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT8160 /17/22]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8161/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8162/17/22]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8163/17/22]

(5) A copy of the Notification No. S.O.4904E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th October, 2022 seeking to reconstitute the National Jute Board for a period of two years with effect from 29th September, 2022 comprising Chairman, Members and Member Secretary, mentioned therein, under sub-section 4(b) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 8164/17/22]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8165/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8166/17/22]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8167/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8168/17/22]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8169/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8170/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Notification No. S.O.5282(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th November, 2022 seeking to exempt Indian Space Research Organisation from the operation of all the provisions of the Explosives Rule, 2008, issued under sub-section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884.

[Placed in Library, See No. LT 8171/17/22]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8172/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8173/17/22]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8174/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Bhopal, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Bhopal, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 8175/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Andhra Pradesh, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Andhra Pradesh, for the years 2019-2020 and 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(8) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 8176/17/22]

(9) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Assam, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(10) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 8177/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Haryana, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Haryana, for the year 2019-2020.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 8178/17/22]

(13) A copy of the Notification No. S.O.4091(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st September, 2022 establishing a Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries and appoint persons (mentioned therein) to be the members of the said Council, for a period of two years from the date of publication of this Order, issued under Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 8179/17/22]

(14) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8180/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS(2) in Gazette of India dated 22nd November, 2022, under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 8181/17/22]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8182/17/22]

(3) A copy of the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.635(E) in Gazette of India dated 18th August, 2022, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in Library, See No. LT 8183/17/22]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8184/17/22]

(b) (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8185/17/22]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Mahanagar Telecom Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telecom Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8186/17/22]

(d)(i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8187/17/22]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8188/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 27 of 2022)-General Purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises (Compliance Audit) for the year ended 31st March, 2021.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 33 of 2022)- Compliance Audit Observations for the year ended 31st March, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 8189/17/22]

(2) A copy of the Public Enterprises Survey – Annual Report on the Performance of Central Public Sector Enterprises (Hindi and English versions), for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8190/17/22]

12.03 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

15th to 18th Reports

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2022-23) का सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बीएसएनएल और एमटीएनएल में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) का अठारहवां प्रतिवेदन।

12.03½ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

99th to 101st Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

18th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg present the Eighteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Ninth Report of the Committee on the subject 'India and International Law including Extradition Treaties with foreign countries, asylum issues, international cyber-security and issues of financial crimes'.

12.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

17th Report

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): महोदय, मैं 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

38th Report

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to present the Thirty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

माननीय अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी बता दो ना।

… (व्यवधान)

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): महोदय, मैं श्री गिरिराज सिंह की ओर से मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): महोदय, मैं श्री गिरिराज सिंह की ओर से मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8061/17/22 and LT 8062/17/22 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): महोदय, मैं श्री गिरिराज सिंह की ओर से मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): महोदय, मैं श्री गिरिराज सिंह की ओर से मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जब गिरिराज सिंह जी का नाम है तो आप बोलें कि गिरिराज सिंह जी के बिहाफ पर बोल रहे हैं।

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील): सर, मैने लेटर लिख कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष: लेटर नहीं, बोलते समय आप बोलें कि मैं गिरिराज सिंह जी के बिहाफ पर बोल रहा हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8063/17/22 and LT 8064/17/22 respectively.

12.07 hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, in pursuance of Direction 73A of Directions by the Speaker, Lok Sabha, I, on behalf of Shri Ashwini Vaishnaw, beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(b) Status of implementation of the Recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, in pursuance of Direction 73A of Directions by the Speaker, Lok Sabha, I, on behalf of Shri Ashwini Vaishnaw, beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8065/17/22 and LT 8066/17/22 respectively.

12.07½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Steel*

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

12.08 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति की ओर मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8067/17/22 and LT 8068/17/22 respectively.

<u>12.08½ hrs</u>

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 169th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 161st Report of the Committee on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 169th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 161st Report of the Committee on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8069/17/22.

12.09 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से अपने विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत दी जाती है।

(i) Regarding construction of 'Ram Gaman Marg' from Ayodhya to Chitrakoot

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): एन.एच. खंड प्रयागराज द्वारा अयोध्या से चित्रकूट धाम तक राम वनगमन मार्ग (फोर लाइन) का प्रस्ताव स्वीकृत है। उक्त मार्ग अयोध्या से श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर (कौशांबी) होते हुये चित्रकूट धाम (उ.प्र.) जहां भगवान श्रीराम 12 वर्षों तक वनवासी के जीवन व्यतीत किए है, जहां लाखों की संख्या पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन रहता है । माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा श्री राम वनगमन मार्ग बनाने शिलान्यास किया जा चुका है । किन्तु श्री राम वनगमन मार्ग (फोर लाइन) का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अयोध्या से श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर (कौशांबी) होते हुये श्रीराम जी तपोस्थली चित्रकूट (उ.प्र.) तक राम वनगमन मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द चालू कराने का कष्ट करें ।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to recognise the services of Lt. Baneshwar Rai, the Azad Hind Fauz soldier and provide adequate government benefits to his family

श्री संजय सेठ (राँची): हमारा देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। इस अमृत काल में हमने स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता निभाने वाले हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। मैं ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें अब तक की सरकारों ने सम्मान नहीं दिया।

देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची में हुए आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट बाणेश्वर राय हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज की इंटेलिजेंस विंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसे समर्पित और बलिदानी देशभक्त का परिवार सरकार द्वारा की जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित है। ना ही उन्हें जमीन मिली है, ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मिली। आज उनके परिवार के पास रहने तक के लिए घर नहीं है। आजादी के इतने साल बाद भी उन्हें सरकारी सुविधा नहीं दी गई।

मेरा आग्रह है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत मां के ऐसे सपूत को न्याय दिया जाए। आजादी के अमृत काल में ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का डेटाबेस तैयार हो। भारत सरकार उनकी समीक्षा कर, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराए।

(iii) Regarding development of roads from Sibsagar to Sonari and Namtola to Sapekhati in Assam as National Highways

SHRI TOPON KUMAR GOGOI (JORHAT): It is the matter of great concern that two State roads in Assam i.e. one from Sibsagar to Sonari and another from Namtola to Sapekhati, have been declared by Govt. of India as National Highways and numbered as NH No. 702 and NH No. 702(C). These proposed National Highways i.e. NH No. 702C from Sibsagar to Sonari, proposed length 46.10 km and NH No. 702 from Namtola to Sapekhati (Chariali), proposed length 24.28 KM belong to my constituency. Alignment proposal of the proposed National Highways have been submitted to MoRTH. There is a big demand from the people of my constituency and people all over Assam, the people of North East specially people of Nagaland that the construction work of these roads as National Highways be started immediately as per NH norms so that the above stretches of roads be declared National Highways and people start using the National Highways.

I urge the Minister of Road Transport and National Highways to take urgent measures so that the road should be built as per National Highways norms and the people of Assam, Nagaland and North East can avail the smooth and hassle free journey by the National Highway Nos. NH-702 & NH No.-702C.

(iv) Need to restore concessions in railway ticket fare to senior citizens and to general public travelling in the special trains introduced during Covid-19 Pandemic

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के पूर्व वरिष्ठ नागरिक रियायतों (Senior citizen Concession) के तहत वरिष्ठ नागरिकों में 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% एवं 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों तथा पुरुष ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40% का छूट ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता था, जो रेलवे बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया है। यह ज्ञातव्य है कि लगभग ढाई-तीन वर्षों के बाद अब जब सभी चीजों के साथ धीरे-धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली ट्रेन यात्रा में रियायतों की सुविधा को पुनः बहाल नहीं किया गया है। देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा उक्त सुविधा को पुनः बहाल करने की मांग की जा रही है। आज जो युवा है भविष्य में वह बुजुर्ग होंगे तथा आज के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी सेवा देश एवं समाज के लिए दी है तथा वे अनुभवी भी हैं उनके अनुभव से देश को फायदा होगा। इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह कोविड-19 के दौरान देश भर की सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन घोषित किया गया था जिससे कोविड-19 स्पेशल ट्रेन के टाइम को रेलवे बोर्ड द्वारा हटा लिया गया है। परंतु पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से अभी भी स्पेशल ट्रेन का किराया लिया जा रहा है जबकि पैसेंजर ट्रेनों में अधिकांशतः गरीब, मजदूर, आदिवासी, पिछड़े ही ज्यादा यात्रा करते हैं।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए देश हित में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी उक्त आदेशों को रद्द करते हुए वरिष्ठ नागरिक रियायतों को पुनः लागू करने एवं पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से स्पेशल ट्रेन के किराए में छूट देने की कृपा करेंगे।

(v) Need to accord approval for development of roads as National Highways in Pali Parliamentary Constituency

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): देश के यशस्वी प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों का जाल बिछ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में भी आपने पूर्व में अनेक सौगातें देकर संसदीय क्षेत्र के लोगों को अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं और मेरे संसदीय क्षेत्रवासी आपके हमेशा आभारी रहेंगे।

मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली से संबंधित उन सात सड़क मार्गों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु घोषणा हो चुकी है और सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी भी दी जा चुकी है एवं इनकी एलाइनमेंट रिर्पोट भी बनकर तैयार है। अब सिर्फ अंतिम स्वीकृति होनी शेष है। ये सड़कें निम्नलिखित है-

1. सोयला औसियां -तिंवरी- बालेसर 126 कि.मी. रोड
2. खारिया में NH-25 से रणसी-बोरुन्दा-गोटन होते हुए NH-58 तक (105 कि.मी. रोड़)
3. देसुरी से-सादड़ी-सेवाडी - पिंडवाडा तक (लगभग 90 कि.मी. रोड़)
4. NH-62 पर रोहट से आहोर NH 325 तक (82 कि.मी. रोड़)
5. मारवाड़ जंक्शन -कामलीघाट (50 कि.मी. रोड़)
6. सोजत-सिरियारी- देसुरी (93 कि.मी. रोड़)
7. सांडेराव-बाली-सादड़ी (43 कि.मी. रोड़)

मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति आप इन अतिमहत्वपूर्ण सड़क मार्गों पर भी सहृदयता पूर्वक कार्यवाही करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र के आमजन को ये सभी सौगात देंगे।

(vi) Regarding enquiry of a private compnay by a central team for causing environmental pollution in Jharsuguda district in the Bargarh Parliamentary Constituency

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): I would like to bring to the notice of the Government that Jharsuguda District in Bargarh Lok Sabha Constituency is facing the consequences of enormous environmental pollution mainly due to emission of greenhouse gases and faulty methods of fly-ash disposal by Industries. As per regulation, the fly ash should be disposed of in lowlands such as landfills for dry ash and in safe ponds for wet ash. It has been strictly forbidden to use agricultural land for ash disposal. It has also been forbidden to transport the ashes in open vehicles to prevent aerial dust circulation. These norms are being constantly violated by a pravate company in Jharsuguda causing serious health problems. Further, the heaps of ashes deposited as ash hills on open plain land get washed into the water resources contaminating the water and the animals in water such as fishes through which they enter the food chain. The ash is contaminating the crop fields severely hampering crop production and causing health hazards including damage to the male reproductive system and cancer. This is due to the high exposure of the population to the toxic constituents in the fly-ash such as Lead Cadmium, Mercury, Chromium, Arsenic, Molybdenum, Thallium, Silica etc.

The Hon'ble Minister of Environment, Forest & Climate Change had directed the Central Pollution Control Board to cause enquiry which in turn directed the

State Pollution Control Board to do so and the State Board gave a clean chit to the private Company without proper enquiry.

This was proved from the fact that the Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata on more than one occasion including one on 06.05,2022 vide an order in Original Application No-10/2021/E Z found the Company guilty and imposed a fine of Rupees One Crore with a direction to the State Pollution Board to regularly monitor it.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to cause an enquiry by a Central Team comprising Environmental experts, take stern action against the erring Company.

(vii) Regarding irregularities in implementation of 'Har Ghar Nal se Jal' scheme in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं छत्तीसगढ़ की एक अति आवश्यक मांग माननीय जल शक्ति मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा अनुरूप केन्द्र सरकार की अग्रणी योजना जल ग्रहण मिशन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत टेण्डर जारी किए गए, किन्तु टेंडर में अनियमितता के आरोप लगने पर जारी टेंडर को निरस्त कर पुनः टेंडर किए गए, जिस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य हर घर नल से जल योजना में लगभग एक वर्ष पीछे हो गया है। अनेक गांव में पानी की पाईप लाईन बिछाई गई है, किन्तु पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं किया गया एवं पाईप लाईन में उपयोग की गई सामाग्री की गुणवत्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। कार्य में स्थायित्व नहीं होने के कारण से पाईपलाईन बिछाने एवं पानी टंकी निर्माण का कार्य विलंब से चल रहा है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ के निवासियों को पानी समय पर मिल पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि केन्द्र की उक्त योजना का छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जारी किये जाने का कष्ट करेंगे।

(viii) Regarding demand for autonomous states

SHRI HOREN SING BEY (AUTONOMOUS DISTRICT): I wish to be informed about the issue that has rocked the hill areas of Assam during the past 35 years. The Union Government has been trying to find solutions by signing 3 political accords in a span of 25 years, the first in 1995 and then in 2011 and 2021. As most of the provisions of the accords remain to be implemented, it is not possible to make assessment whether the accords would resolve the political problems posed by the demand for Autonomous State in accordance with Art 244 (A) of the Constitution. Now that the Union Government is holding talks with the leaders of Eastern Nagaland and also with Kamtapur State demand groups, the voices of the long standing demand of Autonomous State are also being heard again in Karbi Anglong and Dima Hasao. As the accords are failing in their objectives, I appeal to the Government to reconsider the issue of Autonomous State demand afresh by holding talks with the concerned Autonomous Councils and other stake-holders.

(ix) Regarding environmental clearance to the Upper Jonk Irrigation Project in Nuapada district, Odisha

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र में दोनों जिले कालाहांडी और नुआपड़ा आकांक्षी जिले हैं। इन जिलों में साल दर साल अकाल रहता है। नुआपड़ा जिले में अपर जोंक सिंचाई परियोजना नामक सिचाई हेतु डैम मौजूद है। इसका निर्माण वर्ष 1995 में हुआ है और इसकी ऊंचाई 354.4 मी० रखी गई है, परंतु वज मंजूरी न मिलने के कारण अभी 350.4 मी० तक ही इस डैम मे पानी रखा जाता है। फिलहाल इस परियोजना से खरीफ के मौसम में 9000 हे० और रबी के मौसम में 3500 हे० जमीन की ही सिंचाई की जाती है। यदि 4 मी. अधिक पानी इस डैम में रखने की अनुमति मिल जाए तो करीब 2000 हे० अधिक जमीन में रबी की फसलों में सिंचाई की जा सकती है। इस परियोजना की वन मंजूरी के लिए ओडिशा ने केंद्र सरकार को आवेदन किया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत आदेश पारित किया हुआ है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों के हित एवं विकास को ध्यान में रखते हुए ओडिशा राज्य के नुआपड़ा जिले के अंतर्गत "अपर जोंक सिंचाई परियोजना" को पिछले 27 वर्षों से लंबित वन मंजूरी देने का निर्देश दें। इससे मेरे क्षेत्र के गरीब किसानों को सीधे-तौर पर लाभ मिलेगा।

(x) Regarding better railway connectivity to Balaghat and Seoni districts in Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट में बालाघाट और सिवनी जिले आते हैं। आमान परिवर्तन के बाद केवल छोटी दूरी की गाड़ी चलाई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा एवं व्यापार के लिए जबलपुर, नागपुर, रायपुर तथा बिलासपुर सहित राजधानी भोपाल, दिल्ली जाने के लिए कोई सीधी रेल सुविधा नहीं है और नैनपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा के बीच सी. आर. एस. के बाद भी रेल नहीं चलाये जाने से यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जबलपुर-नैनपुर-सिवनी-छिंदवाड़ा होकर नागपुर/आमला और जबलपुर-नैनपुर-गोंदिया होकर नागपुर / बल्लारशाह के रास्ते दक्षिण के लिए रायपुर- बिलासपुर के लिए लंबी दूरी की यात्री गाड़ी चलाई जाये जो उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला कम दूरी का सीधा मार्ग होंगा।

इन रेलमार्गों की उपयोगिता इससे सिद्ध हो रही है कि ब्रॉडगेज कन्वर्जन के बाद से ही इन रूटों पर मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। बालाघाट से जबलपुर एवं गोंदिया की ओर 20 से अधिक मालगाड़ियां एवं सिवनी में लगातार रैक लग रही है, जिससे रेलवे को आय प्राप्त होने लगी है।

वर्तमान में यह रेलमार्ग सिंगल लाईन हैं। भविष्य में मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ने से इन रूटों पर दोहरीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसलिए अनुरोध है कि जबलपुर-गोंदिया- नागभीर जंक्शन एवं नैनपुर से छिंदवाड़ा एवं छिंदवाड़ा-नागपुर/आमला जंक्शन सिंगल लाईन का दोहरीकरण किया जाये।

(xi) Regarding construction of Roads in the Union territory of Ladakh

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): The Union territory of Ladakh bordering with China and Pakistan is strategically very important for India having war experiences of 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 and the Galwan conflict of 2020. Some more option after commendable works on Nimo-Padum-Darcha Road including tunnel at Shinkun La and Zojila to give better, shorter, and economically more feasible roads and tunnels need to be considered on priority to keep our border well secured.

I, therefore, make the following demand for road construction:

1. Construction of 45 km Paddar-Padum Road 'Kishtward-Atholi-Maichil-Soomchan-Zongkhul' or 80 km Road 'Kishtward-Atholi-Maichil-Dangail-PotLa-Bardan' to connect Ladakh with Jammu. This will be the shortest route between Northern Command and Pathankot Airforce/Military station to Ladakh as it will reduce the distance by about 150 km. This route being shortest was also followed by the legendary Dogra General Zorawar Singh during his conquests of Ladakh and eastern Tibet in 1830s.

2. Construction of Udaipur-Padum Road from Mayard Valley of Lahaul via Khanjar-Zardong-Kesar-KangLa-Padum or Khanjar-Shangkha-Thangso-Kargyak near Shinkunla Zanskar.

3. Construction of 100 km Road from Korzok-Kiato to connect Leh-Karzok-Kiato-Kaza-Kinour-Chandigarh will be an all-weather connectivity without any tunnel.

These roads can also help to connect Paddar and Chenab valleys of J&K and Mayard and Spiti valleys and help in creating economic potential along with other advantages.

(xii) Regarding provision of service line on Delhi-Mumbai N.H. in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) के अधिकतर क्षेत्र से दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे गुजर रहा है। यह कार्य भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। किन्तु क्षेत्र के निवासियों को बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को सर्विस एरिया दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस एन. एच. से जयपुर को जोड़े जाने के काम में भी प्रगति से कार्य चल रहा है। जयपुर जाने वाले स्थान पर बांदीकुई क्षेत्र के सैंकड़ों छोटे-बड़े गांवों को जयपुर जाने के लिए और अपने खेती-बाड़ी के कामों से जयपुर को जोड़ने वाले बिंदु पर सर्विस लाइन देना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में सैंकड़ों गांवों के नागरिक आंदोलनार्थ रुख अपनाते हुए धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि जिन किसानों ने सहर्ष अपनी कृषि भूमि परियोजना को समर्पित की, उनको आवागमन में सुगमता प्रदान करने हेतु जयपुर से जुड़ने वाले स्थान पर सर्विस लाइन देने की कृपा करें ताकि मेरे क्षेत्र के वासी इस महत्वपूर्ण हाईवे का लाभ लेते हुए परियोजना पर गर्व कर सकें एवं गांवों को विकास का अहसास व अपने क्षेत्र की उन्नति का सुख महसूस हो सके।

(xiii) Need to construct a National Highway from Rajakhera in Dholpur district to Etawah in Uttar Pradesh

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर का धौलपुर जिला राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह एक ओर मध्य प्रदेश एवं एक ओर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। धौलपुर जिला में लालसोठ जिला दौसा से धौलपुर तक और भरतपुर से धौलपुर तक दो नेशनल हाईवे विकसित होने से इस जिले के विकास को काफी गति मिली है। परन्तु धौलपुर जिले का राजाखेड़ा उपखण्ड सडक मार्गों की दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ है। धौलपुर जिला मुख्यालय पर समाप्त हो रहे उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास धौलपुर से आगे राजाखेड़ा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पिनाहट, भदरौली तथा वाह से होता हुआ इटावा तक करने से ना सिर्फ धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उक्त क्षेत्र को भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडने से विकास का अवसर प्राप्त होगा जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले से राजाखेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश में पिनाहट भदरौली वाह से इटावा तक के लिए सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा कर अनुगृहीत करें।

(xiv) Need to deploy units of Army and Central Police forces in border areas of Araria, Bihar to steps up vigil on cross border smuggling

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): आज जिस विषय पर अपनी बात रखूंगा वो हमारे संसदीय क्षेत्र अररिया की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के जिलों की सुरक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हमारा संसदीय क्षेत्र अररिया (बिहार) भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है**,** उत्तर की ओर जहां नेपाल और चीन का बार्डर है वहीं पूरब में बांग्लादेश का बार्डर पड़ता है। लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल की तरफ से होने वाली अवैध व अतिसंवेदनशील सामानों की तस्करी व घुसपैठ को रोकने हेतु उत्तर दिशा में कई जगहों पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की टीम तैनात की गई है। लेकिन पूरब दिशा यानि बांगलादेश बॉर्डर की ओर से होने वाली अवैध व अतिसंवेदनशील समानों की तस्करी व घुसपैठ को रोकने हेतु कोई सुनिश्चित व्यवस्था न होने के कारण अररिया की जनता असुरक्षित महसूस करती है, साथ ही साथ सुरक्षा में चूक होने की वजह से अररिया के रास्ते आसपास के जिलों में धड़ल्ले से नशीले पदार्थों का व्यापार किया जा रहा है। नशे की लत में हमारे जिले के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

अतः माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो अररिया, जोकीहाट में आर्मी, बीएसएफ व केंद्रीय पुलिस बल की एक टुकड़ी की तैनाती हेतु स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद ।

(xv) Regarding development of Tourism in Kanniyakumari district

SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Kanniyakumari district, which falls in my parliamentary Constituency is one of the most beautiful areas gifted by mother nature. Lush greenery surrounded by mountains on one side and sea on the other, has lot of destinations which attracts lakhs of tourists every year. But, I would like to admit that still there are lot of untapped potential for tourism. If developed, Kanniyakumari district will turn out to be a top tourist destination in the world map.

Lack of transport for the people visiting the southern tip of India is a matter of concern. An airport at Kanniyakumari will bring in more tourists who want to visit Kanniyakumari. The trains to my Constituency are minimal and hence people find it tiresome to reach destination. I request the concerned ministries to pay special attention towards Kanniyakumari district in this regard.

Further, Kanniyakumari has lot of temples, churches and mosques. There needs to be a holistic development of the surrounding areas which would attract more pilgrimes tourists to this district.

During the Maha Sivaratri, devotees from all over the State visit all the 12 Shiva shrines in Kaninyakumari district. Pilgrims who visit our district make a point to visit these temples. These temples need to be well connected for people to be able to go from one temple to another. I request the Hon'ble Minister of Tourism to include this project under the PRASAD scheme for better connectivity and development of areas surrounding the temple.

We have beautiful beaches, if maintained, can be turned into world class destinations. With water falls and dams, it's a perfect picturesque location which would generate lot of revenue for the Government as well as promote local employment. It's a perfect spot for adventure tourism. Hence, I urge upon the Government to allot special funds under various tourism promotion schemes to develop Kanniyakumari district into a world class tourist destination.

I request the Government to build a statue of our ex CM Shri Kamarajar in the similar lines of Sardar Patel Statue of Unity and this also would add to the tourist attraction.

Hence, I request the Government to do all it can to develop kanniyakumari district in terms of tourism.

(xvi) Need to construct Dallirajhara-Jagdalpur-Rowghat railway line in Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): दल्लीराजहरा-जगदलपुर-रावघाट रेल लाइन निर्माण की मांग कई दशक पुरानी है। इस परियोजना के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति 1993 में योजना आयोग से मिली। 2011 में इस रेल खण्ड का निर्माण प्रारंभ हुआ, इसके बनने से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जिला बस्तर के अंतर्गत नारायणपुर, कोंडागांव एवं जगदलपुर सहित विभिन्न कस्बे सीधे जुड जाएंगे, इससे लाखों लोगों को जगदलपुर से रायपुर आवागमन में मात्र 3 से 4 घंटे लगेंगे।

इस रेल खण्ड के निर्माण के अभाव में रायपुर पहुंचने के लिए यात्रियों को वाया विशाखपटनम् या झरसूगुडा होते हुए रायपुर पहुंचने में 15 से 16 घंटे लगते हैं जबकि यही दूरी बस द्वारा 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है और उक्त रेल खण्ड बनने पर ट्रेन से यात्रा करने पर रायपुर पहुंचने में 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। खेद की बात है कि इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यह अत्यंत चिंता की बात है।

केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि अविलम्ब दल्लीराजहरा-जगदलपुर-रावघाट रेल लाइन निर्माण पूर्ण कराया जाए जिससे स्थानीय नागरिक रेल मार्ग से रायपुर कम समय में पहुंच सकें।

(xvii) Regarding increase in use of banned narcotics substance in Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I would like to know if the Honourable Minister of Home Affairs is aware of the alarming increase in usage of narcotics and narcotics-related cases in Kerala. During 2019-2021, the annual-average of cases was 6409, which has jumped to 16128 cases this year, just until August; similarly for arrests it has increased from 7693 to 17834. In September, Keralites were shocked when 652 drug-cases were registered within 4 days. Further, manufactured-psychotropic-substances are becoming more prevalent than less harmful drugs.

Most of the drug-supply originates in large cities outside the State and is distributed through organised networks using, inter-alia, clandestine freight-transport, courier-services and, worryingly, Malayali-students based outside the State. Instances of international-transactions through the Dark Web are also not infrequent. Data reveals that substance-abuse has increased among Keralas' teenagers and students in the past 5 years. At the same time, the persons availing benefits under the National Action Plan for Drug Demand Reduction in the State has declined from 6642 in 2017-18 to 4887 in 2021-22.

Whilst a "No-to-Drugs" awareness-campaign has been initiated in the State to counter this situation, I urge upon the Hon'ble Minister to monitor the situation in co-operation with the State and inform the House of the measures being taken to eradicate the production and distribution of banned narcotic-substances.

(xviii) Regarding establishment of a National Small Crops Research Centre in Perambalur Parliamentary Constituency

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): My Perambalur Parliamentary Constituency and Perambalur District is a backward area in Tamil Nadu. Almost 70% of the people are agriculturist and are cultivating various small crops like, ragi, maize, corn and millets apart from rice, sugarcane, peanuts. Many farmers' income and their livelihood are totally dependent upon the income arising out of selling these small crops harvested from their agricultural fields. But, they are not getting enough/good yield by cultivating the so-called small crops.

In view of the above, a Research Centre on small crops needs to be set up at my Parliamentary Constituency at Perambalur which is also District Headquarter for the welfare of the farmers and its neighbouring areas to boost and improve the yield of small crops and to uplift the life of farmers.

Hence, I urge upon the Union Government to take necessary action to establish a National Small Crops Research Centre at Perambalur at the earliest.

(xix) Regarding inclusion of Rajaka Community of Andhra Pradesh into scheduled caste category

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): The Washermen Community in the Country is being called as, Dhobis, Rajajkas, Chakali, etc. Though the nomenclature differs from State to State, these community people are mainly engaged in washing clothes.

In Andhra Pradesh this community people are called Rajakas, who traditionally are engaged in washing clothes and in view of their backwardness still they have not been equally treated.

There has been a demand for inclusion of Rajaka Community in Andhra Pradesh into the Scheduled Caste Category. Though the case has already been recommended by the Government of Andhra Pradesh long back, no action has been taken so far to fulfil the aspirations of this downtrodden community.

In most of the major Indian States like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Odisha, this community has already been included into the Scheduled Caste Category. So, there is a feeling that Rajakas from Andhra Pradesh are being discriminated by not including their community into Scheduled Caste category as their brethren in other States are getting benefit of SC status.

I, therefore, request the Government through Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment to consider their request for inclusion of their community in the Scheduled Caste Category without any further delay for upliftment from OBC to Scheduled Caste Category.

(xx) Regarding establishment of an Agricultural Disaster Compensation Fund

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Every year, States in particular, face at least one severe flood which wipes out a significant portion of the farmers' crop. Given that agriculture is an important sector for these states, sustained losses in their primary mode of livelihood year after year, pushes farmers to the brink. In 2021, due to heavy floods, a large quantum of chillies was lost in Telangana and Andhra Pradesh, farmer suicides rose and the debt cycle also increased.

Additionally, the cost of agricultural inputs is on the rise. Amongst others, fuel prices have hit an all-time high and fertilizer black marketing has become extremely common. Farmers are consistently pushed into further debt with no assurance of any profits.

Special circumstances of disasters are becoming a recurrent feature, rather than an exception. In order to make the process of compensation, with a delineated chain of command, easier and more structured, as well as a right, an Agricultural Disaster Compensation Fund needs to be established at the earliest.

(xxi) Regarding installation of solar submersible water pumps in Bardhaman Purba Parliamentary Constituency

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Minister of Agriculture and Farmers Welfare with regards to installation of solar submersible water pump in my Parliamentary constituency in West Bengal.

Farmers are facing difficulties in paying electricity bill of submersible pump. In this regard, I have decided to install Solar Submersible Water Pump for irrigation to make farming and irrigation easier in my Constituency because in Kalna, Katwa, Memari, Purbosthali North, Purbosthali South, Raina and Jamalpur, 75% to 85% people belongs to SC, ST & OBC community and the area is fully agriculturists. Further, no industries are there and agriculture is their only source of income to survive. In the above Constituency, solar irrigation pump is needed to be installed under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY).

This decision can bring happiness and progress in farmer's life and can make them self dependent. Hence, it is requested to kindly permit and provide information in detail that how much subsidy could be given by the Government on installation of Solar Submersible Water Pump for irrigation. I therefore, request the Hon'ble Minister to take up immediate and necessary step in this regard.

(xxii) Regarding creation of Indian Medical Administrative Service Cadre

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): I wish to raise the issue of formation of Indian Medical Administrative Service cadre. The huge and herculean task of managing health needs of 1.4 billion people needs participation of doctors in Medical administration at National level. So many years of Independence signifies lack of inputs from doctors who can understand and provide adequate and prompt solution to the Government on all health related aspects through key health policies. So formation of Indian Medical Administration service cadre or Indian Medical Service Cadre is the need of the hour.

(xxiii) Need to increase the income limit of beneficiaries under the National Food Security Act, 2013

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में 8 वर्ष पहले अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी गरीब आबादी इस लैंडमार्क अधिनियम के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। इसके अधिनियम के बाद से लाभार्थियों की पात्रता के लिए आय सीमा 8 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। अब इसके लागू होने के 8 साल बाद हर घर की आमदनी के साथ-साथ रहने का खर्च भी काफी बढ़ गया है। इस प्रकार, इस योजना के लाभार्थी अपनी वास्तविक आय को छुपा रहे हैं और इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं।

पिछले 8 वर्षों के दौरान हर घर की आय और रहने की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसके तहत लाभार्थियों की आय सीमा बढ़ाने पर विचार करें और उचित कार्यवाही करें।

(xxiv) Regarding return of deposits to the people who have invested in Sahara India Group

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान सहारा इंडिया समूह में निवेशको का पैसा भुगतान करने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ|

देश के करोड़ों गरीब मजदूर किसानों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बचत कर अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहारा इंडिया समूह में पैसा निवेश किया था लेकिन विगत 5 वर्षों से मैच्योर होने के बाद भी गरीबों का रुपया भुगतान नहीं किया जा रहा है, न बचत खाते में राशि लौटाई जा रही है। पैसे के कारण देश में इलाज नहीं होने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कितने गरीब लोगों की बेटियों की सगाई रुक गई एव कितने लोगो ने आत्महत्या कर ली | इसके कारण देशभर में सहारा समूह के कर्मचारियों एवं निवेशको ने आंदोलन किया, इसमें निवेश करने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि लगभग 25,781.37 करोड़ रुपया जो मजदूर गरीब किसान का पैसा जमा है, उसे अविलंब भुगतान कराया जाए |

(xxv) Regarding grant of increased pension to EPF pensioners

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): EPF Pensioners have been denied their right for increased pension proportionate to the salary even after the favourable Supreme Court judgment on 04.11.2022. The Supreme Court has limited the benefit of higher pension proportionate to salary above Rs. 15,000 only for those employees who are members of the EPF Scheme as on September 2014, still it would be beneficial to a large number of employees. Even after a month of delivering the judgment, the EPF Organization has not taken any steps for issuing the operational guidelines to implement the scheme. As the condition for additional contribution at the rate of 1.16 per cent on salary has been invalidated by the Supreme Court on the ground that it is ultra vires the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1954, EPFO needs to clarify the alternative mechanism for the payment of higher pension. As the employees who had not exercised their option have been given four months-time to submit their option for higher pension, modalities for the same have to be worked out.

So, I urge upon the Government to intervene in the matter and provide relief to the eligible employees of EPFO without further delay and uphold the Supreme Court judgment.

(xxvi) Regarding skilling of women construction workers

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): The construction sector has the largest number of unorganised labourers in India next only to the agricultural sector. Women form half of its workforce. Women join as Chitals or unskilled workers and remain unskilled throughout their working life span. However, men get training and systematically upgrade their construction skills. Studies reveal that informal women workers in India's construction sector earn 30-40 per cent less than their male counterparts. Women have the same potential like men to do masonry work. But Chitals are denied promotional opportunities in the construction sector. It is my submission to the Government that women construction workers be equipped with market-relevant skills to bridge the learning-to-livelihood gap and the gender pay-gap especially through the institutions like the Skill India Mission. Necessary legislation may be enacted to make it mandatory for the contractors to offer informal training to women construction workers in Government sites and employ certain percentage of women masons in all sites. I also urge that an institutional mechanism be established by Government for skill formation, and upskilling of women construction workers. These positive steps will enhance the resource potential among women construction workers and empower them leading to the growth of families and the advancement of our nation.

12.10 hrs

STATUTORY RESOLUTIONS RE: APPROVAL TO AMEND THE EIGHTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2002

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं **:-**

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

12.10½hrs

STATUTORY RESOLUTIONS RE: APPROVAL TO AMEND THE SECOND SCHEDULE TO THE CUSTOMS TARIFF ACT,1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखत संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 49/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 सितंबर, 2022 [सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि चावल की विनिर्दिष्ट क़िस्मों पर निर्यात शुल्क उद्गृहीत किया जा सके। "

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 49/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 8 सितंबर, 2022 [सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 8 सितंबर, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि चावल की विनिर्दिष्ट क़िस्मों पर निर्यात शुल्क उद्गृहीत किया जा सके।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 28, नियम 193 के अधीन चर्चा।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हम सुबह से मांग करते आ रहे हैं। हमारी मांग चीन के मुद्दे पर चर्चा करना है। शुरू के दिन से ही सारा विपक्ष एक-साथ चाहता है कि इस पर चर्चा हो। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नियम 193 के अधीन अभी चर्चा होनी है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: बाहर टीवी में चर्चा होती है, हर फोरम में चर्चा होती है लेकिन सदन में चर्चा नहीं होती है। यह ताज्जुब की बात है। हम चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष की मांग पर चर्चा का मौका देना चाहिए। … (व्यवधान)

हमें चर्चा का मौका देना चाहिए। यह हमारा अधिकार है। हमारे देश की सुरक्षा की बात है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…*

माननीय अध्यक्ष: एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनको बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया है, केवल प्रेमचन्द्रन जी बोलेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनको बोलने का मौका नहीं दिया है और आपको भी नहीं दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में चर्चा करें। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और बाकी सदस्यों की सहमति से चर्चा कराई गई है।

---

* Not recorded

… (व्यवधान)

12.11 hrs

At this stage, Shrimati Sonia Gandhi, Shri Adhir Ranjan Chowdhury And some other hon. Members left the House.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रेमचन्द्रन जी, आप चर्चा शुरू करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका सुझाव अच्छा है। आप औरों को भी सलाह दें।

… (व्यवधान)

12.12 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government thereon…contd.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, please start.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the issue of abuse of drugs and its impact on our society … (*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me the time to speak on the Discussion under Rule 193. First of all, I take this opportunity to express thanks to the hon. Speaker for converting the Calling Attention into a Discussion under Rule 193 considering the importance and significance of this subject: 'Drug abuse in the country and steps taken by the government thereon.' The drug

abuse and its impact on the Indian society." Not only on the Indian society, it is a menace globally to the whole humanity.

Sir, you may kindly see that drug abuse is a menace to the society, and pierces deep into the structure of our society. It is rapidly moving amongst the adoloscents and youth; and our further generation is under threat.

Sir, I have a Report of 2017 on 'Global Burden of Disease'. It says that 7.5 lakh people have died because of drug abuse in the year 2020; and out of this, 22,000 people in India have died in the year 2020 because of drug abuse. This is the gravity of the situation. This is such a pathetic situation prevailing in our country. … (*Interruptions*)

Sir, drug abuse is a global challenge. It is being reported that five to six per cent of the global population between the ages of 15 and 64 years are using drugs at least once in their lifetime and most of these people belong to the age group of 15 to 30 years.

Sir, millions of youths, who are the future of India, fall victim to this menace. An abusing drug impairs the successful transition to adulthood by impairing the development of critical thinking, learning capacity, the cognitive skills, and the intelligent capacity of the future generation of the country is being totally destroyed because of use of these banned drugs.

Further, Sir, the adolescents who abuse drugs are reported to have a higher rate of physical and mental illness. Drug abuse is defined as a self-administration of a drug for non-medical purpose in such amount and periodicity,

which may impair their ability to function adequately, and may result in social, physical or emotional harm.

Sir, the increasing rate of drug addicts and alcohol usage is a massive danger prevailing in our society for which concern and solutions are required. That is the need of the hour. There are two issues. The first one is the concern and second one is the resolution of these concerns.

I would like to draw the attention of the hon. Minister regarding the concerns. During the abuse it is seen that it is a complicated problem because it is linked with other serious crimes such as organised crimes, human trafficking, and money laundering. All these are inter-connected with the abuse of the drugs. So, this is a complex situation prevailing in our society. This has to be dealt with in a sophisticated manner. Otherwise, we will not be able to resolve this issue. Article 47 of the Constitution, that is the Directive Principles of the State Policy, very clearly spells out that it is the responsibility of the State to restrict the use of drugs. On the basis of Article 47 of the Constitution of India, we, the Parliament, have enacted two legislations, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. I would like to seek a clarification from the hon. Minister whether these two legislations are sufficient to combat this menace of drug abuse. To me, it is not sufficient to meet the purpose. Why am I saying this? The first reason is lack of political will or power to enforce or implement the law. The second reason is that there are some lacunas in the legislation. These two issues have to be addressed at this juncture.

Sir, in order to address these issues, the Government of India should come out with some plan. I am having seven suggestions in this regard. The first suggestion is that the Government of India should come out with a national action plan for drug abuse. The Government of India should come out with a clear-cut policy.

Though it is a matter concerning the States, the Government of India, under the leadership of the hon. Home Minister, definitely, can take this initiative to have a national action platform so as to address the issue of drug abuse. The second suggestion is that there is a need for counselling and rehabilitation centres throughout the country.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the cases of drug abuse. The number of total drug related cases reported in India, as per the NDPS Act, in the year 2020, are 59,806, out of which, 57,600 cases are reported from the States and 2,206 cases are reported from the Union Territories. I would like to draw the attention of the hon. Minister as to why it is happening. If you examine it, out of the cases reported in the Union Territories, 55 per cent of the cases are from the Union Territory of Jammu and Kashmir. What does it indicate? It means that it is having link with anti-national terrorist forces. Drug abuse is one of the means by which youths are being misled and anti-national forces are being encouraged. It is well-evident from the statistical data of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I am coming to the States also. The highest number of cases of drug abuse are reported from Uttar Pradesh. Then, there is Punjab, Tamil Nadu, and Kerala. It is astonishing to see that a literate

State like Kerala is facing such a menace. The State Legislative Assembly has discussed it at length. A full day discussion took place and a resolution was also passed in the State Legislative Assembly to combat this menace. A State like Kerala, which is a small State, is having fourth number of cases reported and that too in the age group of 10 years to 15 years. It is the adolescent age. It is being learnt that 80 per cent of the cases, reported in Kerala, are in the age group of 10 years to 15 years. That means, they are targeting the school children.

Sir, the third point is regarding protection and solution, individual's attitude, and perception. Individuals with a strong belief against drug use and those with a strong desire to maintain their health are well protected from involvement in drug abuse. I have two suggestions for the hon. Minister in this respect. The first suggestion is that an intensive awareness campaign has to be brought in. The second suggestion is that this should be included as a subject matter or a paper in the school syllabus.

Sir, the next point is regarding the parents. It is being reported that the expecting mothers who take tobacco and alcohol have an indirect link with the adolescents who use such substances in their later life.

Sir, another point is regarding legislation. I have already mentioned that both legislation and enforcement should be engaged regularly against drug abuse as part of our commitment to combat this public health burden.

The fourth point I would like to make is this. The Schedule of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 should be amended. I would like to draw the attention of the hon. Minister to this issue. Nowadays, as per the

NDPS Act, 1985, if a small quantity of *ganja,* MDMA*, charas,* or any other such substance is being carried by a person, it is a bailable offence. The Schedule of the NDPS Act, 1985 was subsequently amended in the year 2022, thereby making these offences bailable. Now, people are at liberty to carry a small quantity of these substances. So, I would like to suggest to the hon. Home Minister that a drastic amendment to the Schedule of the NDPS Act, 1985 is the need of the hour; otherwise the cases of drug abuse will increase. … (*Interruptions*) I am just concluding.

My next point is regarding the availability of these banned drugs. The main point to be addressed is this. The availability of banned drugs is the main reason for having this abuse. So, the root cause has to be identified and needs to be cut off. Stringent actions must be taken against this so that there is no scope of availability of drugs.

Sir, I would like to suggest that a Monitoring and Review Committee must be constituted either Legislative Assembly Constituency-wise or Parliamentary Constituency-wise, so as to address this issue. I would like to share my experience. In the DISHA Meeting, Madam Smriti Irani*ji* had given a direction to discuss the issue of POCSO cases. Likewise, this should also be a subject matter in the DISHA Meeting. Otherwise, a Monitoring and Review Committee must be constituted at the Parliamentary Constituency level so that the people's representatives can also be a part and parcel in combating the drug abuse issue.

Hon. Speaker Sir, lastly, I would like to urge upon you to pass a unanimous Resolution and give a message to the whole nation so as to combat this drug abuse without any political barriers.

We have to be unanimous in this issue. Without having any political differences, we have to fight against this menace; otherwise, the future generations of our country will be spoiled and their intellectual capacity will be disturbed. This is, in an indirect way, encouraging the terrorists and the anti-social and anti-national forces. So, a unanimous Resolution has to be passed, and a message has to go from this Parliament to address this issue. With these words, I conclude my speech.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक अच्छी चर्चा चल रही है, सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं, लेकिन सदन में जो सुझाव एक बार आ चुके हैं, उनको रिपीट न करें। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप दो या तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। कुछ नियमों में परिवर्तन करना हो या आपको कुछ और भी बोलना हो, आपको बोलने की अभिव्यक्ति और आजादी है। अगर आप दो या तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे, तो दोपहर के दो बजे इस पर जवाब दिलवा देंगे। ये मेरा आप सबसे आग्रह है।

… (व्यवधान)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, please increase it to five minutes.

HON. SPEAKER: No, only two to three minutes' time will be allotted.

Now, Sushri Sunita Duggal*ji*.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दो या तीन मिनट के बाद माइक अपने आप ही बंद हो जाएगा।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि मेरा राजनीति के अंदर आने का एक बहुत बड़ा मकसद यह भी था। आप चाहे मुझे आखिरी में समय दें, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा समय चाहिए।**…**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दो मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मैंने वर्ष 2014 में रतिया से चुनाव लड़ा था। माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर गए थे।

माननीय अध्यक्ष : आप अपने दो मिनट ऐसे खर्च मत कीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मुझे वहां की महिलाएं अलग स्थान पर ले जाकर यह कहती थीं कि बेटा हमारे बच्चों को बचा लो। मैं चाहती हूं कि मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि ड्रग एब्यूज और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर यह चर्चा हो रही है **।** मैं देख रही हूँ कि सब के सब ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की है। मैं गोल्डन क्रिसेंट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान से यह सब कुछ आता है। वर्ष 2019 में एम्स की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को चिह्नित किया गया था, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्निट्यूड ऑफ सब्सटेंस का यूज था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चूँकि पाकिस्तान से राजस्थान और पंजाब के माध्यम से यहां पर ड्रग्स आते हैं। अब तो ड्रोन से भी ड्रग्स आने लगे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक जगह पर कांग्रेस की सरकार और दूसरी जगह पर आप पार्टी की सरकार है। वे पहले यहां पर लोक सभा के सांसद थे, सबको मालूम है कि उनका तो नशे से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। अब वे वहां पर मुख्य मंत्री बनकर

चले गए हैं। मेरी अभी पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा भी की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहती हूँ कि उसके एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ में जाकर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत की और जितने भी आस-पास के राज्य हैं, उन्होंने उन सबके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री जी इस पर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान के अंदर 272 जिले चिह्नित किए गए। उनमें से हरियाणा के अन्दर ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चिह्नित किए गए और दुर्भाग्य से उसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र के तीन डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर हैं, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो या जींद हो। इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि हमारी सरकार ने इसके अंदर काफी काम किए हैं। हमारी सरकार ने एक स्टेट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से केयर लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, अवेयरनैस, रिहैबिलिटेशन और एन्फोर्समेंट है। यह काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया है।

29 मई, 2020 को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया और उस ब्यूरो के माध्यम से फाइव टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है। यह मैं आपके माध्यम से जितने भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं, उनको बताना चाहती हूँ। इसके माध्यम से वे देखें कि वे अपने राज्य में क्या कर सकते हैं। चूँकि सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। मैं यह बताना चाह रही थी कि फाइव टियर जो स्ट्रक्चर है, वह बनाने के लिए कहा है, जिसके अंदर 7538 विलेज मिशन टीम है, 1710 वार्ड मिशन टीम है, कलस्टर मिशन टीम है, सब डिविजन मिशन टीम है, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है। इसके साथ-साथ इसमें 50 परसेंट जो भागीदारी है, वह एडमिनिस्ट्रेशन की है और 50 परसेंट भागीदारी पब्लिक की है। इसके साथ-साथ मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि ड्रग एडिक्ट्स न कहा जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हम ड्रग एडिक्ट्स की जगह ड्रग

विक्टिम कहेंगे, क्योंकि वे बच्चे हैं और वे किसी न किसी कारणवश इसके अंदर आते हैं तो उनको ड्रग विक्टिम कहा जाए। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही थी कि वह जो टीम है, वह इसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल करेगी और हमने एक 'धाकड़ प्रोग्राम' बनाया है। देखिये, यह हरियाणा है और धाकड़ है, यह आपको मालूम ही है कि अभी किस तरह से वहां पर, चाहे हम पहलवानी की बात करें, कुश्ती की बात करें, तो वे हर चीज में अव्वल रहते हैं। एक धाकड़ प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर पाँच बच्चों को चिह्नित किया जाएगा। वे बच्चे जो भी ड्रग एडिक्ट मिलेंगे या ड्रग विक्टिम्स मिलेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और जो बच्चा इसमें सबसे अग्रणी रहेगा, उसको सीनियर धाकड़ बोला जाएगा। वह अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को यह बात जब बताएगा तो उसको नोडल धाकड़ बोला जाएगा। इसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को निकाल सकते हैं। अभी मैं सिरसा की बात करूं, तो उसमें मैंने खुद एक क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया है। Cutting the supply of illicit drug, law enforcement, empathetic rehabilitation of drug victims and awareness generation are new ideas for all stakeholders for drug free Sirsa. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे वहां पर highest recovery of heroin and poppy husk की हुई है। जब हम छोटे बच्चे थे तो कई बार अखबारों में पढ़ते थे कि हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई और हमें चिंता हो जाती थी कि कहीं हमारी हेमा मालिनी जी तो नहीं पकड़ी गईं! लेकिन फिर बाद में हमें पता लगा कि ड्रग्स को हेरोइन कहा जाता है। 17 महीनों के अन्दर-अन्दर सिरसा में 802 केसेज़ पकड़े गए हैं। वहां के एसपी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब की धरती है, वह ऊर्जावान युवाओं की धरती है। आज पंजाब की धरती का क्या हाल हो रहा है?... * के बारे में सभी ने चर्चा की है। आज वहां के जो मुख्य मंत्री हैं… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी प्रदेश के बारे में टिप्पणी मत कीजिए।

श्री गौरव गोगोई जी।

---

* Expunged as ordered by the Chair

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए। मैं खत्म करने से पहले अपनी आखिरी बात को पूरा करना चाहूंगी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नो।

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हरियाणा सरकार काम कर रही है, वैसे ही पंजाब सरकार भी काम करे। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को काम का नशा है। उन्हें माँ भगवतगीता और शिव का नशा है।… (व्यवधान) हमारे गृह मंत्री जी को काम का नशा है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन व्यवस्था से चलता है और माइक अपने आप बन्द हो जाता है।

श्री गौरव गोगोई जी ।

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सर, मुझे एक मिनट समय दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप कन्क्लूड कीजिए। आपने पांच मिनट बोल लिया है।

सुश्री सुनीता दुग्गल : सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि देखिए, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है:

"नशे भंग शराब के उतर जाण प्रभात,

नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, माइक अपने आप बन्द हो जाएगा।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की, लेकिन यह चर्चा बहुत देर से हो रही है। पंजाब के जो भी मुद्दे आज इस सदन में उठे हैं, मुझे याद है कि वर्ष 2012 में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने उस समय ही बोल दिया था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, नशे को लेकर हमें बहुत चिन्तित होना है और नशे के कारण पंजाब के युवाओं का भविष्य हम अंधकार में धकेल रहे हैं। लेकिन उस समय यहां

जो सत्ता पक्ष था, उनकी राजनीतिक टिप्पणी आई, विभिन्न प्रकार से बोला गया, आलोचना की। हम बार-बार यह कहना चाहते हैं कि हम विपक्षी दल होने के नाते अगर कोई मुद्दा उठाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही-वही आलोचना कर दीजिए। किसी मुद्दे में कोई मूल्य है और उस मूल्य को आप समझिए। कोविड के बारे में भी राहुल जी ने पहले बोला, आपने बात नहीं सुनी। आज चीन के बारे में भी बार-बार राहुल जी बोल रहे हैं कि आप इस पर एक ठोस कदम उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे छिप रहे हैं। यह सदन किसका है? यह सदन देश का है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए।

श्री गौरव गोगोई : सर, देश के अंदर जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे यहां उठने चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चुनती है, न कि सेना को। अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेह होना बनता है। अगर आज हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स कहां से आते हैं। ड्रग्स पानी से आएंगे, सागर से आएंगे या सीमा से आएंगे या अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डों से आएंगे। आज हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने एयपोर्ट्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है? आपने सी बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है और आपने लैण्ड बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सर्विलेंस बढ़ाई है? यह कोई नया मुद्दा नहीं है, आप बार-बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा के मामले पर आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को और ताकत दी है। आज हम उत्तर पूर्व में देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं। उत्तर पूर्व में आज सब तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां एक कॉरिडोर बन गया है, जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, एनिमल बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। कहीं न कहीं यह सब बॉर्डर से जा रहा है तो बॉर्डर्स का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर्स का संरक्षण आपके हाथ में है, सीमा सुरक्षा बल के हाथ में है तो आप इस बारे में बताइए। आप यह बताइए कि इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्विलांस का आप किस

प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बार-बार हमारे ऊपर ... * कर देते हैं। हमारे मोबाइल फोन पर ... * लगा देते हैं, पत्रकारों पर पेगासस लगा देते हैं। आप मुझे यह बताइए कि पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स और नारकोटिक्स के माफिया को पकड़ा है?

आप जो सर्विलांस हम पर लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया और बड़े-बड़े माफियाओं को इस सर्विलांस के द्वारा पकड़ा है, यह भी हमें बताइए।... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत गम्भीर आरोप लगाया है कि इनके मोबाइल पर ... * लगा है, इसके आधार उनको सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाएं, या फिर वह उसके आधार सदन में प्रस्तुत करें। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का या उनका खुद का, उसे यहां सदन में रखना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है। स्वछन्दी राजनीतिक आरोपों के लिए यह सदन नहीं है। हर सदस्य को बोलते वक्त उस तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद ही बोलना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, मेरा आग्रह है कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो सरकार यह कुबूल करे कि सरकार पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि इसका इस्तेमाल हुआ है और उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, आप अपना मोबाइल रखिए, चेक करा देंगे।

श्री अमित शाह: बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। बदनाही नहीं है आपके नेता की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं।... (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री गौरव गोगोई : सर, आप आदेश दीजिए। हम आपके आदेश के अनुसार, आपको यदि लगता है कि मैंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। सदन में हम जो भी बात रखते हैं, वह जिम्मेदारी के साथ रखते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात तथ्यों, प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है। यह मेरा आग्रह है।

श्री गौरव गोगोई : सर, मैं दूसरी बात इंटेलीजेंस पर सर्विलांस के लिए बोल रहा था। जहां से यह बात उठी है तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी आधुनिक सर्विलांस का इस्तेमाल किया है और कौन सी आधुनिक सर्विलांस के द्वारा आपने बड़े-बड़े माफियाओं को पकड़ा है। आप हमें यह बता दीजिए। मेरी तीसरी बात फाइनेंशियल ट्रैकिंग की है। आपने फाइनेंशियल ट्रैकिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं? नार्को ट्रेड को लेकर करोड़ों रुपये कैसे जा रहे हैं और कहां से जा रहे हैं? क्या यह क्रिप्टो से हो रहा है? क्या यह बैंक अकाउण्ट से हो रहा है? क्या यह बेनामी से हो रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पकड़ने के लिए वे कौन से बड़े-बड़े लोग हैं और उनके लिए सरकार ने क्या किया है? … (व्यवधान)

सर, मेरे दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम जन जागरण की बात करते हैं। जब हम जन जागरण की बात करते हैं तो हमें विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वे नुक्कड़-नाटक और विभिन्न प्रकार के जन जागरण के अभियानों के द्वारा गांवों में जाएं और छात्रों के पास जाकर उनको बताएं कि इस पदार्थ की नशीली दवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह सरकार बार-बार एफसीआरए को लेकर सिविल सोसाइटी का बार-बार इन्वेस्टीगेशन करती है। आप सिविल सोसाइटी को भी ढंग से काम नहीं करने देते हैं।

मेरी आखिरी बात यह है कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े। मैं खुद भी ड्रग्स को लेकर अपने लोक सभा क्षेत्र में फिटनेस को लेकर दौड़ आयोजित करता हूं।

अभी तक ड्रग्स विरोध में मैंने युवाओं के साथ दो-तीन दौड़ का आयोजन किया है। दौड़ के साथ-साथ हमारा छात्र जानना चाहता है कि स्कूल में कोच कहां है, स्कूल में प्लेग्राउण्ड कहां है? ये सरकार स्पोर्ट्स की तो बात करती है, लेकिन स्कूल में कोच और स्कूल में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है, आप यह बताइए। सभी ने यह कहा है और हम भी यह कहना चाहते हैं कि यह ड्रग्स एक कैंसर है, एक कर्कट का रोग है। इस रोग में जो फंसता है, उसको हमें किसी क्रिमिनल की तरह नहीं, बल्कि एक रोगी की तरह देखना चाहिए। इसी तरीके से हमें पुलिस और सीमा सुरक्षा पर जोर देना है तथा इसके साथ-साथ हमें रिहैबिलिटेशन पर भी जोर देना चाहिए।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा कल से हो रही है, जिसका ताल्लुक हमारी आगे आने वाली जनरेशन से है। हम जानते हैं कि जिस तरह से यह ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उससे आने वाली नस्लों को नुकसान होना है और हमारा देश कमजोर होगा। इसमें कहीं न कहीं इंटरनेशनल साजिशें भी हमारे साथ हो रही हैं।

<u>12.38 hrs</u> (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नशे का कारोबार करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो नशा करते हैं, उनमें आज तक का यह रिकॉर्ड है कि जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, वे नशे में हुए हैं। चाहे वह बच्चियों के साथ बलात्कार हो, रिश्तों को तार-तार किया गया हो, मर्डर किए गए हों, डकैती डाली गई हों, उनमें ज्यादातार 90 परसेंट लोग नशे में होते थे, जो यह काम करते थे। हम इस कारोबार पर बैन लगाने और रोकने की पूरी कोशिश कर रह हैं तथा हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम इसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं।

महोदय, यह देश का मामला है, यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, लेकिन जो लोकल नशा हो रहा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अंदर आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बहुत भांग खड़ी है। उसे लोग हाथ से तोड़कर मसलते हैं और उसके बाद उसे निकालकर सिगरेट में डालकर उसका नशा करते हैं। जाहिर है कि भांग को उगने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे

लोग, जो नशे के आदी हों, उनको कम से कम तीन महीने की जेल की जाए। जेल के अंदर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जब वे तीन महीने तक आइसोलेशन में जाएंगे तो हो सकता है कि उनका नशा छूट जाए। हमने मिडिल ईस्ट के देशों में देखा है, वहां ये सब कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां कानून बहुत सख्त हैं। हमारे यहां भी सख्त कानून की जरूरत है। कैपिटल पनिशमेंट के लिए सब मना करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जरूरत होती है। इसमें भी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंता हूं कि हमारे थानों पर ये नशीली चीजें कहां से आती हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान किसी को धमकी देता है कि मैं तुझे एनडीपीएस एक्ट में बंद करवा दूंगा, थाने के अंदर उसके पास से दवाएं निकलती है और वह एनडीपीएस में बंद करवा देता है। मेरी गृह मंत्री जी से दरख्वास्त है कि इस कदम को सख्ती से रोकें, जिससे इसका फैलाव भी कम होगा। मेरा आखिर में यही कहना है कि इस कारोबार पर सख्त से सख्त कानून बने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने यहां पर कई बातें सुनी है, जिसके बाद मैं थोड़ा चिंतित हो रहा हूं। यहां नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, वहां मैंने देखा है कि लोगों को पहले शराब का नशा लगा, फिर उनको गांजा का नशा लगा, फिर वे हेरोइन पीने लगे। इसके कारण उनके 80-80 बीघा खेत बिक गए। वे बर्बादी के कगार पर चले गए। ड्रग की परिभाषा क्या है? उसको जानें लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें। यह मेरी प्रार्थना होगी। हमारे किसी साथी ने कहा है कि बंदरगाह पर तीन हजार किलोग्राम ड्रग्स पकड़ ली गई। अगर वह पकड़ ली गई, तो इस पर क्यों शॉक्ड हैं? यह मुझे समझ में नहीं आता है।

हम लोग पहले से आज तक की तुलना करते हैं। मैं अभी-अभी पढ़ रहा था कि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक 22,45,178 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी, वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक 62,60,230 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। सरकार का यह प्रयास अपने-आप में तुलना दिखा देता है।

इनमें 40 लाख किलोग्राम का अंतर है। वर्ष 2006-13 में जब्त की ड्रग की मात्रा 10,31,117 किलोग्राम थी। अब 24 लाख से ज्यादा की संख्या में ड्रग्स जब्त की गई है। हम माननीय एचएम महोदय को धन्यवाद करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एनसीबी के सहयोग से एक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए।

कुछ समय पहले की बात है। 27-28 अक्टूबर, 2022 को सूरजकुंड में एक चिंतन शिविर हुआ। वह गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। उसमें प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाग लेकर संबोधित किया और इसका परिणाम आ रहा है। हमारी कोशिश यह है कि बातें बहुत हो गईं, अब कुछ ठोस काम होना चाहिए। अगर हम नशे को नहीं हरा पाए, तो उसका हमें अफसोस होना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई ऐसी बाते हैं - जैसे, ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो। मेरा यह एक सुझाव है कि ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो, लेकिन जो युवा इसमें धोखे या अन्य कारणों से फंस गए हैं, उनसे विक्टिम यानी बीमार जैसा ही व्यवहार हो। उनको ठीक होने में मदद की जाए। मैं दिल्ली से माननीय सांसद चुना गया हूं। दिल्ली में ड्रग्स और नशे के अपराधियों को दिल्ली की लोकल सरकार संरक्षण दे रही है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो पुलिस की कार्रवाई में भी बाधा डालते हैं। जब वह ऐसे कड़े फैसले लेती है, तब स्वयं…[*]पुलिस के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं वह शब्द यहां नहीं बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने पुलिस के लिए प्रयोग किया है। इसकी चिंता सदन को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यहां माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं, जो इल्लीगल घुसपैठियों की बहुलता वाले हैं। वहां पर ड्रग्स का बड़े स्तर पर व्यवसाय हो रहा है। ऐसी जगह पुलिस को बड़ी तैयारी से दीर्घकालिक योजना के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ माह पहले ओखला में एक युवक को दिन-दहाड़े मार दिया गया था, क्योंकि वह ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ शिकायत करता था।

---

[*] Not recorded as ordered by the Chair

कुछ लोगों ने इस देश में ऐसा भ्रम फैलाया है। मैं मुंबई के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं फिल्म उद्योग के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमारे साथी रवि किशन जी ने यहां एक बार ड्रग्स के खिलाफ बात की, तो कुछ लोगों ने बिना सार को समझे हुए, थाली में छेद करने जैसी बातें करनी शुरू कर दीं।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समय की मर्यादा समझ रहा हूं। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि ड्रग से बॉडी में फिटनेस आती है, ज्यादा देर काम करने की क्षमता बढ़ती है। यह तनाव खत्म करने में मदद करता है। इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से देश के फिल्म-कलाकारों, युवाओं और प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए एक साजिश के तहत ड्रग एडिक्ट्स बना दिया। इसका परिणाम भयानक हुआ। हमने सुशांत राजपूत जैसे व्यक्ति को खो दिया।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार जिस प्रकार से मादक पदार्थों की आपूर्ति और मांग दोनों को कम करने के लिए काम कर रही है, वह प्रयास बहुत सकारात्मक है। उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो इस नशे की भी होनी चाहिए। मैं लास्ट में दो लाइनें कहूँगा। आजकल राजनीतिक पार्टियाँ चन्दा लेती हैं। आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कहा था कि दो हजार रुपए से ऊपर कोई भी बिना एकाउंट के चन्दा नहीं ले सकता है। क्या चन्दा लेने वाले लोग यह समझते हैं कि वह चन्दा किससे लिया जा रहा है? ऐसी स्थिति में, मैं इस चर्चा को बहुत ही सकारात्मक मानता हूँ।

मैं इस चर्चा के अंत में सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि कई लोग यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चर्चा करके विडियो वायरल करते हैं, लेकिन वे खुद भी सोचें कि क्या वे इतनी भयानक बीमारी को खत्म करने के लिए दिल से कोशिश कर रहे हैं?

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): … (*Interruptions*)... *

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Expunged as ordered by the Chair

HON. CHAIRPERSON: Please maintain the time limit.

SHRI RITESH PANDEY: Sir, I will finish my speech in two minutes. मैं सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 47 को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, "कि राज्य की विशेषताएं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग और प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम इसे रोकने के लिए जो कुछ भी हो सके, वह करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा यह प्रयास हो रहा है और बहुत ही हिसाब से इस दिशा में चलने का काम हो रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अन्दर पिछले तीन सालों में हमने देखा है कि हेरोइन की डिमांड और कंजम्पशन बढ़ता चला गया। खास तौर से, यह युवाओं के अन्दर पाया जाता है। नेपाल हमारे जिले के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। वहाँ से भी मादक पदार्थ आने की बातें होती हैं। हमें यह भी पता है कि अफगानिस्तान और समुद्र के रास्ते से 70 परसेंट ड्रग्स आता है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बड़े लेवल पर और ग्रास रूट लेवल पर जो जानकारियाँ मिल सकती हैं, हालाँकि बहुत सारे तथ्य हमारे पास नहीं हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस तंत्र भी इसके अन्दर अपनी संलिप्तता दिखाता है। एक बहुत बड़ा इश्यू यह भी है कि हमारे देश में, चाहे अवैध शराब बन रही हो, चाहे ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा हो, इसे संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस फोर्सेज के अन्दर जो लोग होते हैं, उनसे भी मिलता है। उसका एक प्रमुख कारण है।

Sir, I am concluding. I know that I have very little time as somebody from my Party has already spoken. सर, हमें यह देखने को मिलता है कि इसका संरक्षण कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा भी किया जाता है। चाहे इसको लाने की बात हो या इसका व्यापार कराने की स्थितियां हों। मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बने, जिसके अंदर, भले ही पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन पुलिस यदि इन कामों में इनवॉल्वड रहती है, तो पुलिस के ऊपर भारी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ वह इन कामों के अंदर न घुसे इसके लिए खास तौर से जो सिपाही वर्ग है, इसकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनकी

तनख्वाह कम है और वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा हैं कि वे कहीं न कहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इन कामों के अंदर संलिप्तता करते हैं। अत: मेरा इस पटल के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि कहीं न कहीं हमारे पुलिस विभाग के लिए एक खास कानून बनाकर उसे सुधारा जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : चेयरमैन सर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, हम सब इस विषय के बारे में जानते हैं। नशे की भीषणता, भयावहता और मारकता के बारे में हमारा अनुभव है। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, जैसा कि अभी बिहार में हुआ। पंजाब के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने व्यापक तरीके से अपनी पीड़ा का व्याख्यान किया। परिवार पस्त हो जाता है, समाज ध्वस्त हो जाता है। हमारी सरकार का इन नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जीरो-टॉलरेंस है। मैं मानता हूं कि हमारे मान्यवर प्रधान मंत्री जी और मान्यवर गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है।

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलित रूप से एक एक्शन प्लान बनाना है। इससे धन हानि भी होती है, प्राण पीड़ा भी होती है और इससे राष्ट्र की अंतरआत्मा कांप उठती है। रास्ते से कई लोगों को एक्सीडेंट के कारण उठाकर हम कभी-कभी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 90 परसेंट से ज्यादा एक्सीडेंट्स का कारण नशा है।

सर, मैंने 20 सालों तक इसके लिए आंदोलन किया। मैंने देखा कि कुछ गांवों में तीन-चार महीनों में एक मुकदमा होता है। वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में हमने दो-चार गांव नशामुक्त करवाए। आज तक इसमें एक भी मुकदमा नहीं चला। अकाल मृत्यु के कारण हमारी कई बहनें विधवा हो जाती हैं। नशे की सबसे बड़ शिकार हमारे माताएं हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे - “Our great national sin is neglect of women and tyranny over masses”.

सर, माताओं को न्याय देने के लिए भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। इसमें बहुत मेडिकल कष्ट होता है। जब हम आंदोलन चलाते थे, तो उस समय कलेक्टर बोलते थे और जब हम पिकेटिंग

करते थे, तब एक्साइज सुपरिटेंडेंट बोलते थे। कभी-कभी जब मैंने विधान सभा में यह सवाल उठाया, तो सरकार ने भी उत्तर दिया। कलेक्टर और एक्साइज सुपरिटेंडेंट का कार्य यूनिफॉर्म अनुसार है, जैसी एक ट्रेनिंग हुई है। वे बोले कि दारू से हमको रेवेन्यु आता है। मैंने पूछा कि आपको क्यों रेवेन्यु की दरकार है? वे बोलते हैं कि हम नशे को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको लीगलाइज़ करके इसकी सेलिंग करते हैं, सरकारी दुकान खोलते हैं। मैंने बोला कि पुलिस के द्वारा तो क्राइम को भी बंद नहीं किया जाता है, तो चोरी, डकैती, रेप, मर्डर के लिए क्या टेंडर निकालेंगे? क्या सरकार की मदद से यह चलेगा? इससे रेवेन्यु आएगा?

सर, मैं चाहता हूं, जैसे हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो क्या हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं? गुजरात में जैसे हुआ, वैसे ही कानून बनाना चाहिए और कानून का जो उल्लंघन करेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, पीनल प्रोविजन होने चाहिए।

सर, हमारे यहां ओडिशा में वर्ष 1954 में जब मान्यवर श्री नवकृष्ण चौधरी जी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने संपूर्ण नशामुक्ति के लिए एक बिल पास करवाया था। आज तक इस कानून को इफेक्टिव नहीं किया गया है। इससे परिवार असहाय होता है, एक बालक असहाय हो जाता है। कोई टीचर नशे के कारण एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका बेटा असहाय हो जाता है।

मैंने एक गांव में देखा, जब हमने नशामुक्ति के लिए सत्संग चालू किया, इसके कारण उनको सर्वोदय समाज द्वारा सम्मानित किया गया, मैं खुद गया था। इससे कितनी पीड़ा होती है। वे पोस्ट विक्टिम हैं। कभी-कभी मैंने देखा, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाता था, तब एक बालक ने बोला कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं। उसके पिताजी ने विरोध किया। मैंने बोला ऐसा क्यों? इस पर वह बोला कि मेरे पिताजी दारू पिएंगे, जिसके लिए पैसा चाहिए और उनको दारू पीने के लिए मुझको खदान में काम करने के लिए जाना पड़ेगा।

महोदय, आप सोच सकते हैं कि यह कितनी दिल को दुखाने वाली घटना है। हमारे एरिया में एक आदिवासी महिला को उसके पिता ने गरीबी के कारण बेच दिया और दिल्ली में उसकी शादी हुई।

उसका पति उस महिला को नशे में बहुत मारता है और बाद में उसे जलाने के लिए रस्सी में बांध दिया। उस महिला के पति का बड़ा भाई… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उदाहरण छोड़िए, प्वाइंट पर बात कीजिए।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी: ठीक है महोदय। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। डेढ़-दो साल पहले मैंने कोविड के समय देखा कि एक पुलिसकर्मी ड्रग्स कारोबार से कनेक्टेड था। ड्रग्स व्यापारी बोलता है कि मैंने पुलिस को तीन लाख रुपया दिया। पांच लाख रुपये में फाइनल बात हुई थी। मैंने बाकी दो लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए मैंने डीजी को लैटर विडियो क्लीप के साथ दिया। एसपी को भी लैटर और विडियो क्लीप दी। उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। मैंने बार-बार प्रेशर डाला। यदि पुलिस संलिप्त हो जाएगी, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कॉमन मैन के लिए अलग प्रैक्टिस और वीआईपी लोगों के लिए अलग प्रैक्टिस, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। राज्यों में क्या स्थिति है, यह हम जानते हैं। चुनाव के समय शराब बांटना बहुत खतरनाक स्थिति है।

माननीय सभापति : धन्यवाद, आप बैठ जाइए।

श्री बैन्नी बेहनन।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

There is a strict direction from the hon. Speaker that by sharp 2 pm, we have to conclude the debate. Thereafter, the hon. Home Minister would reply to the debate. More than 20 speakers are there. Two to three minutes each is the allotted time. Kindly cooperate with the Chair.

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सभापति जी, नशे के कारण डाक्टर ऑपरेशन टेबल पर अनर्थ कर देता है। ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, टीचर गलत काम करता है, पुलिस ड्यूटी पर सो जाती है। नशे की प्रस्तुति भी विषाक्त तरीके से होती है। गैरकानूनी ड्रग्स कारोबार से ब्लैकमनी आती है और देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। नए भारत के निर्माण के

लिए हमारे बुद्ध, गांधी जी, विवेकानंद जी, हमारे मान्यवर नरेन्द्र मोदी और मान्यवर गृह मंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, इस भारत को नशा मुक्त करना चाहिए और इसके लिए एक सैंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, since yesterday, we have been discussing this subject. Many hon. Members have expressed their views and concern, which I share. This discussion itself gives a strong message that our Government and the august House are concerned about the subject.

Substance abuse is a global concern that has been negatively impacting the physical and psychosocial well-being of the population. In India, over the past few years, the prevalence of drugs and illicit liquor has increased. Alcohol is the most commonly used psychoactive substance in India, followed by cannabis and opioids, with 16 crore, 3.1 crore, and 2.26 crore individual users, respectively.

The use of drugs and alcohol has a negative impact on a community, and it is well recognized that substance abuse is a major cause of premature death and disease. According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), since 1999, drug overdoses alone have resulted in the deaths of about one million people in India.

According to data from the Narcotics Control Bureau (NCB), ten crore people in the country are currently dependent on various narcotics. There are reportedly 1.58 crore children in the nation that are addicted to drugs between the ages of 10 and 17 as well. The sad fact is that it is not only the narcotic substance users that are being affected by substance abuse, in fact, women and children in

the families are also socio-economically and psychologically severely impacted by the substance abuse. It is estimated that 5.7 crore people are affected by alcohol addiction and 25 lakhs by cannabis addiction dependence.

13.00 hrs

The situation has become worse as synthetic meth, as mentioned earlier, and other drugs are flowing into the nation through Afghanistan and Pakistan. The huge inflow of marijuana and heroin is increasing the availability of drugs to even school students in Kerala. According to the National Crime Records Bureau's most recent data, 3,060 kg of drugs were seized from various locations throughout Kerala. According to the law enforcement officials, 1,3694 kg of marijuana had been smuggled into the State for street sale.

Today, even young children in schools are used as tools for peddling drugs. To cite an example of their plight, I would like to inform this house that, not many days ago, a 13-year-old girl in Kozhikode in Kerala reported that the psychoactive drug sellers used her as a carrier.

To tackle this grave situation, the way forward is to primarily cut the supply of narcotic drugs and psychotropic substances through strictly monitoring the ocean and borderlines. The Governments should simultaneously ensure that the domestic production of illicit liquor and drug should be strictly monitored and rigorous measures should be envisaged to penalise the violators. For that, the narcotics and excise departments should be strengthened, as well as the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act should be stringently followed.

Furthermore, education curricula should impart awareness of substance usage including that of alcohol. For the same, NCERT recommended that school textbooks should include information on drug misuse and its harmful effects so as to sensitize children at their young age itself.

To conclude, India has always been ideally reminded and guided by Mahatma Gandhi's ideology. So, I would urge the parliament to invoke the Gandhian principles of prohibition of intoxicating drinks and drugs as Government's policy and, therefore, endeavour to prohibit the use of intoxicating drinks and drugs in India.

SHRI DILIP SAIKIA (MANGALDOI): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the issue of drug abuse in the country and steps taken by the Government. महोदय, मैं अपने देश की इस बड़ी समस्या, ड्रग एब्यूज के लिए सदन के पक्ष तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस विषय पर कोई कुछ न बोलें। देश के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान हम सबको मिलकर करना है। भारत सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग एब्यूज' की जो नीति अपनायी है, उसके परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी आयी है, इस संबंध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 2006 से 2013 तक पूरे देश में कुल 1,256 मामले रजिस्टर्ड हुए थे और वर्ष 2014 से 2022 तक ये बढ़कर 3,172 हो गए, जो 152 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2006 से 2013 तक जो ड्रग पैडलर्स अरेस्ट हुए, उनकी संख्या 1,363 है और वर्ष 2014 से 2022 तक उनकी संख्या 2,888 है, यानी 216 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जो शेष ड्रग्स हैं, उनका आंकड़ा वर्ष 2006 से 2013 तक 1.52 लाख किलो है और वर्ष 2014 से 2022 तक ये बढ़कर 3.33 लाख किलो हो गया है, जो कि दो गुने से भी ज्यादा है। इसका एक ही मतलब है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मादक

पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु भारत सरकार ने जो नीति अपनायी है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। महोदय, मैं एक बहुत ही संगीन विषय उठाना चाहता हूं, जो कि हमारे देश के युवाओं के सामने खड़ा है। भारत युवाओं का देश है। यहां की 60 प्रतिशत आबादी 40 साल से कम आयु की है, लेकिन 20 साल से कम आयु के जो लोग हैं, उनमें 10 में से 9 लोग ड्रग्स लेते हैं। यह एक बहुत भयानक तथ्य है।

इसीलिए इस व्याधि को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को एकसाथ इकट्ठा खड़े होना चाहिए। महोदय, मैं असम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नॉर्थ-ईस्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि म्यांमार से होकर जो ट्रांजिट रूट है, उससे ड्रग्स आती है, नॉर्थ-ईस्ट में भी ड्रग्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है। उसकी रोकथाम के लिए नॉर्थ-ईस्ट में सरकार ने काफी प्रयास किया है। असम सरकार ने, विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि मई 2021 से 18 दिसंबर 2022 तक असम गवर्नमेंट ने, डॉ. हिमन्त बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो असम सरकार है, टोटल 4,666 केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी तक करीब 1,114 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद हुई और उसे नष्ट किया गया है। इसका मतलब है कि असम सरकार ने भी प्रतिबद्धता के साथ ड्रग्स एब्यूज के खिलाफ, ड्रग्स व्यापार के खिलाफ बहुत कड़ी व्यवस्था ली है। मैं इस सदन के सामने एक ही विषय रखना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो सपने दिखाए हैं, उन्होंने उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, उन कार्यक्रमों को पूरे देश भर में सभी सरकारें - केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश - सभी लोग एकसाथ होकर लागू करें और इस व्याधि को खत्म करने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। मेरा इतना ही कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Thank you, Sir. I rise to speak on the drug abuse problem in the country. The Home Minister is not here. But I see that he does not display the same sense of urgency in removing drug abuse as he does in political capturing in Gujarat.

कई माननीय सदस्य : राज्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं।… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? … (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Ministers of State are *…* * … (*Interruptions*)

Sir, he does not display that sense of urgency. There is a Nasha Mukt Bharat Abhiyan. It is only in 272 districts, only half the districts in the country. Many questions have been raised during this debate. I would like the Home Minister to reply to the same.

Is the Home Minister thinking of capital punishment for possession of drugs as is there in Singapore? What about misuse of NDPS Act, 1985 wherein policemen put people under NDPS for getting some money but not to fight drug dealers? What about the use of sea route? Why is Gujarat, especially the port of Mundra owned by Adani, revealing so many drug seizures? What is the Government doing about drones which are carrying drugs over the Punjab border? All the drug dealings are happening through the Dark Web and by the use of cryptocurrency. What is the Government doing in controlling the Dark Net or the cryptocurrency?

There are many complaints about the Narcotics Control Bureau. We know the case of *…**, an officer who arrested Shahrukh Khan's son. NCB is full of such people who indulge in corruption.

Sir, drugs are the biggest problem in the world today. The total trafficking is worth a staggering 650 billion dollars. In India, 22,000 people die because of drugs. We have many drugs. We have cannabis, that is ganja and charas. We

---

* Not recorded

have opiates sold as opium, heroine, smack, pharma opiates. We have medicinal drugs, sedatives used as drugs. We have the inhalers which are maximum used by children. Another drug category is hallucinogens. They are also used in limited circles. What is the Government's plan about them?

Sir, the problem is not with people in high places in Mumbai, the film world, who are high on drugs. The problem is with the poor people. I see the rickshawalas sitting on their rickshaw and smoking ganja. I see the vegetable vendor going to a corner of the road and taking smack through a small pipe.

We are not saving them. We are driving them towards death. So far, all the steps of the Government have been inadequate. We need a national movement for removal of drug abuse. We need a total consciousness campaign, as you had mentioned in your speech. We need urgent action by the Government of India. Surveys on all these drugs are there. I am not talking about the Medellin Cartel of Columbia. I am not talking about the drug lords of Mexico.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, the hon. Minister.

PROF. SOUGATA RAY: But in India, there are small Medellin Cartels who receive support from some powerful circles. I want to know what the powerful Home Minister, who displays his political अगली बार 200 पार in those places … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

PROF. SOUGATA RAY: Lastly, I want to say that our State, West Bengal is still better. Uttar Pradesh has the highest number of cannabis users followed by Punjab, Sikkim, Chhattisgarh and Delhi.

HON. CHAIRPERSON: Sougata *ji*, please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, my last point is this. Out of the total opioid users, roughly one-third are from Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Maharashtra and Delhi.

HON. CHAIRPERSON: Next, hon. Minister, Som Prakash *ji*.

PROF. SOUGATA RAY: Nearly seven per cent of the population in Mizoram consumed opioids followed by Nagaland, Arunachal Pradesh and Sikkim. We are still better. But what is the Government doing about the biggest State, Uttar Pradesh wherein in some places cannabis is cultivated openly? … (*Interruptions*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट और संवेदनशील मसले पर, जो देश में व पंजाब में ड्रग्स का मसला है, उसके बारे में बोलने का मौका दिया। कहते हैं कि ड्रग्स का बिजनेस दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस है। अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब गुरुओं, पीरों की धरती है। पंजाब में, जहां वेद लिखे गए हैं, जहां रामायण लिखी गई, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, पंजाब को हम भांगड़े के लिए जानते थे, गिद्दे के लिए जानते थे। हम कटारियों के लिए जानते थे, लेकिन आज पंजाब नशे के लिए जाना जाता है। पंजाब के नौजवान नशे से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं। सर, ड्रग्स पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिये आती है और हथियार भी आते हैं। पंजाब में ड्रग्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की काफी बुरी हालत हो गई है। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर ये सब लोग करते हैं। वहां इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स है। पंजाब के एक डीजीपी शंशिकांत हुए हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब में 60 हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स का लेन-देन होता है और उन्होंने कहा था कि मैंने 15-20 पॉलिटिशियन्स, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आईएएस

ऑफिसर्स के नाम दिए हैं, जो इस काम में शामिल हैं, लेकिन पंजाब में उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब विधान सभा में भी यह मसला कई बार डिस्कस हुआ है, लेकिन वहां पार्टीबाजी और एक दूसरे पर एक्यूज करने में लगे रहते हैं। ड्रग्स के मसले को सॉल्व करने में किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए पंजाब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। सर, आपने दो-तीन मिनट बोलने के लिए कहा है। मैं एक-दो उदाहरण दूंगा। अमृतसर में एक गांव मकबूलपुरा है, उसके 384 परिवार इस नशे की लत में हैं और एक गांव के 100 आदमी जेल में बैठे हुए हैं। वहां के 60 परसेंट लोग नशा करते हैं। तरन तारन के पास में एक पिंड अगाड़ है, वहां का एक लड़का सतबीर सिंह जिम चलाता है। उसने कहा कि हम 40 लोग थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिनमें से 30 लोग नशा करके मर चुके हैं। अब हम दस लोग जिंदा हैं। पंजाब में इस तरह की हालत है। खन्ना में एक लड़का पैदा हुआ, उसको स्मैक बॉय कहते हैं। उसका दो साल का बेटा नशा करता है, क्योंकि उसकी मां नशा करती थी। उसके दूध में नशा आया, इसलिए वह दूसरा दूध पीता नहीं है। वह उस दूध के बगैर रह नहीं सकता। उसकी हालत यह है कि वह कुछ नहीं बोलता है। पंजाब में इस तरह की हालत हो रही है।

सर, पटियाला में एक गांव रसूलपुर है, जिसमें एक लड़के ने बताया कि वहां पर 9 से 10 साल के 24 लड़के नशा करते हैं। सर, इस तरह की हालत पंजाब में है। पंजाब में नशा छुड़ाने के लिए सारी पार्टियों को एक दूजे पर एक्यूज़िशन करने के बजाय साथ लड़ कर एक जोरदार मुहिम चलानी पड़ेगी। ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्यूज़ करती है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को एक्यूज़ करती है। मैं पंजाब विधान सभा में भी रहा हूँ। वहां एक पार्टी उठ कर एक खास लीडर को एक्यूज़ करती है और दूसरी पार्टी का नेता उठ कर कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह लीडर ऐसा काम कर नहीं सकता है।

सर, हमारा काम पंजाब को बचाने का है। अगर देश को बचाना है तो पंजाब को बचाने की जरूरत है। देश की सारी पार्टियां नशे को खत्म करने के लिए एकजुट हों और पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर काम करें। धन्यवाद।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, पूरी दुनिया में एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना साल 1987 में हुई थी। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद देश दुनिया में अभी भी लोग नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, जो निन्दनीय है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2022 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 40% बढ़ गई है। वहीं, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी), एम्स की 2019 में आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ भारतीय गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ भारतीय ओपियोइड (अफीम) का सेवन करते हैं, 77 लाख भारतीय इनहैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। महोदय, ड्रग्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये मिल जाए तो भी जान का खतरा है और न मिले तो भी इसका असर हो जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स से होती है। इनमें 7,860 लोग ऐसे थे, जिन्होंने ड्रग्स की वजह से सुसाइड कर लिया था।

महोदय, देश में बहुत सी जगहों पर खांसी की दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक युवा पीढ़ी को बर्बाद कर मुनाफा कमाने में लगे हैं। नारकोटिक्स और ड्रग विभाग कार्रवाई के नाम पर एक-दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। बाजार में करीब 41 तरह के कफ सीरप हैं। ज्यादातर में कोडीन फॉस्फेट का सॉल्ट है जो प्रतिबंधित है। बिना डॉक्टर के परामर्श के यह दवा नहीं मिल सकती, लेकिन देश में कुछ जगहों पर इन नियमों को दरकिनार कर यह धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है।

सभापति महोदय, मुंबई में प्रतिबंधित नशीली दवा 'कोडीन' (Codeine Drug) से युक्त कफ सिरप (Cough Syrup) का व्यापर बड़े ज़ोरों से चल रहा है। इसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में ज्यादा किया जा रहा है। कोडीन फॉस्फेट युक्त 100 एमएल के कफ सीरप की अधिकतम कीमत 165 रुपये है। लेकिन कई मेडिकल स्टोर्स संचालक 450 रुपये तक का एक कफ सीरप बेच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें शराब से ज्यादा नशा होता है और खास कर युवा वर्ग इन सीरप को ज्यादा खरीद रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि कोडाइन फॉस्फेट को विशिष्ट खाद्य श्रेणी में रखा जाए ताकि कोडाइन / फेंसिड्रिल के कारोबार को मादक पदार्थों की रोकथाम करने वाले कानून के तहत लाया जा सके।

महोदय, मेरे मुंबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रग्स का असर है। ड्रग्स को आप 2 कैटेगरी में देखना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, मैं ग्रुप लीडर हूँ। मेरी पार्टी से किसी ने नहीं बोला है। मैं पहली बार अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ।

महोदय, अगर आप मुंबई को देखेंगे तो उसे 2 हिस्सों में देखा जाएगा। एक तो जो रिच पीपल्स हैं, वे हेरोइन और कोकेन का सेवन करते हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप है, आप देखेंगे तो वे कफ सीरप का सेवन करते हैं और स्लम में आप देखें तो वे लोग ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स लगा कर सेवन करते हैं।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी से Vinayak Raut ji has already spoken.

… (*Interruptions*)

श्री राहुल रमेश शेवाले : सर, वे हमारी पार्टी में नहीं हैं। … (व्यवधान) मैं फ्लोर लीडर हूँ। … (व्यवधान) बस 2 मिनट में अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूँ। … (व्यवधान)

आप देखेंगे तो मुंबई में जो हाई इनकम ग्रुप है, रिच पीपल्स हैं, वे अलग सेवन करते हैं और जो गरीब हैं, वे अलग सेवन करते हैं। जब सेंट्रल गवर्मेंट की अथॉरिटी मुंबई में एक्शन लेती है तो जब सेलेब्रिटी रहेगा तभी उस पर एक्शन लेती है और बाकी एक्शन नहीं लेती है। जो एक्शन राज्य सरकार को स्लम में लेना चाहिए, वह भी न होने की वजह से मुंबई में इसका ज्यादा से ज्यादा असर हो रहा है।

महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक गंभीर विषय पर बोला है, जिस पर मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनकी मौत के बारे में एक विषय निकाला था। सभी ने उस बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त की थी। उस वक्त सुशांत के केस में 3 लैवल पर इंक्यावरी हुई थी

महोदय, मैं एक गम्भीर विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत की मौत का विषय उठाया। सभी ने उसके बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। सुशांत के केस में तीन लेवल पर इंक्वायरी हुई थी। मुम्बई पुलिस ने इंक्वायरी की थी, बिहार पुलिस ने इंक्वायरी की थी और बाद में सी.बी.आई. ने भी इंक्वायरी की थी। लेकिन, बहुत सारे प्रश्न आज भी लोगों के मन में उपस्थित हैं और उनके जवाब अभी तक नहीं मिले। वे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के केस की सी.बी.आई. जांच का क्या स्टेटस है? मौत के कारणों के सम्बन्ध में क्या सी.बी.आई. किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? क्या यह सच है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर हाथापाई और स्टेन्गन के निशान थे? क्या सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई है? कौन थे वे लोग, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आस-पास आए थे?… (व्यवधान) उसका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीन लिया।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले : क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई? क्या यह सच है कि वह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के सम्पर्क में थी और उसकी दोस्ती थी?

इसमें 'ए.यू.' का नाम आया है। सुशांत के पहले, रिया चक्रवर्ती को 44 कॉल्स 'ए.यू.' के आए। 'ए.यू.' को लीगल में अनन्या उद्धव कहते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इंवेस्टीगेशन किया था …* करके, तो …* का नाम आया था। इसकी भी इंवेस्टीगेशन होनी चाहिए।… (व्यवधान)

सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : लास्ट सन्टेन्स बोल कर आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले : सभापति महोदय, 'ए.यू.' का विषय बहुत ही गम्भीर है। 'ए.यू.' अनन्या उद्धव नहीं है, 'ए.यू.' …* है, ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। मुम्बई पुलिस का इंवेस्टीगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है और सी.बी.आई. का अलग है। लोगों के मन में प्रश्न हैं तो इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और उसके कारणों की जांच होनी चाहिए।… (व्यवधान)

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the problem of drug abuse in the country and steps taken by the Government. Hon. Chairperson, Sir, as per the data published by the National Crime Records Bureau, about 13,69,944 kilograms of drugs were seized in India in the year 2020 alone. I wish to address my colleagues in the Opposition -- who are concerned about larger seizures -- that we should rather appreciate our enforcement agencies for seizing them before being peddled to our youth. Our hon. Home Minister has already adopted a policy of 'zero tolerance against drugs'. I would like to request the Government to mandate all schools of the country for compulsory classes on the ill-effects of drugs and substance abuse as a part of academic curriculum from Class 5th onwards. The synthetic drugs like LSD and MDMA have also entered the market, and these drugs cannot be detected easily. So, I request the hon. Minister of Home Affairs to provide Artificial Intelligence technology to all the enforcement agencies, including those guarding

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

borders, airports and seaports for detecting trafficking of drugs. Hon. Chairperson, Sir, my concern about the use of Dark Net and cryptocurrency in illegal drugs trade has already been addressed by the hon. Minister of Home Affairs at the Apex Level Committee of Narco Coordination Centre meeting in December, 2022. There are possibilities of misuse of law especially on account of low conviction rates under anti-drug laws. In this regard, I wish to make two important requests to the Government in order to protect the rights of both the accused and victims, and to also, uphold the national interest. First, I would like to request the hon. Minister to bring suitable amendments in legislation to provide that all evidence in favour of the accused shall be supplied to the accused for defence. Such fair disclosure will also save judicial time. Secondly, I would also like to request the Government to establish a national monitoring committee, headed by our hon. Home Minister, to take action against the misuse of anti-drug laws by officials.

Finally, I want to finish with this point. I wish to say that this exercise cannot be left only in the hands of the enforcement agencies. Rather, every citizen, parents and teachers have to take responsibility to stop the menace of drug abuse in the country. Citizens should become the eyes and ears of the enforcement agencies for drug elimination.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Chair decides to accommodate all the Members. But all of you have to cooperate with the Chair by taking 2-3 minutes. With this request, next speaker is Shri Jagdambika Pal Ji.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Thank you, Sir.

But I must also thank you that you have made this announcement before my speech and not before others' speech. I have to confine myself within 2-3 minutes. यह ठीक है, अब मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मेरे लिए बात कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, चाहे दानिश भाई हों, रितेश पाण्डेय जी हों, वह कह रहे हैं कि दो मिनट के आगे जीरो लगा दीजिए। अगर 20 मिनट्स की बात है तो मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा। अगर मैं इस विषय की गंभीरता की बात करूँगा तो कम से कम आप इसका आधा समय दे देंगे।... (व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन बातों की पुनर्रावृति नहीं करना चाहता हूँ, जो बातें कल से बड़ी गंभीरता से हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं। निश्चित तौर से देश-दुनिया के लिए यह एक चिंता का विषय है। यह केवल किसी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है, बल्कि पूरी पीढ़ी को नुकसान कर रहा है, जिस पर किसी देश का भविष्य मुनहसर करता है और किसी देश के भविष्य का मुस्तकबिल निर्भर करता है। इसलिए, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह ठीक है कि वह हमारे मित्र हों, कहीं किसी पक्ष में बैठे हों, तो वह अपनी बातों में कहीं न कहीं सरकार पर कुछ आक्षेप और आरोप करें। यह एक आदत-सी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आप भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब भी कॉलिंग अटेंशन में विषय स्वीकृत होता है तो जिस माननीय सदस्य का कॉलिंग अटेंशन होता है, उसको बोलने के लिए दो मिनट का अवसर होता है। मिनिस्टर उनको रेस्पॉन्ड करता है। लेकिन, हमारी सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। इसको कॉलिंग अटेंशन के बजाय नियम 193 में संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। आज इस विषय पर पूरा सदन पार्टिसपेट कर रहा है। निश्चित तौर से हमारी सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है। वह केवल इस सदन में गंभीर नहीं है, बल्कि जब से हमारी सरकार आई है, इसके खिलाफ, एक युद्ध नशे के विरूद्ध हो, इसको एक अभियान बनाकर चलाया है।

महोदय, आपको याद होगा कि जिस तरह से देश में पहली बार हुआ, हमारे पंजाब के लोग बैठे हैं, अभी माननीय सोम प्रकाश जी पंजाब की बात कर रहे थे, उनको सुनकर जिस तरह से तकलीफ हो रही है कि जो बच्चा पैदा हुआ हो, अगर वह अपनी माँ के दूध से ही एडिक्ट हो तो उस जेनरेशन का क्या होगा?

पंजाब के लोग आज पूरी दुनिया में हर जगह हैं। उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वे कनाडा की सरकार में होंगे, ब्रिटिश सरकार में होंगे। लेकिन आज पंजाब में इस प्रकार की पीढ़ी हो रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

महोदय, पहले हम क्या करते थे? अगर पहले कोई ड्रग एब्यूज में एन्गेज होता था तो उसके खिलाफ शासन-प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती थी, एफआईआर हो दर्ज हो जाती थी और वह जेल चला जाता था। इस प्रकार वह एक्टिव थी, लेकिन आज हम प्रो-एक्टिव हो गए हैं। आज केवल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा, हमारे गृह मंत्री जी द्वारा 30 जुलाई, 2022 को देश में पहली बार चार स्थानों पर लगभग 30,000 किलो नारकोटिक्स को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, यह इस बात का सबूत है कि अब हम प्रो-एक्टिव होकर देश के नशा मुक्ति अभियान में केवल कैरियर्स को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सारी चीजों को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम चलाकर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसमें पहल की है। आज हम केवल एक कैरियर को पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्रालय का निर्देश है कि अब चाहे कैरियर हो, किंगपिन हो जिसने उससे प्रॉपर्टी जेनरेट की हो, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हो, आज हम केवल इस ड्रग्स के एब्यूज को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसको पूरी तरह से क्रैक कर देना चाहते हैं, चाहे उसका राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संबंध हो। यह इस तरीके की एक पहल है।

महोदय, अगर आप एक रिपोर्ट देखिए कि आज क्या स्थिति है। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट देखें तो आज पूरे विश्व में 28 करोड़ 40 लाख लोग हैं। यह केवल इसी देश की चिंता की बात नहीं है। आज आप सरकार के ऊपर

बात करते हैं, क्या आपने अपने मुहल्ले, शहर और गांव-घरों में नहीं देखा है? कौन माँ-बाप चाहता है कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाए?

ऐसा कोई नहीं चाहता है। यह एम्स की रिपोर्ट है कि almost 80 per cent parents are unaware of their child's drug addiction. Most of them learn about it after one or two years and by that time, the children become regular addicts according to a study conducted.

मुझे लगता है कि हमने प्रेसीड्स ऑफ क्राइम में काम किया है। इस बात पर चाहे एम्स की रिपोर्ट हो कि 3.1 करोड़ लोग ड्रग्स का उपयोग करते हैं या हमारे वर्ल्ड में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ड्रग्स का थ्रेट क्या है? इंडिया में, हमारे युवाओं में भविष्य में ड्रग एडिक्शन का खतरा बढ़ रहा है। हम उसको नहीं दोहराना चाहते हैं कि गोल्डन ट्राइएंगल में चाहे थाइलैंड, म्यांमार की बात करें, लेकिन सीमाओं पर गोल्डन क्रिसेंट को भी रोका है। पंजाब की बात पर सोम प्रकाश जी ने कहा ही है कि 33 पर्सेंट क्राइम बढ़ गया और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़े एमाउंट पर हो रहा है। भारत सरकार इसके लिए अनेक उपाय कर रही है। हमने ई-पोर्टल लांच किया है, सर्विस इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, 2019 को लांच किया है, एनडीपीएस में काम कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल फंड क्रिएट किया है और एक प्रोजेक्ट 'सनराइज स्कीम' किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से, जो मेडिकल रिहैब की बात हो रही है, मैं उसको विस्तार से नहीं कहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ने वर्ष 2016 में इसे किया है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी**,** समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए 6 मिनट हो गए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कंक्लूड कर रहा हूं। … (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने अमृत महोत्सव में कहा कि ड्रग फ्री इंडिया हो। आज पहली बार उस अमृत महोत्सव में हमारे गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने एक संकल्प लिया है कि हम भारत को नशामुक्त बनायेंगे। आइए, आज हम सब लोग एक हों और राजनीति से ऊपर उठें। आज बड़े लेवल पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें गम्भीरता से जो संकल्प निकलेगा, उसे संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में लागू करेंगे। यह केवल एक

दायरे में, मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं रह गया है। आज यह कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फैल रहा है। इसको रोकने का संकल्प हम सभी को लेना होगा।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in this important debate.

According to the Comprehensive National Survey on the Extent and Pattern of Substance Use in India, 2018, 14.6 per cent consume alcohol, 2.8 per cent consume cannabis and 2.1 per cent resort to opiates. In a country with a population exceeding 130 crores, these numbers should worry all of us present over here. In fact, 1.58 crore children aged between ten years and seventeen years are addicted to substances in the country. The number of alcohol consumers aged ten years to seventeen years amounts to 30 lakhs while cannabis users in the same age group are about 20 lakhs. And we can safely say these numbers are under-reported. So, the actual numbers are even more. These are Indians who are legally and, more importantly, emotionally classified as children. This is a problem because the maturing brain in adolescents is particularly more vulnerable to the acute use of drugs, and drug use during adolescence increases the chances of substance use disorder later in life. However, in order to tackle this issue, we need to understand our geography and the geopolitics behind it. India is sandwiched between two major drug producing rings of the world, namely, the Golden Cresent (Pakistan, Iran, Afghanistan) and the Golden Triangle (Thailand, Laos, Myanmar). Hence, India is located in a location that will inevitably make it vulnerable to drug trade. Since many of the drug trade supply chains are international, it becomes all the more pertinent to

take up these negotiations with neighbouring countries and evolve regional security architecture to combat the issue. Platforms like SAARC, ASEAN and regional NSAs meet could serve as a great platform for the Central Government also. Drug abuse also impacts families economically and impoverish them while making their generations more likely to be in poverty. According to a paper by the National Institute on Drug Abuse, weekly expenditure on drugs amount to 13 dollars and the total expenditure ranges between 250 dollars and 25,000 dollars. This is a huge amount for a country like India. There is also a liquor connection to drugs. In the name of banning liquor, in most cases, we have been observing that the State Governments take over the liquor business. Underground liquor mafia and black markets with spurious liquor start to flourish. Instead of reduction in addiction, it leads to increase in deaths due to consumption of spurious liquor. Some of those who are trying to avoid adulterated liquor will shift to other alternatives like drugs to sustain their addiction.

In 2020, NCRB reported almost 60,000 cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, which was reportedly a two-fold increase in the last decade alone. Clearly, a legal-only approach towards drug abuse and addiction is not yielding satisfactory results.

Instead of a retributive justice and punitive framework, the governance structures need to approach it as a public health problem. It is a disease that needs to be tackled through rehabilitation instead of revenge. Instead of a compulsory imprisonment for the possession of small amounts of drug as per NDPS Act, a de-addiction treatment and rehabilitation strategy should be adopted

by the Central Government. Any or all treatment gaps for drug users should be plugged at the earliest. There is a need for district-level and other forms of decentralised service regularly to identify all at-risk districts and regions and evolve a specific plan for them.

In the last five years, under the National Action Plan for Drug Demand Reduction, 2,85,559 persons have availed assistance in 2021-22 alone. While we acknowledge the presence of schemes such as Nasha Mukt Bharat Abhiyaan in 272 districts, more needs to be done. As mentioned earlier, a psycho-social approach towards this issue will help us to get rid of the issue. Sir, I want to take this opportunity to mention about Portugal. The Portugal Government decriminalised drug related offences and, instead, started treating it as a public health issue. Since the inception of this strategy, the drug related offences have come down from 14,000 to 6,000, attesting to its effectiveness.

One important aspect of the problem is the farming of ganja in the country. The farmers involved in the profession do so out of the need for sustenance. In order to wean these farmers off weed, there needs to be a targeted strategy at providing alternative sources of income which will help to curb the drug menace. So, I urge the Government to take necessary steps and on behalf of TDP, we stand with the Central Government to make India a drug-free country. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, चर्चा के दौरान एक शिव सेना मेंबर का नाम लिया है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If you want to raise a point of order, please quote the rule. You cannot speak like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That cannot be allowed.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, while participating in the discussion, an hon. Member took the name of a Shiv Sena leader. So, my point of order is that he is not supposed to quote the name of a person who is not present here.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, it will be expunged.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): चेयरमैन सर, मैं इस महान सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग एब्यूज के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अनुसरण करते हुए हमने मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी संबंधी पहल की है, जिसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 32 हजार 182 एकड़ अफीम की अवैध खेती और 80 हजार 234 एकड़ भांग की अवैध खेती को नष्ट किया गया है। पिछले 3 वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित 1 लाख 80 हजार 770 मामले दर्ज किए गए हैं और 2 लाख 41 हजार 188 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

मादक पदार्थों के निपटान के लिए विशेष अभियान 26 जून, 2022 को शुरू किया गया था और आज तक 1 लाख 65 हजार 500 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। हम एक तरफ इस पॉलिसी पर चल रहे हैं और दूसरी ओर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को नशामुक्ति अभियान के लिए भारत सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। मुझे याद है, जब मैं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में एमओएस के रूप में काम कर रहा था, हमने 15 अगस्त, 2020 को 272 जिलों में नशामुक्ति अभियान को हरी झंडी दी थी। अब यह मंत्रालय दिन-रात इस पर काम कर रहा है और ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों तक मंत्रालय ने अपनी पहुंच बनाई है। मिनिस्ट्र ऑफ हैल्थ के साथ एमओयू साइन हुए हैं। भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और दो मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर ड्रग एब्यूज की बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है, इस पर अब काम हो रहा है। इतना ही

नहीं, हमारी सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ह्यूमेन ट्रेफिकिंग, मनी लॉड्रिंग और नशे के कारोबार पर भी कुठाराघात कर रही है।

महोदय, पहले शासकों के शासनकाल में सेलिब्रिटी ऐसे गीत युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए गाते थे 'दम मारो दम, मिट जाए गम' लेकिन आज के सेलिब्रिटीज़ को हमने इस प्रकार के स्लोगन बोलने के लिए कहा है – 'एक युद्ध, नशे के विरुद्ध' और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इंटरनेशनल लैवल पर जितनी भी कन्वेंशन्स नशामुक्ति को लेकर हुई हैं, चाहे वर्ष 1909 में नार्कोटिक ड्रग्स का मामला हो या शंघाई डिक्लेरेशन हो, … (व्यवधान) वर्ष 1912 में हेग इंटरनेशनल कांफ्रेंस नशामुक्ति को लेकर हुई थी। मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर ने वर्ष 1925 में जेनेवा में कन्वेंशन की थी। वर्ष 1931 में बैंकांक में नशे के विरुद्ध कन्वेंशन्स में जो बातें अपनाई गईं, आज उसके अंतर्गत भारत इस बुराई को समाप्त करने पर काम कर रहा है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to speak on a very important Discussion under Rule 193.

'Quitting smoking is easy – I have done it a hundred times", said Mark Twain, an American novelist.

Drug abuse like smoking is very uneasy to escape once you fall prey to it. The suicide of Sushant Singh Rajput, a talented and rising star in the Hindi Film Industry two years back, had been attributed to drug abuse. It shows how terribly the drug abuse has infected our society from street children to Bollywood superstars.

The incidence of drug abuse among children and adolescents is higher than the general population. This is notably because youth is a time for

experimentation and identity-forming. Many street children use cheap drugs to cope with the daily cycles of sexual, physical and mental abuse or as recreation to escape a life of poverty.

Drugs like heroin, opium, alcohol, and cannabis are the most common drugs being abused by children in India. Children affected by substance abuse are considered as children in need of care and protection under the Juvenile Justice Act, 2015.

Around 13 per cent of the people involved in drug and substance abuse in India are below 20 years, which calls for further stepping up of community intervention and preventive mechanisms targeting adolescents, according to the United Nations Office on Drugs and Crime.

There is a steep increase in the use of drugs among children and a drastic increase in crime rates relating to drugs in Kerala. Lack of trained public healthcare officials to work with children, child treatment and child care protocols were grave issues in the State. A lot of MDMA and LSD are being used and these new substances are being promoted among the youth as 'recreational drugs'.

Article 47 of the Indian Constitution imposes an obligation on the State to endeavour to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Hence, I submit that sensitization to prevent drug abuse must be included in school and college syllabus. The Narcotic and Psychotropic Substances Act must be amended to give stringent punishment including life imprisonment or capital punishment to the drug peddlers. Preventive detention of drug peddlers may be stipulated under the Act. The de-addiction of

child and adolescent drug-addicts must be given topmost priority. A separate department to combat drug menace may be constituted under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The NDPS Act should be Amended. Certain provisions of NDPS Act are being misused by the drug mafia. The practice of smuggling drugs in small quantities is followed by mafia because if they are caught, the punishment is very small and thereafter they are repeating the same crime. Therefore, Kerala's long-term demand to amend the schedule of NDPS Act to reduce the "small quantity and medium quantity" slabs need urgent action from the Government of India.

Thank you, Sir.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अहम और गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अध्यक्ष जी का भी आभार प्रकट करता हूं, बल्कि मैं सारे सदन की ओर से भी उनका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विषय पर आज सदन में चर्चा करवाने का जो निर्णय लिया है, वह ऐतिहासिक है और यह पहली बार ऐसा हो रहा है। महोदय, आज पूरी दुनिया के साथ-साथ पूरे भारत में भी नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रचलन हो रहा है। पंजाब हो या जम्मू-कश्मीर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसकी आमदनी से जो पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए होता है। पिछले कई सालों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हम सब इससे अवगत हैं। इसके साथ-साथ इन नशीली दवाओं के द्वारा हमारे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का भी काम किया जा रहा है। महोदय, जिस घर का बच्चा ड्रग नशे का आदी हो जाता है, वह घर तबाह हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। नशे का आदि नौजवान चाहता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन जब एक बार उसे आदत पड़ जाती है, तो फिर वह उसको छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए, नशे के आदि नौजवानों

और बच्चों की सहायता के लिए प्रदेश की सरकारों को और कड़े कदम उठाने चाहिए। महोदय, अगर हम मेडिकल ड्रग की बात करें, तो वे आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। प्रदेश सरकारों को भी इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने होंगे। जहां तक कैप्सूल, पीने वाली दवाइयां और दूसरी दवाइयां हैं, उनकी खेप की खेप आ जाती हैं। सप्लाई करने वाले पकड़े जाते हैं, परन्तु दोबारा वही लोग वही काम करते हैं। इसलिए, कानून को भी सख्त करने की जरूरत है।

महोदय, केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कई बड़े कदम उठाए हैं। उसके तहत कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं।

बहुत सारे केसों में सजाएं भी दी जा रही हैं। यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुनर्वास केन्द्र खोले जाने चाहिए और खोले भी गए हैं। इन पुनर्वास केन्द्रों में उन बच्चों को वे सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो घरों में मिलती हैं। जैसे टेलीविजन है, खेलने की व्यवस्था और बाकी मनोरंजन के साधन हैं, ताकि वहां पर उनका मन लगा रहे और वे अपनी आदतों को छोड़ पाएं। अन्यथा यह होता है कि वे पुनर्वास केन्द्रों में जाते तो हैं, लेकिन फिर वे भागने का भी प्रयास करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम सभी नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध युद्धस्तर पर अभियान चलाएं और नशीली दवाओं के आदि बच्चों को बचाने का काम करें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I need to put this on record. I was listening to all the speakers who spoke before me. There were very strong words that have been expressed. Nowadays, a lot of Chief Ministers are going in for elections by claiming that their Government will give free electricity and all those things. But I believe, 10 years down the line, a Chief

Minister will definitely go in for elections only on the issue of war on drugs. Definitely, that is going to happen with the rise in the drug abuse cases, and at the same time, keeping in view the words that have been expressed here. But I want everyone to keep in mind how the war on drugs is happening in various countries before going in an aggressive fashion. Take for example, Philippines that has been doing this war on drugs for the last five to six years wherein a lot of killings are taking place but no solution has been found. They went very aggressive against the drugs but the results are not to be seen on the ground. Same is the case in USA. They have been doing war on drugs for the last 40 years. If you see the figures, they have only focussed on criminal punishment and prison sentencing which was their way forward for the last 40 years. But if you look at the figures from 1990 to 2010, in thirty years, the deaths caused due to overdose of drugs increased from 10,000 to 40,000. Even the number of arrests from 1980 to 2020 has gone from 15,000 to 15 lakh. It has increased to almost 100 times. So, please keep this in mind when you have strong words to say about criminal punishment, prison sentencing, etc. Sir, my colleague has just mentioned that about 60,000 cases have been reported under the NCRB. Even in India, the prison sentencing and criminal punishment are not being carried out. So, on the way forward, what I would suggest is this. Take the case of Chicago. They have started the Narcotics Arrest Diversion Programme which involves the Police and also other departments related to public health, behavioural health, crime labs, and health labs. People who get arrested for drug possession are eligible to attend this programme. They have carried out this programme involving almost

1100 people. The success rate is amazing. So, I would request the Ministry concerned to consider this. Now, I come to some of the suggestions. There is a lack of availability of de-addiction and rehabilitation centres across the country. In Andhra Pradesh, our hon. CM, Shri YS Jagan Mohan Reddy Garu has inaugurated 15 de-addiction centres by allocating a sum of Rs. 5 crore. So, I request that more such provisions should be made in the country. At the same time, there is a poor budget utilisation. For NAPDDR, about Rs. 200 crore was sanctioned but only Rs. 40 crore have been utilised till now.

So, I would request the Government to use that money which has been actually budgeted. … (*Interruptions*)

Sir, with regard to NDPS Act, I would say that it is very stringent. The burden of proof is entirely on the accused. So, you are guilty until you are proven innocent. But the country does not have a law on the grant of compensation for this malicious arrest. The Law Commission of India has already suggested for it. So, I would request the Treasury Benches to actually come up with this law so that compensation is given to the people who are unlawfully arrested. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I will conclude in half a minute.

Even, we have seen the cases where the celebrities get arrested and are kept in jail for so long. Look at the poor person who goes to jail for such a long time. So, compensation has to be given to those people.

Lastly, I would say that the Narcotics Control Bureau has been doing a fantastic thing but we request the Government to focus more on the issue of drugs which are coming in from the other countries. You see, what the Drug Enforcement Agency of America is doing. So, rather than actually trying to pull up a peddler or the user, let them concentrate on the issue of drugs that are coming into our country from outside. Thank you.

*[*] **DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Chairman Sir. Many learned Hon. Members from Punjab and other States have already spoken on the issue of ‘Drug Abuse’ under Rule 193. So, I will not like to dwell at length on this issue.

Punjab is paying the price of being the border State. It shares its boundaries with Pakistan. Hon. Home Minister Shri Amit Shah ji is sitting here. Pak is pumping in drugs in large amount into Punjab. Our youth have become addicted and gone astray. The Central Government should look into this aspect of this problem.

Secondly, NDPC Act was framed in 1985. 37 years have passed. The biggest mistake is that we are not differentiating between manufacturer, supplier an user of drugs. A user is unfortunate. He may be under marital tension, unemployed, poor or there may be family or social tension. We are keeping all of them at the same pedestal. Majority of cases have been filed against personal use. Very less cases have been filed against manufacturers and distributors.

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

So, I urge upon the Government to have a relook at the provisions of this law. We should revisit this law. International experiences tell us that decriminalization of drugs for personal use is needed. In reality, the drug-user needs a psychologist and social worker who can guide the user. He should be brought back into mainstream. He should not be put in jail.

Punjab needs special help from Central Government because States do not have financial resources. They do not have so much manpower etc.

Thank you, Sir.

13.57 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. राजदीप राय जी, आप अपनी बात एक-दो मिनट में पूरी कीजिए।

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir, for allowing me to speak on a very important topic under Rule 193.

I will try to avoid all those issues which have already been discussed in the House but it is very important to mention that, next to petroleum and arms' trade in the world, drugs control around 500-billion US dollar business. So, drug along with cross-border terrorism today has crossed two trillion USD which is almost four per cent of the GDP of the world. Therein lies the importance of drug trade in the world. I come from a constituency which has got borders with three different smaller States in the North Eastern India, which are havens to all drug addicts, drug users, and drug cartels. My constituency also has an international border with the neighbouring States. It falls at the crossroad of the Golden Crescent and the Golden Triangle. So, Assam, the State I come from, has taken a very unique step in the last one-and-a-half years to control drug businesses and arrest those

persons involved in this. Almost 4,000 plus people have been arrested in the last few years. Being a doctor, I have seen the other side of the drug users, and how the families and the individuals being destroyed. Today, it is very important to mention here about what our Government has done. Amongst the five or six crore drug addicts in our country today, there are also 8.5 lakh IV injectors who are drug addicts. So, to control all this, a very humanitarian approach needs to be taken, and our Government has done exactly this. Now, what is the way forward? … (*Interruptions*) Sir, please give me one more minute. The police in Assam, under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma, has worked on three verticals.

<u>14.00 hrs</u>

These three verticals are – decrease the demand for drugs, decrease the supply for drugs, and decrease the ailments which are related to drugs.

HON. SPEAKER: Shri Rajdeep ji, please conclude.

DR. RAJDEEP ROY: Sir, I will conclude in just one minute.....*(Interruptions)* Sir, the Government of India under Shri Narendra Modi ji and Amit Shah ji has, one, taken a few steps to stop the temping down of cross border trafficking; two, imposing harsher penalties under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ श्री श्रीनिवास पाटिल जी की बात ही रिकॉर्ड में जाएगी।

… (व्यवधान)…*

* Not recorded

14.00 hrs

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): सर, मैं आपका आभारी हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं पुणे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तब दो नशा मुक्ति केन्द्र – मुक्तांगण और ओशो आश्रम वहां थे। जिन बच्चों को, जिन लोगों को यह तकलीफ होती है, जो एडिक्ट होते हैं, उनका एडिक्शन छुड़ाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रिवेंटिव भी है, रेमेडियल भी है और उनके रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने अगर यह सोचा और इन नशा मुक्ति केन्द्रों की अगर रचना की जाए, जहां हिल स्टेशन्स हैं, जहां वन हैं, जहां मंदिर परिसर हैं, वहां लोगों को शिक्षा देने और कुछ अच्छी बातें बताने के बाद अगर उनकी मुक्ति होती है तो ऐसे नशा मुक्ति केन्द्र बनाने के लिए अगर प्रयास होंगे तो अच्छी बात होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, कल से सदन एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहा है। पक्ष और विपक्ष के कुल मिलाकर 53 सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और कुछ अवलोकन भी रखे हैं। कुछ जानकारियां भी दी हैं और कुछ ग्रीवेसेंज भी रखे हैं। मैंने कल रात को और आज सुबह सारी चीजों को ध्यान से देखा है। मैं सबसे पहले सदन की हरसिमरत बहन से शुरू करके पाटिल साहब तक, जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनको सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीति रंग देने की जगह, इस विषय को एक समस्या होने के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, तो थोड़ा-बहुत तड़का लगता है राजनीति का, परन्तु अगर चर्चा के तारतम्य को निकालें तो यहां के हों या वहां के, सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि यह गंभीर समस्या है। हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है और आगे जाकर इसके कारोबार से जो मुनाफा होता है, वह आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश का गृह मंत्री होने के नाते नरेन्द्र मोदी सरकार का

संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है। जब से यह सरकार बनी, तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्रवाइयां भी हुई हैं। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की ड्रग्स के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ती से इसको ज़ीरो तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, ड्रग का प्रचार-प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, बल्कि लाखों-लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए सामाजिक दूषण भी इससे खड़े होते हैं। मैंने कहा है कि आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वे इसका उपयोग करते हैं। देश के अर्थतंत्र के अंदर इस डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी ने, देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने नशा मुक्त भारत का लक्ष्य गृह विभाग के सामने रखा है। मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मान्यवर, यह लड़ाई न केन्द्र की है, न राज्य की है और न किसी एक विभाग की है। केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेशों को मिलकर यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर यह परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डर्स से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सतर्कता के साथ जो *in toto* योजना बनी है, इसका एक हिस्सा बनकर, अग्रेसिव्ली काम करना पड़ेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नार्कोटिक्स सारी एजेंसियों को भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ पुनर्वासन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को इस लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इण्डिया का स्वप्न साकार हो सकता है।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह लड़ाई केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती हैं और कई बार केन्द्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु आज मैं यह बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को गम्भीरता के साथ लड़ा है। जो भी योजनाएं गईं, जो भी सूचनाएं गईं, उनका irrespective of party politics and irrespective of party in power, सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम यह एक मुद्दा ऐसा है, जिसमें राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर तरीकों में बदलाव हो सकता है, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर हैं।

मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, तो कल सभी बॉर्डर राज्यों के माननीय सदस्यों ने गंभीरता से यह विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, तो पाकिस्तान के साथ अभी हमारा कोई ट्रेड बॉर्डर से नहीं होता है। इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है। परन्तु, इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती हैं। ड्रग ड्रोन से आता है और तस्करी से आता है। वे सुरंगें बना कर ड्रग भेज देते हैं। ड्रग बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के माध्यम से आता है। व्यापार बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जहां-जहां पर वे लोग नए तरीके ढूंढते हैं, वहां-वहां हमें उनको समाप्त करना पड़ेगा।

मान्यवर, बहुत सारे माननीय सदस्यों का सुझाव आया है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, वह म्यांमार से भी आता है।

श्री अमित शाह : वह हो गया है। मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं।

मान्यवर, जहां कानून का सवाल है, तो ढेर सारे लोगों ने कहा है। दादा ने कहा है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति को बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं।…(व्यवधान) दादा, आपको भाषण करना है, तो मैं बैठ जाता हूं। आप 10 मिनट बोलिए।

इतने सीनियर माननीय सांसद होकर बीच में टोका-टोकी करना, न आपकी उम्र के लिए अच्छा है और न ही आपकी सीनियरिटी के लिए अच्छा है।…(व्यवधान) मैं बैठ जाता हूं। आप 10 मिनट भाषण करिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको विषय की गंभीरता को समझना चाहिए।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं?

श्री अमित शाह : मैं क्रोधित नहीं होता हूं, समझाता हूं। कई बार बड़ों को भी समझाना पड़ता है।…(व्यवधान) जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं, वे विक्टिम्स हैं। उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी, पुनर्वसन का कानूनी प्रावधान हो। परन्तु, जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वे चाहे छोटा हो या बड़ा, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। अगर हम यह भेद नहीं करते हैं, तो कभी-कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, जो युवा इसमें फंस गए हैं, उनको वापिस आने के लिए और समाज इनको फिर से स्वीकार कर ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी हम सभी सदस्यों की है, यह सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा है कि व्यसन मुक्ति केन्द्रों और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई हैं। अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। परन्तु, हमें एक सामाजिक वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया, वह खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर सम्मान के साथ पुन:प्रस्थापित करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी माननीय सांसदों को साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा।

मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत तीन सालों से ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमने सबसे बड़ा बदलाव किया है, जैसे मैंने गृह मंत्रियों के

सम्मेलन में भी आग्रह किया था। मैंने इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉफ्रेंस करके भी कहा था। किसी भी इनवेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। हम ड्रग की किसी भी जब्ती को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। अगर एक जगह ड्रग की छोटी-सी पुड़िया भी मिलती है, तो यह ड्रग कहां से आई, उस इनवेस्टिगेशन को सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जा कर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। अगर किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गयी, तो वह छोटी-से-छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, हम इसके पूरे नेटवर्क की जाँच करते हैं, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा।

मैंने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों से भी यह कहा है, क्योंकि उसमें राज्यों की भी सीमाएं आती हैं, कई बार अंतरदेशीय सीमाएं और अंतरराज्यीय सीमाएं भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इनवेस्टिगेशन करना पड़ता है। उसके लिए एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियाँ हैं, एनसीबी पूरे देश भर में जाँच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जाँच कर सकती है। इसीलिए जब हम एनआईए का कानून लेकर आए तब हमने उसमें ड्रग के कारोबार को डाल दिया था।

मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विनती की थी कि यदि आपके राज्य में कोई ऐसा केस है, जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक इनवेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती हैं, तो आप नि:संकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हरेक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। अगर वह इनवेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है, तो आप उसके लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है।

मान्यवर, मुझे आनन्द है कि राज्यों ने लगभग 31 इनवेस्टिगेशंस एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तीनों एजेंसीज, यानी राज्यों की एजेंसियाँ, एनसीबी और एनआईए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। राज्यों के सहयोग से केन्द्र की नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दोगुनी हुई है और उत्साह भी दोगुना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केसेज सौंपे गए, उन केसेज को हमने राज्यों की एजेंसियों को भी साथ में रखकर इनवेस्टिगेट किया है। अभी गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का भी उल्लेख

किया गया था। मैं थोड़ा-सा एप्रोच बदलने की कोशिश करता हूँ। गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हैं और गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। ड्रग्स के व्यापारियों ने इसे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं बैठक में इनके लिए जब भी शब्द प्रयोग करता हूँ, तो 'डेथ ट्रायंगल' और 'डेथ क्रिसेंट' शब्दों का ही प्रयोग करता हूँ। मौत का व्यापार करने वालों के लिए, नशे के कारोबारियों के लिए हो सकता है कि वह गोल्डन ट्रायंगल हो, लेकिन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमारी एप्रोच में बदलाव समग्र दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सन्देश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग और वित्त विभाग ने लड़ाई छेड़ी है और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद कर रहे हैं। हमने इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। हमने इसके तीन हिस्से रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए जो इंस्टिट्यूशंस हैं, उनको स्टॉन्च करने, जवाबदेह बनाने और सतत मॉनिटरिंग से उसको एलर्ट रखना, सभी नार्को एजेंसीज का काम है। इसमें स्टेट्स की नार्को एजेंसीज भी आती हैं और केन्द्र सरकार के भी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना, और सभी के बीच में को-ऑर्डिनेशन बढ़ाने के साथ ही, जागरुकता और पुनर्वसन के लिए एक विस्तृत अभियान हाथ में लेने की जरूरत है। गृह विभाग ने इन तीन विभागों में इससे लड़ाई के लिए संरचना की है, क्योंकि यह एक सीमा-रहित अपराध है। इस अपराध की कोई सीमा ही नहीं है। कहीं से भी बैठकर कोई भी इसका व्यापार कर रहा है और हमारे बच्चे इसमें फंस रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए जब तक को-ऑपरेशन, को-ऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं होगा, तब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तीन स्तरों पर, त्रि-सूत्रीय फॉर्मूले पर हम आगे बढ़े हैं और इन तीनों सूत्रों पर हम होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच से आगे बढ़े हैं। यह किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार की लड़ाई नहीं है। चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्र की सरकार हो, इसके सभी डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर और राज्यों की सरकारों के डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है।

मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनीशिएटिव्स लिए हैं, इनमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। वर्ष 2019 में हमने चार स्तरीय NCORD की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय NCORD है। इसके बाद एग्जिक्यूटिव – कार्यकारी स्तर पर NCORD समिति है। उसके बाद राज्य स्तरीय NCORD समिति बनी है और उसके बाद जिला स्तरीय NCORD समिति बनी है।

जिलों से लेकर केन्द्र तक इन NCORD समितियों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित किया गया है। केन्द्र में भी नीति निर्धारण करने वाले लोग और एग्जिक्यूशन करने वाले लोग, इसके लिए भी शीर्ष स्तरीय कमेटी और कार्यकारी समिति, इस प्रकार के दो हिस्से हमने किए हैं। अभी तीसरी शीर्ष स्तरीय NCORD कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने ही उसकी अध्यक्षता की थी और हमने ढ़ेर सारे फैसले लेकर नीचे, राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वे जिले तक पर्कोलेट हो रहे हैं।

इस स्तर पर मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढ़ेर सारे राज्यों ने, लगभग शत प्रतिशत राज्यों ने राज्य स्तरीय NCORD समिति बना ली है। इनकी मीटिंग्स भी होती हैं और इनके मिनट्स भी आते हैं। वहां केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बैठाते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय जिला स्तरीय संरचना का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी, कलेक्टर, समाज कल्याण अधिकारी और हैल्थ डिपार्टमेंट के बंदे इकट्ठे बैठकर जिला स्तर पर इस पर मीमांसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी यह लड़ाई सफल नहीं होने वाली है।

आज तक हम डेढ़ साल से प्रयास कर रहे हैं, 32 प्रतिशत जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को और केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी सरकारों, एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर्स से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इन्ट्रेस्ट लेकर अपने-अपने राज्य में जिला स्तरीय NCORD समिति की रचना करें। जिस दिन देश के सभी के सभी जिलों में जिला स्तरीय NCORD समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय NCORD समिति को उसका फीडबैक मिलेगा, तब हमारी यह लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी। … (व्यवधान)

मान्यवर, नोडल एजेंसी के तौर पर हमने एनसीबी को इसमें रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी सब मिलकर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। मान्यवर, इसके लिए हमने एक NCORD पोर्टल भी बनाया है, जो एनसीबी चलाती है। NCORD पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप से NCORD पोर्टल बन गया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के, NCORD तंत्र के भी सभी चार राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर हैं। मान्यवर, बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस NCORD पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। पोर्टल बने हुए दो साल हो गए हैं। दो सालों में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी-बड़ी जब्तियां इस पोर्टल के माध्यम से की हैं। पोर्टल पर ढ़ेर सारी जानकारियों को भी डाला है।

अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर्स डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली हैं, भारत सरकार के किए हुए सारे एमओयू डाले हैं। द्विपक्षीय समझौतों को डाला है, देश भर का जो प्रशिक्षण कैलेंडर है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों के प्रशिक्षण कैलेंडर को भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स, जो प्रो-प्रॉसिक्यूशन हैं, उनको भी वहां डाला है।

अध्यक्ष जी, एनसीबी की हैंडबुक की एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह भी इसमें डाली है। मीटिंग्स के मिनिट्स भी 24 घंटे में अपलोड कर दिए जाते हैं और एटीआर को भी अपलोड करते हैं। एक प्रकार से सम्पूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिला स्तर और पुलिस स्टेशन स्तर पर अधिकारियों को उपलब्ध हो जाएं, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसे एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों और पुलिस स्टेशनों तक की सभी चीजों को हमने कोओर्डिनेट किया है।

मान्यवर, इंटरपोल की जनरल असेम्बली हमारे देश में हुई। उसमें नार्कोटिक्स और टेरर लिंक्स का विषय मैंने उठाया था। वहां भारत की ओर से आग्रह किया गया कि इंटरपोल, नार्कोटिक्स और

टेरोरिज्म तथा नार्को के व्यापार से टेरोरिज्म का वित्त पोषण, इन तीन विषयों पर रियल टाइम इंफोर्मेशन शेयरिंग के लिए सभी देशों के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाए, तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रेक्टिसेस साझा भी हो सकता है। यहीं पर अभी-अभी 'नो मनी फॉर टेरर' विषय पर सारे राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नार्कोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया। हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी बहुत सारी बैठकें भी की हैं। एनसीबी के कैडर को भी पुनर्गठित किया है। 419 पदों का सृजन किया है और इनमें वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा हैं क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है। इसे हमने आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया है। नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटा बेस, जिसकी शार्ट फार्म 'निदान' है, उसे भी तैयार किया है और हर केस का चालान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड करके प्रोसीक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इसमें अपलोड हैं। इसके साथ-साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा, दोनों को हम साझा कर रहे हैं।

मान्यवर, ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और सभी राज्यों में ड्रग आने का कौन-सा रास्ता है और उसके नेटवर्क की क्या संभावनाएं हैं, उन्हें भी 372 जिलों में मैप करके हमने राज्यों को भेज दिया है। यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। दो साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 372 जिलों का मैपिंग किया है। सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बनाए गए और जो सजाएं हुई हैं, उनकी इंटेरोगेशन्स की रिपोर्ट्स आई हैं, सभी को संकलित किया है। मैं सदन में बैठे सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए।

कितना भी बड़ा अपराधी है, दो साल में स्थिति ऐसी आने वाली है कि उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर यदि किसी को इसमें से वापस आ जाना है, तो अच्छी बात है, आ सकते हैं।

मान्यवर, एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी और असम राइफल्स, इन तीनों को ड्रग जब्ती करने के अधिकार दे दिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि सीमा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सीमा पर निगरानी नहीं रखते हैं और वहां से ड्रग आ रही है। जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं, तो कहते हैं कि राज्यों के अधिकार ले लिए हैं, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी? आप बताएं कि बीएसएफ को अधिकार नहीं है, तो वह सीमा पर क्या करेगी? बीएसएफ कौन सी फॉरेन की एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग्स भेज रहे हैं। बीएसएफ पकड़ेंगे और यदि उन्हें केस करने का अधिकार नहीं है, एसएसबी वाले पकड़ेंगे और यदि उन्हें जब्ती करने का अधिकार नहीं है, तो वे निहत्थे बैठ कर क्या करेंगे? जो लोग इसे पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं, वे ड्रग्स के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थे रह कर काम नहीं कर सकती हैं। एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर देश की संसद को यदि भरोसा नहीं है, तो किस हिम्मत से वे काम करेंगी?

मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तट रक्षक और राज्यों के जो सारे कोस्टल पुलिस स्टेशन्स हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। हमने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी अधिकार दिया है। आज यदि एनआईए को दुनिया भर में हमारे देश में ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इनवेस्टिगेशन करनी है, तो एनआईए को दुनिया भर के देशों में जाने हेतु इसी संसद ने सशक्त किया है, अधिकार दिया है और इम्पॉवर किया है।

मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उनके कारणों को जानने के लिए ढेर सारे एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जिनके आधार पर ही इसे पकड़ा जा सके। अभी जो जिक्र किया जा रहा था कि गुजरात के बंदरगाह से 3 हजार किलो नशा पकड़ा गया है, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वह कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया है।

मान्यवर, अभी कुछ सदस्य बोल रहे थे, जिस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बल्कि केवल दृष्टिकोण में बदलाव की विनती करना चाहता हूं। जिस राज्य में सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गयी, उसका मतलब हम यह न निकालें कि उस राज्य में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार है। इसका मतलब यह है कि वह राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर काम करें ही नहीं, तो ड्रग्स कहां से पकड़ा जाएगा? इस आधार पर तो पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है, तो आंकड़े अपने-आप ही अच्छे हो जाएंगे। क्या इस 'शुतुरमुर्ग नीति' से हम देश को बचा सकते हैं? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इतना ड्रग कहां से आता था, गृह मंत्री जी जरा यह भी बताएं और इसे कौन लाता था, यह भी बताएं। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि ड्रग कहां से आ रहा था? ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था और इसके मालिकों को पकड़ लिया गया है**,** फैक्ट्रीज सील कर दी गयी हैं, जिसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड करके वहां कारोबार करने वालों को पकड़ लिया गया है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा। मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि चालान कर दिया गया है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि सर्च करके नहीं मिलता है, तो आप मुझे बताएं, मैं भेज दूंगा।

मान्यवर, इसके अलावा संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य-पद्धति जिला स्तर पर सर्कुलेट कर दी है। मनी लॉड्रिंग की चैनलें, हवाला लेनदेन और डार्क नेट, इन तीनों के लिए हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहीत करके एक बहुत सटीक रणनीति बनायी है, जिसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन सारे चैनलों का उपयोग करके यदि कोई मानता है कि वह एजेंसियों की नजर से बचकर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाएंगे।

मान्यवर, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर डॉग स्क्वायड की तंगी थी, तो हमने हमारे स्वदेशी डॉग्स की नस्ल तैयार करके बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वायड बना ली है और

इन्हें हम राज्यों को भी दे रहे हैं। NCORD के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ-साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानून, जिनकी मैपिंग की गयी हैं, उनकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रॉसीक्यूशन्स के पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट, इन सभी को तैयार करके जिला स्तर पर NCORD के माध्यम से हमने भेज दिया है।

हमने डेडिकेटेड एंटी-नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स भी बनायी है। राज्यों और संघ क्षेत्रों को समर्पित एक एंटी-नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ-साथ भारत सरकार का जो फार्मा डिपार्टमेंट है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी अधिकारियों की एक समिति बनाकर कि कितनी दवाओं को बैन कर सकते हैं, जिनके विकल्प उपलब्ध हैं, उन दवाइयों को पूर्णतया बैन कर दिया जाए, इस पर भी काम चालू है। उस समिति की चार मीटिंग्स हो चुकी हैं, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि बहुत सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इनके उपयोग पर रोक लगायी जा सके।

मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए, मैं इतना बताता हूँ कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो उत्तर-पूर्व की ओपन सरहदें हैं, वहाँ से भी आता है, परन्तु 60 से 70 प्रतिशत नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई-लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हम भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी, चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक करके सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। हम इसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। हम एक भी ऐसा कोना छोड़ना नहीं चाहते हैं, जहाँ से ड्रग का अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश करे। मान्यवर, जहाँ तक अवैध खेती का सवाल है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत बधाई

देना चाहता हूँ कि सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने वहाँ लिया था। वहाँ पर लगभग-लगभग एक हजार हैक्टेयर अवैध नशे की खेती को डिस्ट्रॉय करके, उनको वहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन करके रीहैबिलिटेट करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार का प्रोग्राम हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है और सारे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए भी बनाया है। हमारे गृह मंत्रालय का जो अध्ययन समूह है, इसने बहुत अच्छा रोडमैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। मान्यवर, डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि अलग-अलग प्रकार हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए और लगभग 3200 से ज्यादा युवाओं ने इनके अंदर हिस्सा लिया। ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं और इससे एक एम.ओ. भी बनाया गया है। इसके साथ-साथ मैक, जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब-मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नारको ट्रैफिकिंग प्लेटफार्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटा बेस के अपडेट को एनालिसिस करके नई रणनीति बनाना और कार्य-प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। हम साप्ताहिक इसका रिव्यू करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नारकोटिक्स के प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसके अंदर नारकोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले इसके अंदर मिनिमम क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी हैं। इसके साथ-साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है, जिसका फायदा इसका व्यापार करने वालों को प्रॉसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, हमने इसका भी मॉड्यूल बनाया है। इन पाँचों अलग-अलग मॉड्यूल्स का जिला स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को, सारे राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के, हमारे द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं और 40 प्रतिशत जिलों में भी यह काम हो

चुका है। नारकोटिक्स के फोरेंसिक के लिए भी एनसीबी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है।

भारत सरकार देश में नारकोटिक्स की लगभग 6 रीजनल लैब्स बना रही हैं, जिससे सैम्पल की टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी। किसी के बेल होने की सम्भावना को मिनिमम कर दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने की है। उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले जो केस हैं, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। मान्यवर, इससे काफी लोगों को तकलीफ होगी, यह मुझे मालूम है। मगर हम चाहते ही यह हैं कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए हमने इस व्यवस्था को किया है।

जहां तक नशा मुक्त भारत का अभियान है, मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें सदन को बताना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को इस अभियान को लॉन्च किया गया। 372 जिलों के बारे में, जो मैंने कहा कि मैपिंग किए हुए हैं, उन सभी 372 जिलों में लगभग-लगभग नीचे तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 1.67 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति की शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से किया है। आठ हजार से ज्यादा मास्टर स्वयं सेवकों की पहचान कर ली गई है, जो बिना मानदेय लेकर अपना यह काम करते हैं और सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय शपथ के माध्यम से लगभग एक लाख शैक्षिक संस्थाओं को तथा इसके साथ और युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ये एफसीआरए का जिक्र कर रहे थे। इसमें ढेर सारे एनजीओज़ भी जुड़े हुए हैं। मगर ये एनजीओज़ ऐसे हैं, जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ एनजीओज़ ऐसे होते हैं, जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। भारत सरकार की नीति दोनों के लिए एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी और कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा बहुत चला लिया, जब

आपकी सरकार थी। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी नहीं आने देंगे।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : मान्यवर, इस मिशन के अन्दर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुडे हैं, ब्रह्माकुमारीज़ भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है। उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अन्दर, देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं तो कानूनन उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मान्यवर, लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेन्टर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अन्दर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहैबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का, इसके माध्यम से, काम करेंगे।

नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हमउम्र का व्यक्ति बात करता है तो युवा उसे जल्दी सुनता है। युवा इसकी चपेट में न आए, उसके लिए हमने काम किया है। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी सरकारी अस्पतालों में, जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, उनके लिए हमने शुरू की हैं। 75 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और बनाने की हमारी कार्य-योजना है। 72 आउटरीच ड्रोपिंग सेन्टर्स भी बनाए गए हैं। जिनको अभी शुरू-शुरू में लत लगी है, जिसका लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया, मन बर्बाद हो गया, इसके साथ बैठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वह नशे की लत से वापस आता है। हमने ऐसे भी सेन्टर्स लगाए हैं।

महोदय, लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं, जो ऐसे केसों में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, जैसे मैंने नशामुक्ति के लिए कहा कि एनकोर्ड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में

हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्रवार भी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण की बैठक बाकी है। मैं बहुत जल्दी कर उसको भी करूंगा। बाकी असम में भी की है, गुजरात में भी की है, पंजाब में भी किया है। क्षेत्रीय बैठक कर के भी राज्यों के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 75 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग्स को जलाएंगे। आज मुझे यह कहते हुए आनंद हो रहा है कि अब तक हमने 1,65,000 किलो से ऊपर ड्रग्स जलाई है। यह अभियान, जो मैंने सारा बताया है, उसकी ऑलओवर मॉनिट्रिंग के लिए गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में और गृह सचिव की अध्यक्षता में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, पोर्ट विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव के साथ इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई गई है, जो हर 15 दिन में बैठ कर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, हम प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती हैं, मगर कई बार प्रयास जमीन पर नहीं उतरते हैं। मगर यह एक ऐसी सरकार है, जो प्रयास करती है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले कर जाती है। जब हम यह तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी तो 70 सालों से जहां पर बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हमने बिजली पहुंचा दी है। जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, तब हम पहुंचाने में सफल होते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि नल से जल पहुंचाएंगे तो मुझे भरोसा है कि नल से जल भी हर घर में पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने यह तय किया है कि नशे की लत से इस देश के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, लेकिन इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े कभी झूठ नहीं होते हैं। आंकड़े प्रयासों की पुष्टि करते हैं। इसलिए मैं आंकड़े जरूर देना चाहता हूँ। मैं वर्ष 2006 से 2013 तक के आंकड़े और वर्ष 2014 से 2022 तक के आंकड़े देना चाहता हूँ। अब कोई यह सवाल न पूछे कि कि 2006 से 2013 का क्यों दिया है? सब समझते हैं। यहां भी समझते हैं।

वहां भी समझते हैं। मान्यवर, वर्ष 2006 से 2013 में 22 लाख 45 हज़ार किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। वहीं, वर्ष 2014 से 2022 में 62 लाख 60 हज़ार किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। मान्यवर, अगर

इसको हम यूनिट्स में देखें तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए हैं और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए हैं। कीमत में, लगभग 33,000 करोड़ रुपये की कीमत थी, वर्ष 2006 से 2013 में। लेकिन इतनी मंहगाई वहां नहीं हुई है, जिससे कीमत बढ़ जाए, लेकिन मात्रा बढ़ी है। मान्यवर, अब 97 हज़ार करोड़ की ड्रग्स को पकड़ कर जला दिया गया है। यह 5 गुना ज्यादा है।

मान्यवर, मामले 1 लाख 45 हज़ार 62 रजिस्टर हुए थे। इसमें 4 लाख 14,697 मामले रजिस्टर हुए हैं और कुल गिरफ्तारी 1 लाख 62908 हुई थी और यहां पर 5 लाख 23,234 हुई हैं। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग्स के सेवन करने वाले का केस अलग होता है। ड्रग्स के खुदरा व्यापार करने वाले का केस अलग होता है। ड्रग्स स्मग्लिंग और ड्रग्स के डीलर का केस अलग होता है। हमने डीलर और स्मग्लिंग के केस को गंभीर प्रकार की कैटेगरी में डाल कर 13 हज़ार केस डीलर स्मग्लिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर किए हैं। यह बताता है कि हमारी दिशा सही है और परिणाम भी मिल रहे हैं।

मान्यवार, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूँ। कई बार मैंने सभाओं में देखा है, यहां अभी एक राष्ट्रीय नेता उपस्थित नहीं हैं। अगर वे उपस्थित होते तो उनका नाम भी मैं बोलता। … (व्यवधान) यात्रा में हैं। … (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैंने कहा ना। … (व्यवधान) मेरी बात सुनिए ना। … (व्यवधान) मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है। … (व्यवधान) समझ के बारे में समझो जरा। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग्स पकड़े जाते हैं। अरे भाई, देश की सीमा है, बन्दरगाह है। बन्दरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे, तो हमने यह अच्छा किया या बुरा किया? यह समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़े जाते हैं तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं कि पंजाब में ड्रग्स नहीं हैं। पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है। हम इस कमेंट्स से हतोत्साहित नहीं होंगे। हम इसे और पकड़ेंगे, इसे और खत्म करेंगे।

मान्यवर, ये जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कि ये पूरी लड़ाई को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों में हमने 61 नए साइकोट्रॉपिक पदार्थों को अधिसूचित

किया है, जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे। अब एफ.एस.एल. से सिद्ध करके इसको किया गया है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। भारतीय एजेंसियों ने लगभग 1600 किलो और 3.8 करोड टैबलेट्स ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अभियान किसी एक सरकार का नहीं हो सकता है। यह अभियान किसी एक दल का भी नहीं हो सकता है, यह अभियान किसी एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता है। केन्द्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गम्भीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे।

मान्यवर, यह लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं और अगर इस वक्त नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरे सदन से अनुरोध है कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें। सभी राज्यों की सरकारें एक साथ आएं, जिला-स्तरीय एन-कॉर्ड की रचना करें और यह जो अभियान, मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, उस अभियान को सभी लोग मजबूत बनाएं। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सभी केन्द्रशासित प्रदेश, राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, देश की समग्र जनता और हम सभी जन प्रतिनिधि मिल कर इस अभियान को सफल बनाएं। 'ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स' और 'नशामुक्त भारत' की रचना करें, यही अभ्यर्थना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैंने इसमें भाग नहीं लिया, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उन्हें समय नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैडम, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, गृह मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है, बहुत सारी व्याख्या दी है।… (व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस रवैये से आपने हिन्दुस्तान को ड्रग्स-मुक्त करने की बात कही है, पर, उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ अलग बयां करती है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह दोहराना चाहता हूं कि following the hon. Supreme Court's order, the Government of India conducted a survey from December 2022. As per the survey, it was reported that a staggering number of 3.1 crore are cannabis users and 2.26 crore are opioid users, out of which 25 lakh individuals and 77 lakh individuals respectively are suffering from dependence on both the substances. यह एक नम्बर पर है।

दूसरे नम्बर पर आत्महत्या है। आपने वर्ष 2006 से 2013 तक गिनती की, पर मैं दूसरी गिनती कर रहा हूं। वर्ष 2018 में हिन्दुस्तान में ड्रग्स एब्यूज़र्स और एल्कोहॉल के चलते 7,193 खुदकुशी हुई थीं। हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहे हैं। वर्ष 2021 में, आपके दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक, 10,507 आत्महत्याएं हुई हैं। इसका मतलब है कि यह बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं कि सब जला दिए गए, इतने जला दिए गए। इसका मतलब है कि आपूर्ति ज्यादा होती है, इसलिए आपको जलाने के लिए ज्यादा मसाला भी मिलता है।… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to ask a one-line question. … (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Home Minister … (*Interruptions*) The narcotic drugs and psychotropic substances … (*Interruptions*) अधीर दा, मेरे पास माइक है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, प्रेमचन्द्रन जी, मैंने आपको 15 मिनट मौका दिया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठिए। आप बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्यों को मैंने पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया और एक लंबी चर्चा चलायी। उस समय आपकी हर बात का माननीय गृह मंत्री जी ने तथ्य के साथ जवाब दिया। आपको बोलने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया, फिर भी आप डिस्टर्ब करती है। यह अच्छी चर्चा नहीं है। उन्होंने नहीं बोला था, इसलिए अपनी बात रख दी। सदन इस बात पर सहमत है।

… (व्यवधान)

* Not recorded

RESOLUTION RE: DRUG FREE INDIA

माननीय अध्यक्ष:देश में मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न स्थिति पर सदन में दो दिन से चल रही चर्चा आज संपन्न हुई। सभी पक्षों और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा और संवाद किया है। इस विषय पर पूरे सदन ने गंभीर चिंता जतायी है। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने की प्रतिबद्धता जतायी है। हमारे देश के युवा समर्थवान हैं, ऊर्जावान हैं, उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्ज्वल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है।

अत: यह सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाकर, युवाओं में देश की इस बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशामुक्त भारत बनाने के लिए यह सदन एकमत से संकल्प लेता है। धन्यवाद।

अब आइटम नंबर 26 लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी।

14.57 hrs

*CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (SECOND) AMENDMENT BILL, 2022

Amendments made by Rajya Sabha

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव # करता हूं:-

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उतर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

पहली अनुसूची

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***के स्थान पर*** "भदोही" शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

दूसरी अनुसूची

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***के स्थान पर*** "भदोही" शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उतर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

---

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 1st April, 2022 and transmitted to Rajya sabha for the concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with the Amendments at its sitting held on the 14th December, 2022 and returned it to Lok Sabha on the same day.

<u>पहली अनुसूची</u>

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>दूसरी अनुसूची</u>

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

" **<u>पहली अनुसूची</u>**

1. पृष्ठ 3, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>दूसरी अनुसूची</u>

2. पृष्ठ 4, पंक्ति 5, में "संत रविदास नगर" शब्दों ***<u>के स्थान पर</u>*** "भदोही" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर यह सभा सहमत है।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर सभा सहमत है।"

15.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध रहेगा कि आज की कार्यसूची में, क्रम संख्या 27 पर जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, उसकी जगह दी कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, जो अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट के माध्यम से आया है, उसको पहले ले लिया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: हां, सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 27ए, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022.

15.01 hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (FIFTH AMENDMENT) BILL, 2022

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं बाद में बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022, पांच राज्यों का संशोधन बिल आया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।

15.02 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार, विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुसूचति जनजाति पहली सूची को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 द्वारा 6 दिसंबर, 1950 को अधिसूचित किया गया।

महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सरकार व माननीय मुख्य मंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 11.02.2022 को प्रधान मंत्री जी को पत्र के माध्यम से इन जातियों को एसटी में शामिल करने का निवेदन किया था। छत्तीसगढ़ सरकार बीच-बीच में केंद्र सरकार को, जनजाति मंत्रालय को और

प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जातियों को इसमें शामिल करने के लिए हमेशा निवेदन करती रही। आज बड़े अर्से के बाद, बहुत दिनों के बाद आज यह शामिल हुआ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वर्ष 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 78 से 80 लाख के लगभग आदिवासियों की जनसंख्या है। इन 12 जातियों को शामिल करने से 1 लाख से अधिक समुदाय को, वहां के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब 12 जातियों को सूची में शामिल करने के बाद 42 जनजातियां इसमें शामिल हो गई हैं।

इन जनजातियों की मांग पिछले कई सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित थीं। वहां के लोगों की लगातार इसके लिए मांग थी। वहां के लोग लगातार आरक्षण के लिए मांग करते रहे। सरकार इसे बड़े लंबे समय के बाद लाई, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का बड़ा मसला चल रहा है। वर्ष 2012 की पूर्ववर्ती सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। पूर्व सरकार ने इस संबंध में दो कमेटीज़ बनाई थीं।

मंत्रियों की एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी। सरकार ने फिर दूसरी कमेटी गठित की, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार ने आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, दमदार तरीके से नहीं रखा, अपना पक्ष मजबूत नहीं रखा। आज इसी कारण से छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। 19 सितम्बर, 2022 को निर्णय आया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासियों को 32 परसेंट मिलने वाला आरक्षण अब 20 परसेंट हो गया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उबाल आया, इससे लोगों में आक्रोश है, वहां की जनता में आक्रोश है, धरना हुआ और चक्का जाम हुआ।

चेयरमैन सर, हम लोगों ने सरकार के साथ लगातार मीटिंग की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग की, माननीय राज्यपाल के पास कई समुदायों के लोग गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 और 2 दिसम्बर को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और आरक्षण बिल पेश किया। उस पर बृहत चर्चा के बाद वह आरक्षण बिल पास हुआ। उस आरक्षण बिल में

आदिवासियों को 32 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय पास हुआ। ओबीसी को 27 परसेंट, एससी को 13 परसेंट और जनरल को 4 परसेंट देने का बिल पास हुआ।

चेयरमैन सर, इसी आरक्षण के संबंध में शासकीय संकल्प भी पास हुआ, लेकिन इसे राज्य सरकार ने पास किया, विधान सभा में पास हुआ, बहुमत के साथ पास हुआ, बड़ी चर्चा के बाद पास हुआ और राज्यपाल जी के पास स्वीकृति के लिए राजभवन गया, माननीय राज्यपाल महोदय कहते थे कि आप विधान सभा बुला लें और बिल पास कर दें तो मैं तुरंत हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। हमारी सरकार ने विधान सभा का सत्र बुलाकर बिल पास किया और बिल राजभवन गया, लेकिन आज तक आरक्षण बिल राजभवन में लटका हुआ है। आज तक माननीय राज्यपाल जी ने इस पर दस्तख्त तक नहीं किये हैं। चेयरमैन सर, इससे लगातार आदिवासियों में आक्रोश है, वहां के लोगों में आक्रोश हो रहा है, वहां की जनता आक्रोशित हो रही है कि हमारा आरक्षण बिल लटक गया है। हमारा आरक्षण बिल विधान सभा में पास होने के बाद भी राजभवन से पास नहीं हो रहा है, इसके चलते लोगों में लगातार आक्रोश हो रहा है।

राज्यपाल महोदय इसका बहाना ढूंढने ...* का काम कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल महोदय खुद आदिवासी हैं, उनको तो इस बिल पर रातों रात दस्तख्त करने चाहिए थे, लेकिन वह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक आदिवासी राज्यपाल और एक आदिवासी राज्य होने के बाद भी आदिवासी लोगों को आरक्षण देने के लिए सोच रहे हैं, यह कहां का न्याय है?

चेयमरैन साहब, हमारे राज्यपाल और हमारा राजभवन एक राजनीति का ...* बन गया है। वहां राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल किसके दबाव में हैं, क्या वह केन्द्र सरकार के दबाव में हैं, क्या वह प्रधानमंत्री के दबाव में है, क्या वह गृह मंत्रालय के दबाव में हैं, वह किसके दबाव में हैं? आरक्षण का मामला निश्चित रूप से गंभीर मसला है। इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। … (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय चेयरमैन सर, यह निश्चित रूप से गंभीर मसला है, इस पर निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे आरक्षण मसले पर मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करे। आपने आरक्षण निश्चित रूप से दिया, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पांच राज्यों के समुदायों को भी आरक्षण दिया। आरक्षण तो ठीक है, लेकिन केन्द्र सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को, जहां हमको फायदा होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, जहां हम नौकरी मांग रहे हैं, जिस सेक्टर में हमको नौकरी करनी है, आज उस सेक्टर की केन्द्र सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइज कर रही है। मैं बस्तर की बात करूं, बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट में आदिवासियों का हक है, वहां के लोगों का हक है, बस्तर के लोगों का हक है, आज सरकार उसको भी प्राइवेटाइज कर रही है। अगर वहां प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण देने के बाद हम नौकरी करने कहां जाएंगे, किससे नौकरी मांगेंगे, हमारे आदिवासी नौकरी करने कहां जाएंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाह रहे हैं।

इधर आरक्षण दे रहे हैं, इधर दो नीतियां नहीं चलेंगी, आरक्षण दीजिए, हमारा यह अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, आरक्षण हमारा हक है, यह हक सरकार दे रही है। जहां सरकारी सैक्टर है, आप सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कर रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सरकारी सैक्टर के उपक्रमों को प्राइवेट करके आरक्षण को समाप्त करने की कगार पर हैं। आप आदिवासियों को आरक्षण नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, क्या प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण के लिए कोई मापदंड तय करेंगे? आप सरकारी उपक्रम को प्राइवेट कर रहे हैं, क्या वहां आरक्षण लागू होगा? क्या इसके लिए सरकार बिल लाएगी? क्या इसके लिए सरकार विधेयक लाएगी? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बिल लाए, ताकि प्राइवेट सैक्टर में

हमारे लोगों को, आदिवासी लोगों को, ओबीसी वर्ग को फायदा मिल सके। उपक्रमों को प्राइवेट करने के बाद लाभ नहीं मिल रहा है। महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों का जीवनस्तर उठाने के लिए बेहतर काम किया है। एक समय में हमने देखा कि बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में सात प्रकार के माइनर प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, अब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 65 प्रकार की वन उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रहे हैं, सरकार खरीदी कर रही है।

तेंदू पत्ते का रेट, सरकार 2500 से 4000 प्रति किलोग्राम दे रही है ताकि वहां के आदिवासियों की स्थिति मजबूत कर सके। हमारी सरकार ने महुआ का रेट बढ़ाया, टोरा का रेट बढ़ाया। जहां पिछली सरकारों के समय में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर पैदा होने वाले प्रोडक्ट सड़कों पर फेंके जाते थे, कौड़ियों के भाव बेचे जाते थे, उन आदिवासियों के माइनर प्रोडक्ट खरीदने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। चाहे इमली हो, मउआ हो, टोरा हो या तेंदू पत्ता हो, सरकार पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य देने का काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारी कुछ मांगें हैं कि इस आदिवासी बिल में, जिस तरह से बस्तर की महरा जाति है, वर्षों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और सरकार से मांग करते रहते हैं कि महरा जाति को मेहरा, माहर, मेहर अनुसूचित जाति के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उस समय महरा जाति को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया था। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद महरा जाति को वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं किया गया।

मैं अपनी मांग के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज उस जाति को आरजेआई ने पास किया और उसके बाद एससी आयोग ने पास किया और फिर यह न्याय मंत्री के पास चला गया। मैं निवेदन करता हूं कि बस्तर की महरा और माहरा जाति को एससी में शामिल किया जाए। इसी तरह से दूसरी और जातियां हैं, जैसे अमनित जाति है, ये लोग बस्तर में निवास करते हैं। अमनित जाति एसटी में शामिल होने के लिए मांग कर रही है, इसे भी क्रमांक 6 में शामिल किया जाए।

पूरे देश में दो आदिवासी केंद्रीय विद्यालय हैं। बस्तर में जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे और नौवीं सूची में शामिल करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, I want to ask a question. Why was the Maharaja of Bastar killed by the Government forces? We want a reply. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can send a representation through your party and we will give you time.

… (*Interruptions*)

श्री अरूण साव (बिलासपुर): सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के उन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत किया गया है। आज वे 12 जनजाति के लोग देश के लोकतंत्र के सबसे मंदिर की ओर निहार रहे हैं और टकटकी लगाकर देख रहे हैं तथा नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्षों तक देश और प्रदेश में, जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का केवल शोषण किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ को भुखमरी में, अशिक्षा में और विकास से कोसों दूर रखने का काम किया। यदि आज छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान मिली है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, सीधे-सादे, भोले-भाले, सरल और ईमानदार लोगों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा है। वहां पर अरपा और पायरी जैसी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं तथा कोयले से लेकर हीरे तक की खदान हैं। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा रही है, लेकिन कांग्रेस की उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ था। आज मैं आपसे

कह सकता हूं कि बस्तर और सरगुजा की खूबसूरती देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पौराणिक काल से ही अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। इसीलिए, दुनिया कहती है कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया'।

सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी समाज का इतिहास भी अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और शहीद गेंद सिंह नायक जैसे युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों की आहूति भी दी। अपनी कला-संस्कृति और प्रतिभा के दम पर देश और दुनिया में हमारे आदिवासी समाज के बंधुओं ने पूरा नाम कमाया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 12 समुदाय हैं, ये 25-30 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन, आज जो अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वे कान में रूई डालकर सोए हुए थे। आज उनकी बात को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को यदि किसी ने सुना है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। आज इस समुदाय के लाखों लोग नरेन्द्र मोदी जी को बधाइयां और धन्यवाद दे रहे हैं। इस समुदाय के लोग बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा गरियाबंद, महासमुन्द, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव आदि जिलों में भी निवास करते हैं। आदिवासी समाज के उत्थान का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है।

आदिम जाति कल्याण विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय को अलग करके, उसके बजट को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान का काम किया है। 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' बनाकर आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रतिभा को संवारने का काम कर रही है। नरेन्द्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया है।

अगर किसी ने आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार आदिवासी समाज की एक बेटी को संविधान के सर्वोच्च पद पर प्रतिस्थापित करके आदिवासी समाज का मान-सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य में 15 सालों तक हमारी सरकार थी, हमने बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए एक अलग विकास प्राधिकरण का गठन किया था। एक अलग विकास प्राधिकरण का गठन करके इन क्षेत्रों में पुल-पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल, कॉलेज, महाविद्यालय इत्यादि।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Deepakji, you have already made your point. Please take your seat.

श्री अरूण साव : महोदय, हमने सरगुजा और बस्तर के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की थी। हमने स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेज़ बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, पुल-पुलिया, सड़कों का जाल फैलाकर बस्तर और सरगुजा को विकास की मुख्य धारा में लेकर आए हैं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनजातीय समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा उपलब्ध हो, हमने इसके लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया है। वे प्रतियोगी परिक्षाओं में आगे बढें, उनको अवसर मिलें, आसमान की ऊंचाइयों पर उडें, इसीलिए उनके निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। चाहे वह 'प्रयास योजना' के नाम पर हो, 'उत्कर्ष योजना' के नाम पर हो, यूथ हॉस्टल के नाम पर हो, 'छूलो आसमान योजना' के नाम पर हो। मैं इन योजनाओं को माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के बच्चों ने बड़ी सफलता हासिल की है और उसका बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है।

महोदय, हमने बस्तर और सरगुजा में न केवल एक-एक विश्वविद्यालय बनाए हैं, बल्कि हमने दोनों जगहों पर एक-एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया है। ये हमारा काम है। हमने लाइवलीहुड

कॉलेज बनाया है, ताकि आदिवासी समाज के बच्चे पढ़कर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार की दिशा में काम कर सकें।

सभापति महोदय, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने दंतेश्वरी मईया के धाम दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी का निर्माण किया है। वहां 7,500 बच्चों के पढ़ने का इंतजाम भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केपीएमजी ने वर्ष 2012 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ योजनाओं-परियोजानाओं में हमारी एजुकेशन सिटी को स्थान दिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंद्रावती नदी में कई पुलों का निर्माण किया गया है, ताकि बस्तर के लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्रिवेणी नदी पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। वहां पर रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए हमने ब्रिज का निर्माण किया है और बस्तर को महाराष्ट्र से सीधे जोड़ने का काम किया है। आज हमने एक अच्छा पीडीएस सिस्टम बनाकर घर-घर तक राशन पहुंचाकर बच्चों के खाने का इंतजाम किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हमारे भाई-बहनों के पैरों में कांटा न गढ़े, उसके लिए हम 'चरण पादुका' योजना लेकर आए हैं और उनको हमने चरण पादुका उपलब्ध करवाने का काम किया है... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं गर्व से यह बात कहता हूँ कि मैं खुद भी आदरणीय केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी के साथ नारायणपुर गया था। हमने नारायणपुर में मलखंब की अकेडमी प्रारम्भ की है। उस मलखंब खेल के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से उनकी कलाकारी देखी है।

डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी ने भी देखी है। हमने बच्चों को बड़े-बड़े खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं तथा उनको आगे बढ़ाने का काम किया है... (व्यवधान) मेरे भाई, आज कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देखकर आया हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. DNV Senthilkumar.

... (*Interruptions*)

श्री अरूण साव : हमने जो संस्थान बनाए हैं, उनमें ये आज झाडू नहीं लगा पा रहे हैं, झाडू नहीं लगा पा रहे हैं।… (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस विधेयक के पास होने से लाखों जनजाति भाई-बहनों को न्याय मिलेगा। उनके सपने साकार हो सकेंगे। प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को, माननीय अर्जुन मुंडा जी को, रेणुका सिंह जी को इन लाखों परिवारों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज न्याय देकर यह बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और मोदी है तो मुमकिन है। यह आज उन्होंने बता दिया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं आप सभी से समर्थन की अपेक्षा करता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस।

… (व्यवधान)

श्री अरूण साव : सभापति महोदय, मुझे डिस्टर्ब किया गया है। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।… (व्यवधान) उन्होंने जो राजनीतिक बात कही है, एक आदिवासी बेटी को आज… (व्यवधान)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing of whatever he speaks is going on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Dr. DNV Senthilkumar will go on record.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अरूण जी, आप बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your time is up. Please be seated.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON: Now nothing is going on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Dr. Senthilkumar is going on record.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Deepak Ji, please take your seat.

… (*Interruptions*)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Chairperson. Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Bill.

At the outset, I would like to welcome this Bill. … (*Interruptions*) As the Minister of Tribal Affairs is here, there is a long-standing demand from the State of Tamil Nadu that certain more communities should be included in the Scheduled Tribes List. … (*Interruptions*) Sir, I take this opportunity to represent the Kuruman Tribes who are dwelling throughout the State of Tamil Nadu, especially in my Constituency, Dharmapuri and its adjoining places like, Villupuram, Kallakurichi, North Arcot. There are many people from this community. They have a different traditional culture and custom.

Even if the Kuruman Tribes are called by its several synonym names such as Kuruma, Kuruman, Kurumba, Kurumba Gounder, Kurumban, Kurumbar, etc., depending upon the place, language and pronunciation, all are one and the same, that is, the Kuruman Tribal community or the Kuruman Scheduled Tribes. The synonyms and other names have been accepted by the Tribal Research

---

* Not recorded

Centre, Ooty. The Director's Reports for the years 2001 and 2002 also stress that. Various anthropological study reports confirm that. The Division Bench of the hon. Madras High Court in its Contempt Petition verdict, after examining the documents or evidences thoroughly, made the recommendation for inclusion of the Kuruman ST synonym names in the ST List.

The State Human Rights Commission also directed both the Central and the State Governments to include Kurumans ST synonym names in the ST List. Like that, the Petition Committee of the Tamil Nadu Assembly also made recommendation for that. The first comprehensive and comparative study done by the Regional Head of the Department, Department of Tribal Studies, Dr. K. M. Meitry, submitted his Report to all the Constitutional authorities on 3.12.2021. Obviously, it also revealed and satisfied that all the synonym names are one and the same, that is, the Kuruman tribal community with its Kuruman ST synonyms.

Moreover, I introduced a Private Member Bill, No. 29 of 2022, dated 22.11.2021, in this Parliament for the implementation of the court's order to include all synonym names of Kurumans in the ST List.

Kurumans was in the Depressed Class list in 1931. In 1936 it was included in the S.C List, and it was in the Backward Tribes List in 1955. In 1950, the common and generic name of this tribe Kurumans (plural in English) was included in the ST List without knowing the intention of legislation which was framed by the State and the Central Government arbitrarily, which classified them in the MBC/ OBC List.

This is a mistake of the Government and not that of the tribal people. Now I understand that the RGT has ignored all the document evidences, flouted the Court order, and agreed for inclusion of Kuruman alone along with Kurumans. This is unethical, unconstitutional, flouting and insulting of the hon. High Court's division bench's order on contempt petition. Law makers should not be law breakers. Therefore, the hon. High Court order and recommendation of the Tamil Nadu Government, and TRC Director's reports should be accepted and respected, and a swift action for inclusion of Kurumans in the ST List be taken.

Or, as suggested and accepted by the RGI vide communication no. 44019/2016/ Mota, the Kurumans synonyms may be included in the ST List along with Kurumans and Kurubars at the earliest, and set right the anomaly due to which they are deprived of social justice for many decades.

Sir, since they have been affected for many years, and have been denied their reservation in education and jobs, I urge upon the hon. Minister to take immediate action and include all the names in the ST list.

Sir, there is also another community which is called the Lambadi community which is there in many other States like Karnataka and Andhra Pradesh. That community is also having a huge population in areas like Mettur, Kolathur and Harur of my constituency, Dharmapuri. They are classified in some other States. But when it comes to Tamil Nadu, they are not in the ST List. So, I would urge upon the hon. Minister to include the Lambadi community in the ST List so that they are no more deprived of social welfare and justice. Thank you, Sir.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022. Though it took many years for the Government to come up with the Bill, it is a welcome step.

Sir, those who say that reservation has adequately covered all the vulnerable communities, I would like to remind that no reservation or schemes are in place unless the issues of the marginalized communities in disadvantaged regions are comprehensively addressed. Reservation in schools and colleges do not fit on the page when the people from such communities are unnourished and have to travel a far long distance without proper roads.

According to a report of the Basic Road Statistics of India, only 63.24 per cent of the total road length is paved in India, and only 30.04 per cent share of roads that runs through reserved forest areas is even surfaced. While only some areas are connected, the condition of those roads too is pathetic. Being a hilly terrain, flash floods badly damage existing roads, making travel a difficult proposition. Still in many regions, goods reach the tribal villages through cable transport lines.

The communities also lack access to education and healthcare facilities. India is home to about one-third, that is, 104 million tribal people, of the global tribal and indigenous population, out of which 42 per cent of children are reported to be underweight.

In addition to this, the healthcare system and the number of specialists posted in tribal areas are worse than scarce. Most of us have not forgotten the

incidents where sick patients in tribal areas are transported in improvised *dolis* to the closest public health centres.

Sir, in the Bill we are speaking for inclusion of tribes residing in Chhattisgarh tribal belt. We have seen that the tribal people in Chhattisgarh use bike ambulances to reach to public health centres. I would suggest the hon. Minster that this type of motorcycle ambulances should be provided to every tribal region where there is no way to reach to the hospitals from their habitations. Most of these are hilly areas where there are very narrow roads, and four wheelers cannot reach. So, bike ambulances should be provided in those areas.

Sir, the digital divide is a great issue in the tribal areas where children are missing out on school and the larger technological revolution. Today we are talking about Digital India, but in tribal areas, people, students and the local youth are far away from internet connectivity.

Despite the increasing number of sportspersons from tribal communities and their winning medals in India, it has failed to open the eyes of the Central Government and also the local Governments. The sports infrastructure facilities established in the tribal areas are negligible besides the fact that their higher physical stamina could give a boost to the medal tally in sports events also. Therefore, if this type of an amendment is being made to the Constitution, we should also try to change their way of livelihood, provide them good quality hospitals, schools, sanitation, and safe drinking water. We have to provide these facilities to these tribal people whom we are including in the list. Simply including them in the Tribal List will not work. In Chhattisgarh, there is a demand for many

years to include Mahara or Mahar in SC List and Amnit in ST List. This demand has been pending for a long time. This should be taken care of because already in Part IV C of Madhya Pradesh Government Gazette of December, 1958, Mahara is included. So, it should be taken care of.

There is a need to conduct socio-economic caste census so that we have specific data on various castes. Why has this caste census not been done till date? The Minister should reply to the House on this point. Census data of various castes is essential for proper planning for developing welfare schemes for them so that those castes or communities can benefit from them.

If we simply bring a Bill to include them in the list, it does not help them. We know that when we feel cold, we wear a sweater or a shawl. It means that those things should already be there in our house to protect us from cold. That is why, I feel that a caste census should be done.

Sir, allocation for employment generation for ST in the Union Budget for 2022-23 has been reduced from Rs. 89.5 crore last year to Rs. 11.3 crore this year. So, there has been a cut of 87 per cent. According to the Dalit Arthik Adhikar Andolan, there is an allocation gap of Rs. 40,634 crore for the SC and Rs. 9,399 crore for the ST. This should be taken care of.

Sir, West Bengal Government under the leadership of Mamata Banerjee has started many welfare schemes. There is a pension scheme for the elderly persons.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, I am the only speaker from my party. I request you to give me five minutes.

Many welfare schemes have been started by our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee. We have Jai Johar Scheme under which pension is being provided to the elderly persons of all the SC/ST communities so that the elderly vulnerable persons of these communities can be taken care of.

I wish to make another request and give a suggestion. West Bengal Government conducts 'Duare Sarkar' which has been appreciated by the Central Government. Such a scheme should be launched in the SC-concentrated areas so that people, who are not able to come to the office of BDO or SDO, can get the benefit of the schemes run by the Government. So, this should be done.

Sir, malnutrition among the STs is the most sensitive and a very worrying part. Due to malnutrition, we have seen anaemic patients and also the patients who have even lost their eye-sight. According to the present day prices of food items, about Rs. 130 per person per day are required. For a family of five, it comes to Rs. 650 per day and Rs. 19,500 per month. They cannot meet this expenditure.

There should be an expert committee for the Adivasi *parivar* and for the ST families so that they can get a good one-day meal for them.

The last point which I would like to make is this. The National Crime Records Bureau data shows that the atrocities against the STs have increased by 6.4 per cent in 2021. In Uttar Pradesh, the highest number of cases were recorded. Around 13,164 cases of atrocities against SCs were recorded. Violence

against the Dalits and Adivasi women has also risen. We have seen the number of increasing rape cases with regard to SC/ST women. The rape cases against SC women account for 7.6 per cent and rape cases against ST women account for 15 per cent out of the total cases.

We have seen in Madhya Pradesh and Rajasthan how Kartik Bhil, Dhanpat, Sampat Lal, and Viraj were murdered. So, we seek justice for these Adivasi people and ST people who have lost their lives due to the Government's failure. Through the Bills which we are passing over here, justice should be given to them.

Thank you, Sir.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on behalf of YSRCP on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 with respect to its application to Chhattisgarh.

*Sir, I would like to speak in Telugu with your kind permission.

I thank the hon. Chief Minister Shri Y S Jagan Mohan Reddy and the people of Kurnool for sending an ordinary person like me to the Parliament. I am here to express the views of YSR Congress party on this bill. We support the bill sir. While taking steps to achieve equality and social justice in the society, Jagan Anna reserved place in the hearts of poor and backward classes. He is being hailed as the torch bearer of backward classes, social reformer, trendsetter and a

---

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Telugu.

popular leader throughout the country. Our party's fundamental principle is social justice therefore we fully support this bill.

If we look at the provisions of this Bill, we can understand that this amendment Bill has been brought as per the recommendations of the Government of Chhattisgarh and after consulting Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribes. Amendments have been made to the Constitution Scheduled Tribes Order Act of 1950. Some more tribes are being added and equivalent names of some other tribes are being provided in this amendment Bill. We believe that the scientific process has been followed and consultations with the concerned stakeholders have been held before bringing this bill to the Parliament. Therefore, we fully support this amendment Bill.

Students have to waste their valuable time to get a caste certificate from the Government offices. I hope this amendment Bill will address such issues of the students. We also hope that this amendment bill will improve the situation of these backward tribes. I would like to use this opportunity to give some suggestions to the Union Government. I will mention unresolved issues of weaker sections, especially of schedule tribes of our society for so many decades. Due to spelling mistakes in the names of castes we have to bring amendment bills frequently. Therefore, I request the union government to publish the names of these castes in vernacular languages as well. By doing so, we will be avoiding such amendment bills in future. Sir another important issue is about proportionate representation in the government. Government includes people’s representatives as well as officers. We cannot indulge in day dreaming by chanting "Sabka Saath

Sabka Vikas". We should ensure that there is equal distribution of natural resources and government resources. As Babasaheb Ambedkar stated that for all the problems we find solutions through politics, therefore the Government of India should ensure proportionate representation of the weaker and backward castes in politics.

As the Government includes people's representatives and government officials, I request that these weaker sections should get proportionate representation in both parts of the Government. As stated by Dr B R Ambedkar *

Equalisation of unequal society is one of the prime objectives of our constitution. Equal treatment of unequals was pictured inequality.

So, by bringing this amendment Bill you are adding some more castes to the list of schedule tribes. In this regard there is a need to increase the reservation quota of schedule tribes from 7.5%. As per article 243 d 341 and 342 proportionate reservations guaranteed to the SCs and STs in the constitution. I request the Honorable minister to listen to my proposals in this regard.

I will request hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Munda Ji, to kindly note down my points.

*Socio economic caste census. Equitable distribution is a natural principle of justice. There is a need to find out how many people belonging to SC, ST, backward classes and minorities are living in pathetic conditions. Due to the lack of unity, our country suffered thousand years of slavery. To ensure that history is

---

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Telugu.

not repeated we should achieve unity in our country. To achieve unity we should have equality. To have equality we should know the conditions in which all people are living. Therefore, we should have a caste census along with other socio-economic parameters and that report should be made public. Baba Saheb Ambedkar has stated that caste is the only reason for the backwardness of the people in our country. Therefore, it is mandatory for us to conduct caste census. Literacy rate amongst tribals is very low.*

National average of literacy is 73 per cent, whereas it is 59 per cent in the Scheduled Tribes.

This difference that we see here should be reduced by taking appropriate actions by the government. Wherever the population of tribals exceeds 5000, we should have an Eklavya school in that area. Schedule tribes are being discriminated against, on the basis of language, culture, caste and standard of living. In this regard we have many laws but these are not being implemented at ground level effectively. Problems related to health and nutrition, we need to focus on this.

Most of the deaths are occurring in Scheduled Tribe population due to common diseases like malaria, diarrhoea, malnutrition, jaundice etc. So, I request the Government to take special interest in that and establish medical colleges in extreme tribal areas also.

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Telugu.

Sir, tribal dialects are getting extinguished. The Government should take necessary steps in this regard.

Regarding delimitation of ST Assembly Constituencies, there is a popular demand from the Scheduled Tribe communities that the number of ST constituencies need to be increased on the basis of population district-wise as is done for Scheduled Castes. People from Scheduled Tribe communities are also requesting for a special drive recruitment.

* As per the assessment made by the associations of Scheduled Tribes, they represent only 3% of employees in both state and Central Government, though they have 7.5 percent in reservation. Therefore, I request hon. Minister to bring out the actual figures of tribals who are employed in both Central as well as state governments. As the union government is privatising many government organisations, the benefit of reservation that tribals would have got is being denied. Therefore, I request the government to introduce reservations in the private sector as well. *

Distress migration is very high in Scheduled Tribe communities. The Government should provide them necessary financial assistance and prevent a distress migration.

*There is one important government scheme by the name credit guarantee scheme and stand-up India scheme in which SC, ST are exempted from providing collateral security to get loans but banks are ignoring this provision and

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Telugu.

are not providing loans to the people belonging to these groups. I request the hon. Minister to look into this issue.*

To conclude my speech, I have one request from Andhra Pradesh about the Central University of Andhra Pradesh.

* In the Andhra Pradesh reorganisation act 2014, a tribal University was sanctioned to the state of Andhra Pradesh. Funds for this university are not being released adequately and as a result this university is functioning in rented accommodation. Therefore, I request the union government to release the funds and develop the tribal University in Andhra Pradesh at the earliest.*

Sir, with these words, I conclude my speech. I thank you for giving me this opportunity.

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर) : सभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022 छत्तीसगढ़ से संबंधित जो 12 जनजाति समूह कई सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनको इसमें समाविष्ट नहीं किया गया था। लेकिन, उन लोगों के लिए अभी के शासन ने प्रयास किया है। इसलिए, मैं इस विधेयक को सपोर्ट करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का मुद्दा बड़ी चर्चा में है। सदन में कई बार महाराष्ट्र के सांसद, जो गैर-आदिवासी धनगर कम्युनिटी है, इस धनगर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की वे मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी, पिछले दशक से चुनाव के मुद्दे को नजर में रखते हुए, यह मांग जोर पकड़ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में धनगर ऐसी जाति है, जिस एक ही जाति को वर्ष 2000 में एक नोमैडिक ट्राइब के तौर पर 3.5 परसेंट का आरक्षण दिया गया था। यह इसी एक

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Telugu.

कम्युनिटी को दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जनजाति है, जो कि तकरीबन 47 जनजातियां हैं, उनको 7.5 परसेंट आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन करके राज्य सरकार का जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, जो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट पुणे में है, वह तय करता है कि किस कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उसने स्पष्ट किया है कि धनगर जाति को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार इस जाति की जो मांग है, उसको इस टीआरटीआई ने ठुकराया है। हाल ही में, पिछले शासनकाल में, भाजपा-शिवसेना की युक्ति वाली सरकार ने धनगर आरक्षण के मामले में नामांकित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज संस्था, जिसे TISS के नाम से जाना जाता है, वह एक नामांकन इंस्टिट्यूट है, उसने भी धनगर जाति के बारे में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में धनगर जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद भी राजनीति के लिए यह मांग बार-बार उठाई जा रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज है, उसकी धनगर जाति के संबंध में जो रिपोर्ट है, उसे सार्वजनिक किया जाए। महाराष्ट्र में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, मेरा पालघर डिस्ट्रिक्ट है, जहां जव्हार मोखाड़ा है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में तोरंमल है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के भी कई ऐसे एरियाज हैं, ऐसे जो कई एरियाज हैं, हर साल आदिवासियों भाइयों के जो छोटे बच्चे हैं, मालन्यूट्रिशन की वजह से हर साल करीबन चार या पांच हजार आदिवासी बच्चे कुपोषण से मरते हैं। वे स्टार्वेशन से मरते हैं।

हमारे यहां ट्राइबल्स की ऐसी कन्डीशन है कि वे सुबह काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी ट्राइबल्स की सिचुएशन है। लेकिन धनगर कम्युनिटी में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, हमारे मराठा समाज के भाइयों के बाद, सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास 200 एकड़ लैंड है, किसी के पास 50 एकड़ लैंड है, किसी के पास 25 एकड़ लैंड है, किसी के पास 10 एकड़, तो किसी के पास 5 एकड़ लैंड है।

महोदय, इकोनॉमी के तौर पर ट्राइबल में उनकी गिनती नहीं हो सकती है क्योंकि ट्राइबल्स से कई गुना लैंड उनके पास है। मेरी मांग है कि ऐसी जो कम्यूनिटी है, उन्हें धनगर कम्यूनिटी को ट्राइबल में नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में फर्जी जनजाति प्रमाण पत्र का भी इश्यू है। न्यायालय के आदेश के चलते मामला पेचीदा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलाराम बहरा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में ऐसा निर्णय दिया था कि जिस व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और जिस का जाति प्रमाण पत्र पड़ताली द्वारा अवैध घोषित किया गया है, उसकी नियुक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने void-ab-initio करार दिया है। इससे पहले स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में सेवा में संरक्षण दिया था, लेकिन इस केस में निर्णय के बाद स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही फैसला पलटाते हुए कहा कि यह उचित नहीं है कि महाराष्ट्र में आर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल संघटन ने उच्च न्यायालय में याचिका तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राज्य में लागू करने की मांग की है और फर्जी जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारी, जिन्हें 15 जून, 1995 के शासन निर्णय का हवाला देकर सेवा में संरक्षण दिया था, वह बात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है, ऐसी दलील उच्च न्यायालय में रखी। दुर्भाग्य में महाराष्ट्र में अभी 55096 वैकेंसीज को सुपरन्यूमररी पदों में लिया गया है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और विशेष मागास प्रवर्ग की जाति पड़ताली हेतु एक कानून वर्ष 2000 में पारित किया था। उसमें सेक्शन 10 और 11 में क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी के प्रावधान किए गए थे। उस प्रावधान पर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का मामला बहुत अहम है। जो असली आदिवासी हैं जैसे ठाकुर कम्यूनिटी के लोग हैं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। कोष्टी, मनेरवालर, कलार, धनगर, कुम्भार आदि जातियों ने ट्राइबल का सर्टिफिकेट बनाया है और असली आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है।

मेरी मांग है कि जिन्होंने इस तरह से ओरिजिनल ट्राइबल्स के सर्टिफिकेट पर अपना सर्टिफिकेट बनाया है, उसे बर्खास्त किया जाए। आदिवासियों की जो लैंड है, वह गैर आदिवासियों को

हस्तांतरित नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ट्राइबल लोगों की लैंड प्राप्त की है। वर्ष 1974 के महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट और राष्ट्रपति अध्यादेश 36अ और 36ब का सीधा-सीधा महाराष्ट्र में उल्लंघन हो रहा है। राजस्व मंत्री ने कई ऐसे केस निकाल दिए हैं कि तीन, साढ़े तीन हजार के आस-पास आदिवासियों की लैंड जो महानगर हैं जैसे मुम्बई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद के आस-पास ऐसी कई आदिवासी लैंड है, जिन्हें ग्रैब किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र शासन को आदेश दिया जाए कि जो भी आदिवासी लैंड किसी गैर आदिवासी ने फर्जी सर्टिफिकेट द्वारा हासिल किया है, उसे बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद।

16.00 hrs

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Chairman Sir, this is the fifth in the line of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bills that the Government is bringing to this House.

Needless to say, we welcome the Government's move to include more and more of our tribal brothers and sisters who have been on the margins of society for hundreds and thousands of years and who deserve all the support that the State can give them and that we collectively as a polity can give them. There is no question of any section of this House grudging the good luck that the tribals in Karnataka, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh etc. have and that these tribal brothers and sisters have had the good luck of being included as part of the Scheduled Tribe community which will give them much needed benefits, much needed support for their upliftment in society.

Obviously, we support this initiative of the Government. I have, as all my colleagues have from various States, a few suggestions and requests to the Government. Please do not neglect Odisha in the context of inclusion of the

Scheduled Tribes from Odisha. Hon. Minister, not that you have been the Minister all this while but now that you are the Minister, you are the one we have to come to plead with. From 1978 till 2022, the State Government of Odisha has requested for more than 160 Scheduled Tribes to be included as part of the Scheduled Tribes community list.

May I say this that the last time when Odisha had some relief in this regard was when our colleague, Mr. Jual Oram, who is here, was the Minister way back in 2001 and 2002 when, of course, the BJD and the BJP were partners in Government. Shri Naveen Patnaik ji then requested Jual ji who was the Minister from our State. He very kindly decided to post-haste push through some of the Scheduled Tribes. We are grateful to Mr. Oram for that but now we are no longer partners in Government in Odisha. I do recognise the fact that the hon. Prime Minister, Modi ji, has always looked at Odisha with a benevolent eye. Any constructive suggestions from the Chief Minister of Odisha have always been met with favour. Many of our distinguished Ministers are here. Mr. Hardeep Singh Puri is here.

16.01 hrs (Shri A. Raja *in the Chair)*

I must take the opportunity of thanking him in person for many of the initiatives that have come from the Odisha Government which he very kindly post-haste pushed through in his Ministry. The Chief Minister of Odisha has given a couple of suggestions which merit consideration. The methodology and modality for inclusion of Scheduled Tribes is, I think, an outdated modality today. Kindly see that you are still following the Lokur Committee's recommendations of 1965

which are almost a half a century old. Now what does the Lokur Committee say? The Lokur Committee way back in the 60s had mentioned that communities to be included as Scheduled Tribe must have primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and socio-economic backwardness. These are in today's time in 2022 outdated notions. Today, our boys and girls from Scheduled Tribe are at par with anybody from any caste and from any region in the country. They are outshining them. The hon. Minister here is an outstanding example of that. You all have now come forward and taken your place in society in a very, very large measure. We thank you for your hard work, your initiative, your brilliance in terms of your mind, and your bodily energy which is next to none in the world. Therefore, today, to go by these categorisations, I think, is an outdated notion. My Chief Minister, therefore, has repeatedly, requested the Government in 2014, 2021 and 2022 to set up a quadripartite committee. It should be a fresh quadripartite committee comprising the Ministry of Tribal Affairs, the Registrar General of India, the Anthropological Survey of India, and the Government of Odisha. Apart from that, you can also include technologists, anthropologists, and the representatives of various State Governments which have a very large tribal base and ensure that a more broad based approach is taken, rather than these narrow prisms for inclusion as Scheduled Tribes.

I think our Scheduled Tribe brothers and sisters require today a much more holistic and a much more broad-based approach in terms of their recognition. If you go by these narrow definitions of who can be a Scheduled Tribe, then in fact

some of the established Scheduled Tribes today who are part of the Order will probably be disentitled because none of them will have these characteristics. So, this is not fair. People know Scheduled Tribes are not being included only because they are being kept out on these very narrow prisms.

So, I would request you to kindly heed to what Naveen babu had said to set up a new quadripartite committee with a time-bound agenda so that they give you a report at the quickest possible initiative. Then, you follow up on that and give all other States particularly Odisha which has a very large Scheduled Tribe community comprising of more than 22 per cent. That is a very large number in the country and for our State. I would, therefore, seriously urge you to please pay heed to what my Chief Minister has repeatedly written. The last of these letters is dated 16-9-2022, by when I think, Munda ji, you have already taken over as the hon. Minister. In fact, nine proposals have already been cleared way back in 2014. We are in 2022 and the Government is still not bringing that as part of a Government Order. There is no reason for this kind of laxity. I think you have to pull up your Ministry officials. There seems to be some degree of laxity there because for eight years a proposal is pending after it is cleared by everybody. The State Government has cleared it, your Ministry has vetted it, scrutinised it and cleared it. All it needs is a Government Order. Jhodia for instance, as Jual Oram ji was telling me just now, which is one of the Scheduled Tribe communities, has been left out needlessly completely. In my Constituency, Soro has been included Suaro has not been included. It is just a phonetic distinction which could be between villages. That does not mean that either of them is not a

Scheduled Tribe. Therefore, I think a more holistic approach is something that we would request you. The Ministry of Tribal Affairs has gone in April 2022 to the State of Odisha. They have discussed various proposals. Those proposals are lying with you, hon. Minister. May I request you once again to kindly do justice to Odisha, and apart from Odisha all other States also. I am not only canvassing for Odisha. We are glad and we support the fact that you have brought in these States that you have brought in today and in the last four, five days. In the Budget Session, please do justice to States like Odisha which have been left out for a long time and our brothers and sisters of the tribal community have been left out. They are today excelling in hockey, archery, gymnastics, in all fields of sports. Tribal boys and girls from Odisha today are in the forefront of India and the world. Let me request you to kindly play a little attention to this at a very very rapid clip and ensure that Odisha is at par with the rest of the States.

I thank you once again Mr. Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

श्री गिरीश चन्द्र (**नगीना**): महोदय, आपने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पर मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विचार जानना चाहा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, इसके पहले भी अनुसूचित जाति व जनजातियों के वास्ते लाए गए समस्त संविधान संशोधनों पर हमारी पार्टी ने हमेशा सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। यदि कोई भी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की जाती है तो वह जाति कहीं न कहीं किसी अन्य जाति, जैसे ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी न किसी वर्ग से आती है। इन जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया

जाना यह दर्शाता है, लोगों के मन में विश्वास बनता है कि ये जातियाँ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से नितान्त ही दबी हुई हैं, पीछे हैं और यदि इनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो इन जातियों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यदि सबसे पहले नौकरी की बात की जाए तो सरकार धीरे-धीरे समस्त सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर्स में देती जा रही है, जहाँ आरक्षण की कोई सुविधा नहीं मिलती है। वहाँ दोहरा मापदण्ड अपनाया जाता है। यहाँ एक तरफ तो आरक्षण दिया जा रहा है, उस जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है कि इससे उस जाति का आर्थिक उन्नयन होगा, वहीं दूसरी तरफ उसको मिलने वाले आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर उनका आर्थिक उन्नयन कैसे हो सकता है। माननीय मंत्री जी अपने प्रत्युत्तर में इस संबंध में जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ शिक्षा की बात की जाए तो परास्नातक स्तर पर मात्र एक हजार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देनी समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय ने तय की है।

पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कई हजार होती है, लेकिन एक हजार छात्रों को छात्रवृत्ति देना, यह ऐसे साबित करता है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। एक प्रकार से कहा जाता है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के बलबूते वे पढ़ाई व नौकरी पाते हैं और दूसरी तरफ इन वर्गों के लोगों को नौकरी पाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, जब इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, जब इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो सरकारी क्षेत्रों में ये कैसे नौकरी पाएंगे? मेरी आपकी तरफ से यह मांग है कि जितने छात्र परास्नातक में एडमिशन लें, तो प्रत्येक छात्र को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था यह सरकार करे। इसी प्रकार सरकार को यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता है तो सरकार उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी रोके। एक छोटा उदाहरण है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार आया है, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में इन वर्गों के ऊपर अत्याचार से संबंधित घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 25.82

प्रतिशत घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं दूसरा नंबर राजस्थान का आता है, जहां 14.7 प्रतिशत घटनाएं इन वर्गों के ऊपर घटित हुई हैं।

महोदय, मेरा अभिप्राय किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नवनिर्माण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का हमेशा-हमेशा सहयोग रहा है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लक्ष्य बनाकर इस देश में संविधान के विरुद्ध जुल्म और ज्यादती की जा रही है? इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों से संबंधित कुल 2 लाख 63 हजार 512 मामले लंबित हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इन वर्गों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आगे आने हेतु यह भी संविधान में संशोधन लाया जाये कि देश में चाहे सरकारी, अर्धसरकारी या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां आरक्षण की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाये। इनको संविधान के अनुरूप चतुर्मुखी विकास के लिए हमेशा मौका दिया जाये।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

चेयरमैन साहब, इस बिल के ऊपर अभी जितने लोगों ने भी बात की है, सब लोग यह चाहते हैं कि उनके रिजर्वेशन के बारे में, जितनी भी कास्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, उसके साथ-साथ उन लोगों की लाइफ अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस सरकार को देखना बहुत जरूरी है। अभी-अभी एक ऑनरेबल मैम्बर बात कर रहे थे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत लोग दिनभर काम करने के बाद भी शाम को भूखे मरते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है। हमें स्वतंत्रता मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी अगर लोग बिना खाने के मर रहे हैं, वह भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ऐसी कास्ट्स को अपलिफ्ट करने की बनती है। उन लोगों के एरिया को डेवलप

करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों को सर्विस सेक्टर में सुविधा देने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह बहुत दु:ख की बात है। अभी भी ट्राइबल में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। इस देश की परिस्थिति पर बहुत से ऑनरेबल मैम्बर्स ने बात की है। उसके बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। उसके साथ-साथ तेलंगाना बनने के बाद हम एक बिल लेकर आए हैं। वह बिल नम्बर 2017 है। हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और उसी के साथ-साथ सर्विसेस में रिजर्वेशन देने के लिए उस बिल को असेम्बली में पास करके 2017 में केन्द्र सरकार को भेजा था। हमने इसके बारे में कई बार लेटर भी लिखा है। इस हाउस में इस बिल के बारे में बात भी की है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है। हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर से भी इस बिल के बारे में काफी कुछ बातें भी की हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को एसटी एवं एससी के लोगों को, असल में उनके जीवन में जो तकलीफ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, तो पहले तेलंगाना के इस बिल को तुरंत पास करवाइए। तेलंगाना का बिल, वर्ष 2017 से, करीब 4 साल से केंद्र में पड़ा हुआ है। इसको तुरंत पास करवाइए और एक्ट बनाइए। हमारे तेलंगाना के एससी एवं एसटी लोगों को इसके माध्यम से सपोर्ट कीजिए। नहीं तो, यह क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे तेलंगाना के एससी, एसटी एवं बैकवर्ड क्लास के लिए आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। यह मैसेज आप दे रहे हैं। उसके साथ-साथ हमने कैटेगराइज़ेशन के लिए भी, वर्ष 2014 में असेंबली रेज़ोल्युशन के माध्यम से ए, बी, सी, डी के कैटेगराइज़ेशन के लिए बिल आपके पास भेजा है। आज उसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें भी आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। यह सब आपको देखना चाहिए। उसके साथ-साथ हम यही बोलना चाहते हैं कि आज हम जिस संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, उस संबंध में मेरा यह कहना है कि जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है – माननीय बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, उनके नाम पर हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम रखने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं।

इससे हमारे देश के एससी, एसटी एवं बीसी लोग यह सोचेंगे कि नई पार्लियामेंट का नाम अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने भी तेलंगाना में असेंबली की नई बिल्डिंग का नाम अंबेडकर जी के नाम पर रखी है। आपको भी ऐसा करना चाहिए। उसके साथ-साथ तेलंगाना में हम लोग दलित बंधु स्कीम में दलितों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसमें हरेक दलित को 10 लाख रुपये फ्री में दे रहे हैं। उस रकम को वापस करने की जरूरत भी नहीं है। उसी तरह से एसटी के लिए पूरे देश में आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बंधु स्कीम बना कर उनको सुविधाएं दीजिए, तभी उन लोगों के परिवार ऊपर उठ पाएंगे और उनका जीवन थोड़ा सुधरेगा। उसके बाद मेरा यह कहना है कि सन् 1917 एक्ट आप लोग लाए हैं, जिसमें उस टाइम से ले कर अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उन लोगों की लैण्ड्स की रजिस्ट्रेशन के लिए रुकावट चल रही है। आप उस बिल में भी अमेंडमेंट कीजिए। एसटी अपनी खेती-बाड़ी करता है, उन खेतों को उनके नाम पर रजिस्टर करवाइए और उनको दीजिए। यह तेलंगाना का मामला नहीं है, पूरे देश में एसटी के लोग जो लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उन खेतों को उनके नाम पर रजिस्टर करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ।

सर, मैंने जो 3-4 मुद्दे उठाए हैं, हम तो माननीय मंत्री जी से यही बोलेंगे कि आप अपने रिप्लाई में इन बातों को शामिल कीजिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 75 सालों के बाद भी हमारे हउस में एसटी के लोगों की भूख से मौत की बात हो रही है, इसकी वजह से हमको भी बहुत तकलीफ हुई है। उसके लिए भी आप क्लियरकट यह बताएं कि ऐसे लोगों के लिए यह सरकार क्या करेगी? उसके बारे में रिप्लाई करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, on behalf of my Party, I stand here to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

Let me make it very clear that I thank Shri Arjun Munda ji, who consistently, relentlessly कि पूरा हफ्ता इन्हीं के बिल चल रहे हैं। आज चौथी बार, भले ही वह तमिलनाडु का हो,

कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़ का हो और हिमाचल प्रदेश - इन 4 राज्यों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ।

सर, जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहां अनेक वर्षों से धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण के बारे में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हर राज्य की पार्टी का एक अलग विचार रहा है। मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूंगी, लेकिन मैं अपना भाषण 2 भागों में डिवाइड करूंगी। एक तो पिनाकी मिश्रा जी ने जो कहा है, वह मुद्दा बिल्कुल सही है कि उन्होंने लोकर कमिटी के बारे में कहा है, जो सन् 1965 में बनी थी। जिसने कुछ रेक्मेंडेशंस दिए थे। संयोग से पिनाकी जी के राज्य, ओडिशा से वे आते हैं और उनका नाम श्री पांडा जी है। वर्ष 2014 में, जब किशोर सिंह देव जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक कमिटी बनाई थी और श्री ऋषिकेश पांडा जी उसके अध्यक्ष थे।

उसकी भी काफी रिकमेंडेशन्स हैं। जो बात पिनाकी मिश्रा जी ने कही और उन्होंने वर्ष 1965 की कमेटी को क्वोट किया, उसमें और पांडा साहब की कमेटी, जो वर्ष 2014 की थी, उन दोनों में काफी समानताएं हैं। उनका यही सुझाव है कि एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल आए, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि अगर आप देश के लिए एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाएंगे तो इस देश के जो शोषित, पीड़ित और वंचित लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्राइटेरिया भी एक्सपैन्ड कीजिए। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वह बहुत अच्छे हैं। उसके लिए सेन्सस भी करना पड़ेगा। अगर यह सरकार एक डिटेल्ड सेन्सस करे तो एक अच्छा बदलाव, जो आप करना चाहते हैं, वह होगा। उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश में जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके लिए तो हम सब एक ही आवाज़ में बोलेंगे। इसमें न यूपीए है, न एनडीए है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जब ड्रग्स एब्यूज के बारे में बिल आया तो एक आवाज़ में हम होम मिनिस्टर के साथ खड़े रहें। इसके बारे में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब यह बिल आ रहा है तो मैं थोड़ी-सी कंफ्यूज हो गई हूं।

सर, आप थोड़ी टिप्पणी करके मुझे समझा दें। मैं रोज डिबेट सुन रही हूं। मैं इस डिबेट में धनगर, मराठा, लिंगायत, मुस्लिम आरक्षण और जो हमारे राज्य में मांग हो रही है, उसके बारे में नहीं

बोलूंगी। मुझे पता है कि ऐसा करने से यह धनगर के लिए सीमित हो सकता है। लेकिन, मेरे बहुत सीनियर कुलीग राजेन्द्र गावित जी का मैं भाषण सुन रही थी।

सर, मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि महाराष्ट्र में अभी 'ई.डी.' सरकार है। मैं 'ई.डी.' नहीं कहती, वे खुद को 'ई.डी.' कहते हैं। देवेन्द्र जी खुद कहते हैं कि हमारी 'ई.डी.' सरकार है, मतलब 'एकनाथ और देवेन्द्र।'

सर, मैं संक्षेप में आपसे थोड़ी-सी क्रोनॉलोजी बोलूंगी। वर्ष 2013 में देवेन्द्र जी महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष के नेता थे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती आए थे। जब वे बारामती आए थे, तब उन्होंने ढोल बजाकर कहा था कि जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में आएगी तो हम पहली कैबिनेट मीटिंग में धनगरों को आरक्षण देंगे। उसके बाद पाँच साल उनकी सरकार रही, कैबिनेट की 250 बैठकें हुईं, पर उन्होंने इसे नहीं किया, धनगरों को आरक्षण नहीं दिया। फिर उनकी सरकार नहीं, महा विकास अगाड़ी की सरकार आई। इनकी सरकार ने जो सर्वे किया था और गावित जी जो बात कह रहे थे, वह सही है कि देवेन्द्र जी ने उस काम को 'टी.आई.एस.एस.' को दिया था और उसने कहा था कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए । हमारी मांग पहले दिन से यह है कि हमें किसी का कुछ लेना नहीं है, जिसे आरक्षण है, वह वहीं रहे और बाकी जिन्हें आरक्षण देना है, उसके बेस को एक्सपैन्ड करके उन्हें देना है। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि अगर धनगर को एस.टी. में आरक्षण मिले तो आज जो एस.टी. में हैं, उनका कम हो। हम लोग दूसरे का निवाला कभी नहीं छीनेंगे। जिसका जो हक है, उसे वह मिलेगा। उनको नया देना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। लेकिन, मुझे कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि गावित जी, जो आज शिव सेना में हैं, उनके विचार के, उनके नेता आज मुख्य मंत्री हैं और वे कह रहे हैं कि धनगरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा गावित साहब कह रहे हैं। कल यही शिव सेना कह रही थी कि धनगरों को आरक्षण दिया जाए। शिव सेना का स्टैण्ड क्या है, यह सवाल मैं बी.जे.पी. से पूछना चाहती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार की मिलीभगत वाली 'ई.डी.' सरकार है।

मुंडा जी से मैं एक डायरेक्ट सवाल कर रही हूं। मुझे विश्वास है कि इसका आप जवाब देंगे, क्योंकि जो धनगर हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उनको आप …* दे रहे हैं। यह …* की राजनीति हो रही है, यह सत्य की राजनीति नहीं हो रही है। अब 'ई.डी.' सरकार सच में यह जवाब दे कि वे धनगरों को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कल उनके वक्ता कह रहे थे कि धनगरों को आरक्षण मिलना चाहिए और आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते।… (व्यवधान)

Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am not yielding. … (*Interruptions*) I think, the hon. Minister … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister will give reply.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*) इन्होंने …* दिया है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Supriya *Ji* is saying.

… (*Interruptions*) *…* **

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: जिस जनता ने इन्हें इतने वोट देकर चुन कर भेजा है, यह बीजेपी और शिंदे सेना, ये लोग उस बेचारे शोषित, पीड़ित, वंचित, मेहनत करने वाले धनगरों को बदनाम कर रहे

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

हैं।… (व्यवधान) उन्हें …* दिया है। पाँच साल पहले …* देकर वोट लिए, आज भी … * दे रहे हैं।… (व्यवधान)

सर, आप ही सोचिए, आज वह धनगर क्या सोच रहा होगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, आप ही सोचिए, आज वह धनगर क्या सोच रहा होगा कि उन्होंने देवेन्द्र जी पर विश्वास किया। वह इनके विचार का ही आदमी है। हम क्या कह रहे हैं? पहले ही दिन से महा विकास अगाड़ी का स्टैण्ड है कि आदिवासी का जो है, उसी का रहेगा।… (व्यवधान) हमें किसी का हक नहीं चाहिए। हमें न मराठों का हक चाहिए, न धनगरों को किसी और का हक चाहिए, न लिंगायत का चाहिए, न मुसलमानों का चाहिए, बल्कि जो हमारा है, वह हमें दे दीजिए, हमें दूसरों का कुछ नहीं चाहिए।… (व्यवधान) हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हम दूसरों का निवाला कभी नहीं लेंगे। जो हमारा है, वही हम मांग रहे हैं।… (व्यवधान)

आप सिर्फ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या है? … (व्यवधान) इस राज्य ने विश्वास रखकर देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। हमारा राज्य सबसे बड़ा है।… (व्यवधान) वहाँ आप कहते हैं कि धनगरों को आरक्षण देंगे और यहाँ उनका मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि उन्हें नहीं देंगे। बेचारे धनगर समाज को ऐसे भी फंसा देंगे। यह महाराष्ट्र के धनगर और आदिवासी समाज के लिए अन्याय है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Supriya Ji, please speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: This is a part of the Bill. The Dangar *samaj* is asking. So, I am informing the hon. Minister that it is his Minister in Maharashtra and it is his ideology. So, there is BJP and Shiv Sena Government in Maharashtra and the same Government is here. Then, how can there be two conflicting images?

How can they have two different views? Do you want Dangar, Marathas, Lingayat and Muslim to get reservation or not? It is because their one speaker yesterday said हाँ, धनगरों को आरक्षण माँगना चाहिए। I challenge what they said yesterday and see what they are saying today. Today, he is speaking against Dangar. आप क्या समझ रहे हैं? You are cheating the people of this nation. These are poor people who are needy people and are asking for their rights. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You made your point. Please go on to the other point.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Supriya Sule Ji's speech.

… (*Interruptions*) … *

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: The other point that I am trying to make is different.

Sir, I never disturbed ever. You have seen my record for 30 years. मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलती हूँ। मैं खुद बोल लेती हूँ।… (व्यवधान) I never disturbed anybody.

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding to you. I cannot permit. If at all anything has to be replied, it will be replied to by the Minister.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She asked some political questions. Hon. Minister will reply during his reply.

---

* Not recorded.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I thank the Minister for what has been explained by the Minister during the introduction of the Bill. वह बहुत बड़े दिल वाले हैं। वह ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्प्ल दूँ कि धनुकर और धनुवर कम्युनिटीज़ हैं। I will finish in 30 seconds. Unfortunately. S.P. Baghel Ji is not here. He is a very competent Minister in the Modi Government. He has always looked after Dhangar and Dhangad. अगर वह यहाँ होते तो पूरे हाउस को अच्छी तरह से समझाते। मैं भी जब दिल्ली चुनकर आई थी तो पूरे महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण की मांग थी। यह पूरे देश के बारे में था। एस.पी. बघेल जी ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। वह मेरे बड़े भाई है। धनगर और धनगढ़ के लिए जैसे आप बाकी राज्यों के लिए कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र के धनगर और धनगढ़ के लिए भी आप अलग न सोचें। मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। जैसे पिनाकी जी ने कहा कि हम सब की यह डिमांड है। आप एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाइए और एक पूरा सेन्सस कीजिए। जो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं, उन सब को न्याय दें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

HON. CHAIRPERSON: What is your Point of Order?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, 357

HON. CHAIRPERSON: You read Section 357.

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, उन्होंने गावित जी का नाम लिया है।

HON. CHAIRPERSON: By virtue of that Section, what do you want?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, वह अपना पर्सनल एक्स्प्लनेशन देंगे, क्योंकि उनका नाम लिया है।

HON. CHAIRPERSON: You read Section 357.

DR. NISHIKANT DUBEY:

> "A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."
>
> यदि आप नाम लेते हैं तो पर्सनल एक्स्प्लनेशन में आता है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: What is the personal explanation? There is no question of personal explanation.

डॉ. निशिकांत दुबे : वह देंगे, क्योंकि उनका नाम लिया है। वह धनगर को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If any Member's name is dragged into the debate by a particular Member, then he is entitled to give the personal explanation. This is not a personal explanation.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): यह पोलिटिकल बात है। उन्होंने मेम्बर का नाम लिया है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: She has asked some questions. At the time of her submitting the argument, she was telling about the political inconsistency between the Shiv Sena and BJP. I think politically, she is entitled to do. If you want to repel it, you repel it. Your Minister is here.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Thank you, Sir.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has not put forth her argument against a Member. Her argument is against a political entity and party. The hon. Minister is belonging to the same party and he is entitled to give political answer also.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She has mentioned about alliance.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Minister will take care of your interest. Do not worry.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please take care of his interest also.

Shri Sunil Kumar Soni may speak now.

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): सभापति जी, मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और रेणुका सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां लाखों आदिवासी भाई-बहन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये 12 जातियां कब शामिल होंगी, उनको न्याय कब मिलेगा। आज प्रधान मंत्री मोदी जी के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि मोदी है, तो मुमकिन है। आज छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी भाई-बहनों का सपना मुमकिन हुआ, जो प्रधान मंत्री मोदी जी के नये भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का पढ़-लिखकर अंग बनेंगे और नये भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के सभी लोग गर्व महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ का सुदूर बीजापुर का बस्तर क्षेत्र आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पांच लाख रुपये का मुफ्त इलाज होता है। इस लाभ को पूरे भारत के अंदर देने का फैसला प्रधान मंत्री जी ने लिया और इसके लिए छत्तीसगढ़ को भी चुना। इस राज्य की कांग्रेस की सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस के नाम पर पिछले ढाई साल तक गुमराह किया और

लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। जब मैं संगठन का काम करता था तो बस्तर क्षेत्र में गया। मैंने वहां एक भाई से पूछा कि यह मकान किसने बनाया, तो वह बोला कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने बनाया। उसको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। उसकी आंख की चमक और चेहरे के भाव को जब मैंने पढ़ा तो उसको लगा कि मुझको दुनिया का सब कुछ मिल गया। दुर्भाग्य है कि पिछले चार सालों से छत्तीसगढ़ में एक भी प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उनके जीवन में परिवर्तन करने वाली जो योजनायें हैं, उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार थी, तब हमने 4 लाख 70 हजार लोगों को वहां वन भूमि पट्टा दिया। वहां पर एक पलड़े के अंदर इमली और दूसरे पलड़े में नमक, एक पलड़े में चिरौंजी और दूसरे पलड़े में नमक तौलकर जब देते थे, तब छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि हम मुफ्त में नमक देंगे, एक रुपये प्रति किलो चावल देंगे। उन आदिवासी भाई- बहनों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया। हमें खुशी है कि इस देश के अंदर प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड काल खंड के अंदर में, दो वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था हुई। यह संवेदनशील सरकार का एक प्रमाण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर एक परिवर्तन आता है। आज इन 12 आदिवासी जातियों को इस संविधान संशोधन के माध्यम से उनका हक दिया जा रहा है।

बस्तर एजुकेशन का एक हब बन गया है। वहां पर मेडिकल कॉलेज, कॉलेज और स्कूल्स हैं। वहां हमारे आदिवासी भाई-बहन पढ़कर आगे बढ़ेंगे। जलजीवन मिशन में नल के माध्यम से हर घर में जल पहुंचता है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार की बात छत्तीसगढ़ में बार-बार की गई है। एक भ्रम फैलाने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है।

मैं प्रमाणित तौर पर कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन का पैसा केन्द्र सरकार से आया तो उसके बाद में इसी सरकार ने टेंडर किया, हम लोगों ने आरोप लगाया कि इस टेंडर में भ्रष्टाचार है और इसी सरकार ने उस टेंडर को निरस्त किया। छत्तीसगढ़ एक साल पीछे हो

गया। जल जीवन मिशन का लाभ वर्ष 2024 तक देने की मंशा प्रधानमंत्री जी की है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन, वर्ष 2024 तक यह संपन्न होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

आज बस्तर हर्रा, बैरा, आवंला, कुसुम व महुआ की खुशबू की धरती है। जहां के आदिवासी भाई-बहन हम लोग जल जीवन जंगल कहते हैं। कोविड काल खंड के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जब देश में ऑक्सीजन नहीं था, देश के अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी लेकिन आदिवासी भाई, जो उस जंगल को बचा कर रखे, उनकी मेहरबानी है कि आज हम लोग इस देश में शुद्ध हवा ले रहे हैं। अगर उसके पीछे कोई खड़ा है तो हमारे आदिवासी भाई-बहन खड़ा हैं।

बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय खुला, सुदूर बस्तर के अंदर जिसको नक्सल के नाम पर हम बदनाम करते हैं, एक सुंदर बस्तर है। एक देश में किसी व्यक्ति को यदि प्राकृतिक हरियाली देखनी है, अगर किसी को सौन्दर्य देखना है तो बस्तर में जाए। वहां भारत सरकार व बीएसएनएल के माध्यम से दूर तक सबको इंटरनेट की व्यवस्था है। कोविड काल खंड में हमारे युवाओं ने उससे शिक्षा अर्जित की, उसका लाभ बस्तर के अंदर हमारी सरकार दे रही है।

मैंने एक बार सोचा, मैं राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है? इसे केवल एक लाइन में बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, जिसका उदाहरण भी मैंने दिया और भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करके काम करती है, जिसका उदाहरण आज आपके सामने है कि आज हम 12 जातियों को न्याय दे रहे हैं। सभी को न्याय मिले, सभी को उसका अधिकार मिले, सभी के जीवन में सम्पन्नता आए, खुशहाली आए और वह नये भारत का हिस्सा बने, इसी बात का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ के अंदर लाखों लोग हैं जिनको आज लाभ मिलने जा रहा है। छत्तसीगढ़ के लाखों आदिवासी लोक सभा का चैनल देखकर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसको करके दिखाया।

छत्तीसगढ़ के ही एक कांग्रेस के सांसद ने आरक्षण का उल्लेख किया। आदिवासी आरक्षण पर कोर्ट के अंदर पहल नहीं की, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार थी, हमने

32 परसेंट आरक्षण दिया, उसका लाभ उन लोगों को 15 सालों तक मिला। लेकिन, इस सरकार ने कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण वह आरक्षण 32 परसेंट से 20 परसेंट हो गया।

आज इसी पार्टी के लोग हैं जो सदन के अंदर बातें कर रहे हैं। मैं आज बहुत प्रमाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब आरक्षण आया, इन्हीं के लोग, मैं नाम का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि वह यहां के सदस्य नहीं है और मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन, प्रमाणिकता से कह रहा हूं कि जिसने आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, उसी व्यक्ति को इस सरकार ने एक सरकारी पद देकर उपकृत किया, यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।

एक तरफ आरक्षण की बात करना और दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोर्ट में जाना और उस व्यक्ति को उपकृत करना, यह पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।

आज वहां हमारे आदिवासी भाई-बहन हैं और जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनमें भ्रम फैलाने का काम किया। आज सदन में कुछ देर पहले एक सम्मानित सदस्य ने संवैधानिक पद के ऊपर उंगली उठायी। आज हमारी एक आदिवासी बड़ी बहन जो संवैधानिक पद पर राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही हैं, आज उनके ऊपर उंगली उठाना, मैं इसको अपराध मानता हूं।

इस प्रकार के भ्रम फैलाकर, इस प्रकार से संवैधानिक पद के ऊपर उंगली उठाकर कांग्रेस पार्टी और ये लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना नहीं बना सकते, लोगों को काम के माध्यम से अपना बनाएं। वहां एक रुपये किलो चावल और उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। जंगल की रक्षा करने वाले लोग नहीं चाहते कि लकड़ी से खाना पकाएं। हमारी सरकार के समय गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला तो उस समय उनके जीवन में परिवर्तन आया। वहां बिजली का संकट था, छोटे मंजरों में बिजली नहीं होती थी, तब हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया।

महोदय, माननीय मोदी जी के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में नए टावर लगाकर, पोल लगाकर घर-घर बिजली देने का काम हो रहा है। जहां हम बिजली के पोल नहीं पहुंचा सकते थे, वहां सोलर

लैम्प देकर बिजली की व्यवस्था की ताकि वहां के बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। हमें इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज जब हम उनके हितों की बात करते हैं तो अपराध को रोकने की बात भी होनी चाहिए। मैं आज बहुत सारे क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं, जहां अपराध के माध्यम से छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया है। वहां अपराधियों को लग रहा है कि उनकी सरकार है। यह सबसे ज्यादा दुख की बात है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों आदिवासी भाइयों को न्याय मिल रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई छूट गया है तो दुखी मत होना क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन है।' हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। आने वाले समय के अंदर सभी लोगों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार में माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी के माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ के जिन आदिवासी भाई-बहनों को लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Chairperson, I am thankful to you for allowing me to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

Sir, I join with other hon. Members in congratulating the hon. Minister for taking up all the issues of the Scheduled Tribes' in the country.

In my Constituency, there is a Scheduled Tribe community known as 'Biaty'. They have a unique culture. They are living in one of the most difficult places in India. A cement bag costs Rs. 400 in Meghalaya whereas in Biaty community area, it is almost Rs. 1,200 per bag. They are living in such an area that one bag of cement costs them Rs. 1,200. The community is not a 'Kuki'

community. But in the Scheduled Tribe Order, it is written 'Biaty/Kuki'. I would, therefore, request the hon. Minister to delete the name 'Kuki' and leave it with only 'Biaty'. In this regard, a memorandum was sent and endorsed by me, to the hon. Minister as also to the hon. Chief Minister of Meghalaya. But no action has been taken so far.

My request and demand would be that a research team may be sent to find out about the 'Biaty' community which is living there with their unique culture. Their style of living is totally different from that of 'Kukis.' 'Kukis' are mainly in Manipur whereas 'Biaty' community people are mainly in Meghalaya and Assam.

I would, therefore, request the hon. Minister that in line with the actions which he has taken for Chhattisgarh, Tamil Nadu and other States, he should take up this issue also in regard to 'Biaty'.

I think, the concerned file has gone to the North-Eastern Hills University for Research, but the sanctioned amount for the same has not been allotted. Kindly take action in this regard and do the needful to the 'Biaty' community.

With these words, I conclude. Thank you.

*__SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):__ Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in the discussion on Constitution ST Fifth Order Amendment Bill. I welcome this Bill aiming to include certain most backward communities living in Chhattisgarh in the list of Tribes.

---

* English translation of the the Speech originally delivered in Tamil.

Due to the constant and untiring efforts of Hon Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin, people belonging to the marginalised sections of the society like Narikkuravar and Kuruvikkarar communities are now included in the Tribes list. I wholeheartedly extend my sincere thanks to Hon Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin and Hon Union Minister Shri Arjun Munda for making possible the inclusion of these two communities in the Tribes list.

In this situation there are several castes from Tamil Nadu who have been demanding for long for inclusion of their castes in the list of Tribes. I urge that the Union Government should consider adding them soon in the list of Tribes. Some communities in the country which are educationally, economically and socially backward are also constantly demanding for inclusion of their communities in the Tribes list. It is unfortunate to say that only after several stages of struggle they can find a place in the Tribes list. There is no new community which becomes socially, educationally and economically backward all of a sudden. Since Independence the livelihood condition of certain communities remained unchanged even after 75 years of independence. Does this Government accept that these communities have been deprived for the last 75 years of independent India? Can the Government give an assurance that this Constitutional Amendment Bill will be the last bill for inclusion of such communities in the Tribes list? People who are marginalised and who are below the poverty line want that their castes to be included in the Tribes list. Therefore, if the States come with a justifiable demand for inclusion of various communities which are socially,

economically and educationally backward, in the list of Scheduled Tribes, the Union Government should act swiftly on such demands.

In my Ramanathapuram constituency, fishermen live in large numbers. Many sections of such fishermen are also demanding for inclusion of their castes in the list of Scheduled Tribes. Fishermen who are having their livelihood based on sea and fishing and they are still socially, economically and educationally in backward condition. I urge that these fishermen communities should be included in the list of Scheduled Tribes so as to make them get the benefits of a tribe besides getting education and employment opportunities. Those tribes who want inclusion in the list of Scheduled Tribes are included in the list in other States of the country. Even after constitution of several committees to consider these demands repeatedly put forth by the State Government of Tamil Nadu, due to the non-consideration by the Union Government, these communities are deprived of not getting educational and employment opportunities. For example, Kurumbar and Lambadi communities have been constantly demanding for inclusion in the list of Tribes and I urge that the Union Government should consider these demands positively.

Pre-matric scholarships given to the students of SCs, STs and Minorities are stopped. SCs and STs are from the Hindu religion. How can this Government which considers itself as a saviour of Hindu religion justify the withdrawal of a scheme aimed to provide Scholarships given to the SCs and STs of Hindu religion.

On one side you are including the economically weaker sections in the lists of SCs and STs, on the other side you are refusing the employment, educational and other opportunities for these communities by disinvesting the PSUs. These communities are deprived of reservation benefits as you have started privatising many PSUs. You should ensure that SCs and STs get their employment opportunities.

Everyone should get equal opportunity through reservation. But this Government has been implementing reservation to the economically weaker sections of the forward castes which is against the welfare of other people who are socially, economically and educationally backward in the society. How can you treat both the sections as one while giving reservation? I urge that Committees should monitor whether the people belonging to the communities in the lists of SCs and STs are availing the benefits.

I urge upon the hon. Minister to set up an Ekalayva School for the welfare of students of SCs and STs in my Ramanathapuram parliamentary constituency. There should also be dedicated skill development centres for the students of these communities in my constituency.

Thank you for allowing me to speak on this Bill.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने की इजाज़त दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

जनाब, पहला सवाल यह है कि पिछले कई दिनों से यहां पर एक के बाद एक अमेंडमेंट बिल्स पर डिबेट हो रही है। इसकी क्या वज़ह है? क्या कोई आईनी इम्पेयरमेंट है या कोई आईनी रुकावट है? क्यों नहीं हम एक ही बिल लाकर, सारे मुल्क में जहां-जहां जो-जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एन्लिस्ट होने के लिए अनटाइटल्ड हैं, इकट्ठा एक बिल क्यों नहीं लाते हैं और उसी पर बहस होती? इससे कहीं न कहीं यह इम्प्रेशन मिलता है कि यह कोई एक सिलेक्टिव है, आप सेप्रेट सिग्नल देना चाहता है। आपको किसी स्टेट में सियासी मकासिद के लिए इसकी जरूरत है, तो उसमें दे रहे हैं और यहां नहीं दे रहे हैं, वहां पोस्टपोन करें।…(व्यवधान) अगर इम्पेयरमेंट नहीं है, तो वह अलग बात है।…(व्यवधान)

जनाब, दूसरी बात है कि हम क्यों यह एक्सर्साइज बार-बार कर रहे हैं? तीसरी बात यह है कि हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि ये सारी एक्सर्साइज क्यों हो रही है? आईन के प्रिएंबल में हमने खुद से और जो भी आने वाली नस्लें हैं, उनसे ये वादा किया है कि एक सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वॉलिटी होगी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस होगा। इससे एतराफ़ है कि हम वह लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं।

जनाब, इस सारी एक्सर्साइज का मक़सद क्या है? इसका मक़सद यह है कि पहले ही यह एक्नॉलेजमेंट है कि हम सारी कम्युनिटीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सके हैं। अगली बात है कि एक अफरमेटिव एक्शन है, ताकि हम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ताकि उनको एक जैसे अवसर और एक जैसे मौके मिलें। क्या वाकई तौर पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो कम्युनिटीज़ एड की जा रही हैं, क्या यह सरकार का इख़्तियार है, जिसका चाहे सर्वे करके उसको उसमें एन्लिस्ट करे? लेकिन क्या हम 75 सालों में उनको ये प्रोवाइड करा पाए हैं? आज भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वे पहले ही डिक्लेयर की गई हैं या अब एन्लिस्ट की जानी हैं?

आप देखिए कि क्या उनको हेल्थ केयर में एक्सेस है, एजुकेशन में एक्सेस है, इम्प्लॉयमेंट में एक्सेस है? अगर आप आंकड़े देखेंगे, तो जम्मू-कश्मीर में जो भी एसटीज़ हैं, जहां तक हेल्थ केयर में एक्सेस की बात है, एजुकेशन में एक्सेस की बात है, वहां पर जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अफरमेटिव एक्शन्स हैं, जो भी सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स हैं, कहीं भी एक्सेस नहीं है। उनको वहां एक्सेस नहीं है, जहां मिलनी चाहिए थी।

जनाब, मैं एक मिसाल दूंगा। किश्तवाड़ जिले का मड़वाह-वाड़वन एक डिविजन है, वहां अभी तक बिजली नहीं है। ये नहीं है कि वहां आज बिजली खराब हो गई है, वर्ष 2022 तक वहां बिजली पहुंची ही नहीं है। 40,000 लोग बिजली के बग़ैर रहते हैं।

वहां पर ज्यादातर यही कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिन कम्युनिटीज़ के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अभी तक 40,000 लोगों के लिए वहां पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। आज हम 5जी और 4जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। आप देखिए कि 40,000 लोगों के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उन कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें उनका कोई एक्सेस नहीं है।

जनाब, वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी है, उनके लिए मार्गन टॉप का एक ही रास्ता है, वह भी बर्फ के नीचे दब जाता है। हमने कहा था कि वहां पर एक बसमीना टनल बनाई जाए, ताकि उनको एक्सेस हो। अभी तो शुरुआत की है। आप कहते हैं कि Jammu and Kashmir is the crown of the country. So, please allow me to speak. … (*Interruptions*)

जनाब, होना यह चाहिए कि हम एक ऐसा सर्व करें, जिस सर्वे में हमें इंडिया मिले। हमें जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी ट्राइबल्स हैं, क्या ये जो अफरमेटिव एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं, क्या हम इन 75 सालों में उनको वह लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाए हैं? अगर वे कम्युनिटीज़ हैं, जिनको हमने पहले ही एन्लिस्ट किया है। मैंने पहले ही बोला है कि हम किसी के एन्लिस्ट करने के खिलाफ नहीं हैं। ये सरकार का काम है। वह सर्वे करके ऑब्जेक्टिव फेयर और जो भी प्रेस्क्रॉइब्ड क्राइटेएरिया है, उसको एन्लिस्ट करे और उसमें शामिल करे। लेकिन जो मूल प्रश्न और बुनियादी सवाल है कि जो

कम्युनिटीज़ पहले ही एसटीज़ करार दी गई हैं, क्या उनको वह एक्सेस है? मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर मड़वाह-वाड़वन की बात की है। ऐसा नहीं है कि बिजली खराब हो गई है। वर्ष 2022 में भी 40,000 लोग बिजली से महरूम हैं। अब क्या प्रयास किया जा रहा है? जो सियासी इख्तिलाफ़ है, उसको एसटी किया जाए, लेकिन उनको उससे महरूम रखा जाए।

जनाब, मेरी यह गुजारिश होगी कि एक सर्वे किया जाए। एक तफसीली सर्वे किया जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि किस कम्यूनिटी के कितने लोग हैं। इसके अलावा सेंसस किया जाए और उसके जो नतायज निकले, उसके बाद आप उन कम्यूनिटीज़ से पूछिए कि क्या प्रयास करने की जरूरत है? हर एक कम्यूनिटी का सारा सेंसस मंज़रेआम पर लाया जाए, खासकर एसटी कम्यूनिटी का लाया जाए, जो ऑलरेडी एनलिस्ट की जा रही है।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے سنویدھان (انوسوچِت جن جاتیاں) آدیش، (پانچواں سنشودھن) بِل پر بولنے کی اجازت دی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جناب، پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر ایک کے بعد ایک امینڈمینٹس بِلس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی آئینی اِمپیرمینٹ ہےیا کوئی آئینی رُکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں ہم ایک ہی بِل لا کر سارے ملک میں جہاں جہاں جو بھی کمیونِٹیز ہیں، جو شیڈیولڈ ٹرائبس میں اینلِسٹ ہونے کے لئے انٹائٹلڈ ہیں، اکٹھا ایک ہی بِل کیوں نہیں لاتے ہیں اور اسی پر بحث ہوتی۔ اس سے کہیں نہ کہیں یہ اِمپریشن ملتا ہے کہ یہ کوئی ایک سِلیکٹیو ہے، آپ اسپیس سگنل دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو کسی اسٹیٹ میں سیاسی مقاصد کے لئے اس کی ضرورت ہے، تو اس میں دے رہے ہیں اور یہاں نہیں دے رہے ہیں، وہاں پوسٹپون کریں (مداخلت)۔ اگر اِمپیرمینٹ نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے۔

جناب، دوسری بات یہ ہے ہم کیوں یہ ایکسرسائز بار-بار کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہئیے کہ یہ ساری ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے؟ آئین کے پریمبل میں ہم نے خود سے اور جو بھی آنے والی نسلیں ہیں، ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک سوشل، ایکونومیکل اور پولیٹیکل ایکویلیٹی ہوگی، سوشل، ایکونومیکل اور پولیٹیکل انصاف ہوگا، اس سے اعتراف ہے کہ ہم وہ لکشیہ پورا نہیں کر سکیں ہیں۔

جناب، اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی یہ ایکنولیجمینٹ ہے کہ ہم ساری کمیونِٹیز کو لیوِل پلئینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کرا سکیں ہیں۔ اگلی بات ہے کہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہے، تاکہ ہم ان کو ایک لیوِل پلیئنگ فیلڈ دے، تاکہ ان کو ایک جیسے مواقع مل سکیں۔ کیا واقعی جو شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، یا جو کمیونیٹیز ایڈ کی جا رہی ہیں، کیا یہ سرکار کا اختیار ہے، جس کا چاہے سروے کرکے اس کو اُس میں اینلِسٹ کرے ؟ لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان کو یہ پرووائڈ کرا پائے ہیں؟ آج بھی جو شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، وہ پہلے ہی ڈیکلئر کی گئیں ہیں یا اب اینلِسٹ کی جاتی ہیں؟

آپ دیکھئیے کہ کیا ان کو ہیلتھ کیئر میں ایکسس ہے، ایجوکیشن میں ایکسس ہے، ایمپلائمنٹ میں ایکسس ہے، اگر آپ آنکڑے دیکھیں گے، تو جموں و کشمیر میں جو بھی ایس-ٹیز۔ ہیں، جہاں تک ہیلتھ کیئر میں ایکسس کی بات ہے، ایجوکیشن میں ایکسس کی بات ہے، وہاں پر جو بھی سہولیات ہیں، جو بھی افرمیٹیو ایکشنس ہیں، جو بھی سوشل جسٹس کے پروگرام ہیں، کہیں بھی ایکسس نہیں ہے۔ ان کو وہاں ایکسس نہیں ہے جہاں ملنا چاہئیے تھا۔

جناب، میں ایک مثال دوں گا۔ کشتوار ضلع کا مڑواہ ۔ واڑبن ایک ڈویژن ہے،وہاں ابھی تک بجلی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں آج بجلی خراب ہو گئی

ہے، سال 2022 تک بجلی وہاں پہنچی ہی نہیں ہے۔ 40000 لوگ بجلی کے بغیر رہتے ہیں۔ وہاں زیادہ تر یہی کیمونیٹیز رہتی ہیں، جن کمیونِیٹیز کے لئے یہ کوشش کی جارہی ہیں کہ ان کو لیوِل پلیئنگ فیلڈ دی جائے۔ ابھی تک 40000 لوگوں کے لئے وہاں پر نیٹ کی کنیکٹیوِٹی نہیں ہے۔ آج ہم 5جی اور 4 جی کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں 40000 لوگوں کے لئے کوئی کنیکٹِوِیٹی نہیں ہے۔ ان کمیونیٹیز کے جو بچے ہیں، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، ان میں ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے۔

جناب، وہاں پر جو روڈ کنیکٹِویٹی ہے، ان کے لئے مارگن ٹاپ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی برف کے نیچے دب جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک بسمینہ ٹنل بنائے جائے، تاکہ ان کو ایکسس ہو۔ ابھی تو شروعات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ Jammu and Kashmir is the crown of the Country. So please allow me to speak (Interruptions)

جناب، ہونا یہ چاہئیے کہ ہم ایک ایسا سروے کریں، جس سروے میں ہمیں انڈیا ملے۔ ہمیں جس سے یہ انفارمیشن ملے، جو بھی ٹرائبلس ہیں، کیا یہ جو افرمیٹیو ایکشن پلانس اور پروگرامس ہیں، کیا ہم ان 75 سالوں میں ان کو یہ لیوِل پلیئنگ فیلڈ دے پائے ہیں؟ اگر وہ کمیونیٹیز ہیں، جن کو ہم نے پہلے ہی اینلِسٹ کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ہم کسی کے اینلسٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ سرکار کا کام ہے۔ وہ سروے کرکے آبجیکٹیو فیئر اور جو بھی پریسکرائبڈ کرائیٹیریا ہے، اس کو اینلِسٹ کریں اور اس میں شامل کریں۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ جو کمیونیٹیز پہلے ہی ایس-ٹیز قرار دی گئی ہیں، کیا ان کو وہ ایکسس ہے؟ میں نے یہ مثال کے طور پر مارواہ ۔ واڑبن کی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بجلی خراب ہو گئی ہے۔ سال 2022 میں بھی 40000 لوگ

بجلی سے محروم ہیں۔ اب کیا کوشش کی جارہی ہیں۔ جو سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ایس۔ٹی۔ کیا جائے۔ لیکن ان کو اس سے محروم رکھا جائے۔

جناب، میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک سروے کیا جائے۔ ایک تفصیلی سروے کیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس کمیونیٹیز کے کتنے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ سینسس کیا جائے اور اس کے جو نتائج ملیں، اس کے بعد آپ ان کمیونیٹیز سے پوچھئیے کہ کیا کوشش کرے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کمیونیٹی کا سارا سینسس منظرِ عام پر لایا جائے، خاص کر ایس۔ٹی۔ کمیونیٹی کا لایا جائے، جو آلریڈی اینلِسٹ کی جارہی ہیں۔

(ختم شد)]

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, thank you for the opportunity to express my views on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill.

I wish to submit a key representation regarding the non-implementation of the reservation policy by various Central Government Departments and organizations while engaging the contractual labour or outsourced manpower. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, which is headed by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, on 5th May 2018 issued an executive order directing as under: -

> "In respect of appointments to Central Government posts and services, there shall be a reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class candidates in temporary appointments which are to last for 45 days or more."

I appreciate the decision taken by our hon. Prime Minister in the interest of SC/ST and OBC population of our country. In the year 2018, there were 11,788,78 employees working under the Central sphere whereas in 2021, it has increased to 24, 30,000. However, as per reply to various RTI applications, there is a clear indication that the reservation policy for contractual or outsourced manpower is not being followed by various Departments, Ministries and institutions of the Central Government. It may be because of the officials who are either unaware of the 2018 Government Office Memorandum or they have failed to implement it appropriately.

As per the Office Memorandum of the Department of Personnel and Training, autonomous bodies/institutions, including co-operative institutions, universities, etc., under the control of the Government, are supposed to make reservation for SC/ST and OBC in their services on the lines of reservations in services under the Government.

Similarly, as per the information given by the University Grants Commission (UGC) to an RTI application, there is a clear indication that the universities receiving grants from the Government have very poor representation of SC/ST/OBC community.

Under these circumstances, I request the hon. Minister, through you, Sir, to ensure effective implementation of reservation policy in temporary employment under the Government. For this, the data of temporary employees, as required to be maintained as per the Government Office Memorandum, should be made online so as to ensure transparency and accountability.

My second request is that the Government should maintain category-wise data of employees employed in the private sector. For this, the Government may take suitable steps under the guidance of our hon. Prime Minister.

I conclude with this one point. I further request the Government to set up a Reservation Monitoring Committee for effective implementation of the reservation policy.

Also, in this Winter Session, our hon. Minister has brought five Constitution (Amendment) Bills relating to various States, particularly, to the State of Tamil Nadu so as to include the oldest communities in the Scheduled Tribe List. I thank the hon. Minister, and also our hon. Prime Minister for this. This Bill will ensure equality and justice to all. Thank you.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I stand here to support the Bill. While congratulating the hon. Minister as he has included all these communities from Chhattisgarh, I would like to draw the attention of the hon. Minister, probably, to the greatest and very cruel political *jumla* that has so far been committed in India on the six OBC communities of Assam.

Sir, through you, I would like to remind the hon. Minister that the six OBC communities of Assam, namely, Tai Ahom, Koch Rajbongshi, Sootea, Moran, Muttock and the Adivasis, that is, the Tea Tribes of Assam, have been demanding the inclusion in the ST category.

<u>17.00 hrs</u>

These six communities enjoy very distinct ethnic identities, and they also have the tribal traits. I just want to mention that in the run up to the 2014 Lok

Sabha elections, the then BJP stalwarts committed during the poll campaign that these six communities would be given the tribal status. After the BJP Government was formed in Delhi under the leadership of the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi in 2014, no progress has happened so much so that an all-party Assam Assembly delegation came to Delhi and submitted a memorandum on 11th November, 2014 to the then Tribal Affairs Minister, Shri Jual Oram, who is your predecessor, asking and pleading that these communities should be given tribal status. After that, every time an election comes – Assembly election or Lok Sabha election – the BJP leaders go to Assam and promise these communities, but nothing happens. I would just like to mention that when the Assam Assembly elections took place in 2016, the BJP circulated a vision document wherein it was very specifically written that '…. close cooperation with the Central Government towards providing ST status to the six communities in a strict time-bound manner…..' The BJP formed the Government in Assam after the 2016 Assembly elections. The present day Cabinet Minister, hon. Shri Sarbananda Sonowal, became the Chief Minister of Assam, but nothing happened. Again, during the height of the anti-CAA movement in Assam in 2019, just to divide the people, the Central Government decided and asked the Assam Government to form a Group of Ministers. This Group of Ministers was asked to give an immediate report for inclusion of these communities.

The Group of Ministers was headed by the present Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma. Sir, the irony continues. These six communities have not been given the ST status so much so that the hon.

present Minister, Mundaji, went to Assam – I can quote the date – on 12th September, 2021. He himself had assured and promised the people of Assam that these six communities would be given the ST status once the Group of Ministers submitted the report. We do not know the status of that report of the Group of Ministers. In the present BJP Government in Assam, we do not know what the status of that report of Group of Ministers is, but the cruel joke continues, the cruel hoax continues on these six communities.

Sir, nine years have elapsed since 2014, but this cruelty continues and this political *jumla* continues and is perpetuated on these six OBC communities of Assam.

I would like to appeal to the Government to please have a heart and please fulfil their political commitment and bring these six communities to the fold of the Scheduled Tribes.

Thank you.

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे जनजातीय समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया है। साथ ही, मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी और श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से से चुनकर आई हूं, वह छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी राज्य है, जहां बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की बसावट है।

राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा आदिवासियों का ही है। इनमें से 5 आदिवासियों को केंद्र सरकार ने अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। इसके अलावा राज्य

सरकार ने दो जनजातियों को अति पिछड़ी माना है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के कई जातीय समुदाय आदिवासी होने के बाद भी केवल जाति के नाम पर मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। जनजाति समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले इस संशोधन विधेयक से मात्रा की त्रुटि के कारण अपने अधिकार से वंचित 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों को हक मिल सकेगा।

महोदय, मैं एक वनवासी बाहुल्य क्षेत्र की सांसद हूँ। आज इस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और ऐसी 12 जनजातियाँ हैं। जनजाति समुदाय के लोग जल्दी नहीं मांगते हैं। मैं अध्यात्म की ओर उदाहरण दूंगी कि भगवान शंकर जी भी वनवासी थे। उन्हीं के वंशज आदिवासी समुदाय के लोग हैं। वे जल्दी नहीं मांगते हैं। उनका दूसरा उदाहरण यह है कि भगवान बिरसा मुण्डा को आदिवासी भगवान इसलिए मानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुशासन चलाने के खिलाफ आंदोलन खड़े करने वाले बिरसा मुण्डा जैसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अगर वे अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो पूरा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। आज इस बिल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के भारिया, भूमिया, धनुहार, सवरा एवं विशेषकर नगेसिया समाज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। जब से संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ है, ये समाज तब से लेकर आज तक मात्रा त्रुटि अथवा अन्य कारणों से आरक्षण के लाभ से वंचित हैं।

महोदय, इस विधेयक के पारित होने से उनके जीवन में कितनी खुशहाली आयेगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इन जाति के समुदायों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार की अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। छात्रवृति, रियायती ऋण अनुदान, जनजातियों के बालक-बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। इन संस्थानों में आरक्षण का प्रश्न केवल शिक्षा, रोजगार, सक्षमीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज यह विषय अपने अस्तित्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। आदिवासी मूलतः प्राकृतिक उपासक हैं, जो जल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत एवं मातृभूमि को अपना देवता मानने वाला समुदाय है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरस्थ वनों में रहने वाले सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अतः अंत में मैं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि वे भारिया, भूमिया, धनुहार, नगेसिया एवं अन्य समाज के लोगों के लिए संशोधन विधेयक लाए हैं। इन सभी समाज की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रस्तावित संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं।

महोदय, वर्तमान में कुछ और जनजातियां हैं, जिनको मात्रा की त्रुटि के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि उन जनजातियों के लिए कार्य किया जाए। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट भी करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी कोरवा जनजाति निवास करती है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त है। यह कोरवा जनजाति दो भागों में बंटी हुई है। एक पहाड़ी कोरवा है और दूसरी डीहारी कोरवा है। … (व्यवधान) महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पहाड़ी कोरवा को तो आरक्षण की सभी सुविधाएं प्राप्त है, किंतु डीहारी कोरवा अभी भी इस लाभ से वंचित है। उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं एक और विषय के बारे में कहना चाहती हूं। वहां रहने वाले पहाड़ी कोरबा लोग ही हैं। कुछ कारणवश जाति में बघेल एवं क्षत्रिय लिखने के कारण उनको पहाड़ी कोरबा का दर्जा नहीं मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। उनको भी आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, आज छतीसगढ़ के हमारे माननीय सांसद साथी ने कहा है कि एक आदिवासी बेटी संवैधानिक पद पर बैठी है। उन्होंने आदिवासी बेटियों का मान-सम्मान एवं गौरव बढ़ाया है। आज अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने के लिए उन्होंने उनके ऊपर गंभीर लांछन लगाए हैं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री दीपक बैज (बस्तर): सभापति महोदय, दस्तख्त करा लीजिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: She is not yielding.

… (*Interruptions*)

श्रीमती गोमती साय : आप लोग उसको क्यों सहन नहीं कर रहे हैं?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You address the Chair.

… (व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय : 58 प्रतिशत का केस अदालत में लगा हुआ है।…(व्यवधान) अदालत में सही ढंग से दलील नहीं देने के कारण…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Francisco Sardinha.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I thank you for giving me this opportunity. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Francisco's speech.

*… (Interruptions) …**

SHRI FRANCISCO SARDINHA: While supporting this Bill, I would like to request certain things as far as my State is concerned. … (*Interruptions*) I would like to request certain things. Goa is a small State. … (*Interruptions*)

श्री दीपक बैज : आप जाकर दस्तख्त करा लीजिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Deepak, please sit.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI FRANCISCO SARDINHA: Goa is a small State and even rural areas are urbanised. We have four communities which are tribal. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Do not yield.

… (Interruptions) …[*]

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA: There are four communities which are tribal, namely, Kunbi, Velip, Gowda, and Dhangar. The first three communities have been included in the list of Scheduled Tribes. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI FRANCISCO SARDINHA: The three communities have already been included in the list of Scheduled Tribes, and they have come up now economically and socially. We have got Dhangars who are totally in the remote areas and they are nomads. They live on the hills and they have got animals, like goats and cow. They thrive only on them. During rainy reason, they take them from one place to another for grazing, and they totally thrive on this. So, that is the most backward community amongst these. They are not included in the list of Scheduled Tribes. They are OBCs. One of my colleagues from Maharashtra also spoke about Dhangars. So, I would request the hon. Minister this. This is pending for the last ten years with the Government. Many times, our Government has written to include Dhangars in the list of Scheduled Tribes.

---

[*] Not recorded

Please do justice and see that their status also comes up like others both socially and economically.

Thank you, Sir.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, आज आदरणीय जनजातीय कार्य मंत्री जी के द्वारा संसद में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है। मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति, आज इस सदन में एक पुनित कार्य होने जा रहा है। श्रद्धेय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जी, एवं श्रीमती रेणुका सिंह जी के प्रति उन पीड़ित समस्त पीड़ित जनजातियों की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। उनमें से एक है – सावरा, अर्थात सबर जनजाति। त्रेता युग, रामायण काल के माता शबरी के ये वंशज हैं, जिनकी अगाध श्रद्धा भक्ति से प्रभु श्री राम छतीसगढ़ आए। उनके जूठे बेर ग्रहण किए। आदिकाल से प्रमाणित की जाती है कि वह जनजाति है। जिस स्थान पर माता शबरी का आश्रम रहा, उसको आज भी शिवरीनारायण कहा जाता है, जो कि सबरीनारायण है। उसको अपभ्रंश के कारण शिवरीनाराण कहा जाता है।

उसी प्रकार से, इसमें अपभ्रंश हुआ और इसके कारण इनको 20-25 साल तक परेशानी झेलनी पड़ी। जिस प्रकार से, रामायण काल में सांवरा जनजाति का उदाहरण मिला है, उसी प्रकार से एक और उदाहरण है। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो उसमें प्रभु श्रीराम ने तीर से बाली का वध किया। उसी समय बाली ने प्रभु श्रीराम को श्राप दिया कि युद्ध में बिना सूचना के आपने मेरे ऊपर तीर चलाया, इसलिए अगले जन्म में आपके ऊपर भी बिना सूचना के तीर चलेगा। उसे प्रभु श्रीराम ने ग्रहण किया। द्वापर युग में, महाभारत काल में वे श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिये। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण वन में एकांत में निवास कर रहे थे, उसी समय जिस वनवासी ने उनके ऊपर मृग होने के भ्रम में तीर चलाया, वह जरा नाम का आदिवासी भी सबर जाति का था। जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्यागी और उनका दाह संस्कार किया गया, तो उनके अवशेष को नदी में

बहाया गया। उनका अवशेष बहकर ओडिशा के तट की ओर चला गया। वहाँ विश्वबसु नामक एक वनवासी को वह अवशेष मिला। उस अवशेष को, विश्वबसु नाम का व्यक्ति, जो जनजाति समुदाय का, सबर जाति का था, उसे अपने घर में ले गया और भगवान के अवशेष को, जिसमें आत्मा थी, उसकी पूजा करने लगा। इस बात की जानकारी वहाँ के महाराजा को मिली और महाराजा ने कैसे भी करके विश्वबसु के पास से भगवान श्रीकृष्ण के अवशेष को ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में स्थापित किया, जिसे हम महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जो प्रति वर्ष मनायी जाती है।

HON. CHAIRPERSON: Please complete the subject and come to the Bill.

श्री चुन्नीलाल साहू : यात्रा में जो रस्सी खींचते हैं, वे भी सबर जाति के ही होते हैं, इसलिए मैं सबर जाति का उल्लेख करना चाहता हूँ। आज इस पवित्र सदन के माध्यम से ऐसे सबर जाति का कल्याण होने जा रहा है।

इसी सदन के माध्यम से आज ऐसे पीड़ित जनजातियों का कल्याण होने जा रहा है, जो खास करके छत्तीसगढ़, ओडिशा के सीमांत प्रांतों में रहते हैं और वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, जो एक अलग भाषा है, जिसे वहाँ की भाषा में लरिया कहा जाता है, उसी भाषा के कारण, उसी भाषा में उच्चारण भिन्न होने के कारण आज इन जातियों को पीड़ा झेलनी पड़ी है। जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के समय उस राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा समझ न पाने के कारण जो भ्रांति हुई, जो स्पेलिंग-त्रुटि हुई, उसके कारण उनको 18 वर्षों से कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं।

सबर जनजाति बहुत ही कम पढ़े-लिखे हैं और वे खेतिहर मजदूर हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती-मजदूरी है। ये लोग उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। इनके बच्चे 18 वर्षों से प्राइमरी शिक्षा तो ग्रहण कर पा रहे थे, लेकिन जाति प्रमाणपत्र जारी न होने के कारण इनके बच्चे आरक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। आज इस सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय जनजाति कल्याण मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वर्ष 2013-14 के अनुपात में, जो 211 करोड़ रुपए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति थी, उसको दोगुना बढ़ाकर 419 करोड़ रुपए किया गया है। आज इस छात्रवृत्ति के कारण इन जनजातियों के लोग लाभांवित होंगे, इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। ऐसे

पुनीत अवसर पर, एक ऐसे समय पर, आज हम निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, आज हम उसमें सहभागी हुए हैं। इसलिए मैं एक बार पुन: श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन 12 जनजातियों को, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों से कठिनाइयाँ झेली हैं, आज उनको न्याय मिला है।

माननीय सदस्य ने जो कहा कि एक कमार जनजाति है, जिसे विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा प्राप्त है। वह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के गोंडल वाला क्षेत्र है, गरियाबंद जिले में, ऐसे कमार जनजातियों के लिए, उनकी जीविका के लिए, क्योंकि वे बाँस पर कलाकारी करके अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे अति पिछड़े कमार जनजातियों के लिए भी आजीविका का कोई उपाय किया जाए ताकि उस जनजाति को लाभ मिले।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, सबसे पहले मैं यह कहूंगा 'सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया'। … (व्यवधान) आज यहां जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। … (व्यवधान) कई दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि अर्जुन राज चल रहा है। … (व्यवधान) एक के बाद एक बिल आता है और अर्जुन जी यहां हम सबको संबोधित करते हैं। … (व्यवधान) इतने सालों से वे सदन में हैं, लेकिन कभी इतने सारे बिल्स एक साथ हमने नहीं देखे। … (व्यवधान)

सर, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के पास ज्यादा बिजनेस नहीं रहा होगा, इसलिए इसी पर चर्चा किए जा रहे हैं। मैं इससे आपत्ति नहीं जताता हूं, हमें भी खुशी है। इधर अर्जुन हैं, उधर अर्जुन हैं और बीच में हम बैठे हैं। … (व्यवधान) दोनों तरफ अर्जुन हैं। आप देखिए, महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, यहां दोनों अर्जुन का लक्ष्य मोदी जी को खुश करना है, यह भी मैं जानता हूं।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि ये सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, जिसमें

बिंझिया वैली के बिंझिया ट्राइब को शामिल किया गया है, इसे वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार ने, छत्तीसगढ़ में तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार थी, उसको यह सलाह दी थी, लेकिन उस समय यह नहीं हो पाया। इसके साथ-साथ 32 परसेंट रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, यह आज की बात नहीं है। वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजाति है, वह काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है।

देखिए, सदन को गुमराह करना न आपके लिए उचित है, न हमारे लिए उचित है। सितंबर, 2022 में हाई-कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद, मैं आपको याद दिला दूं कि दिसंबर, 2022 मतलब इसी साल के दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने बिल पास कराकर गवर्नर के पास भेज दिया है कि 32 परसेंट रिजर्वेशन रखा जाए। … (व्यवधान) देखिए, इस 32 परसेंट रिजर्वेशन की जो बात है, इसे सूबे की सरकार मानती है, लेकिन गवर्नर नहीं मानते हैं। … (व्यवधान) गवर्नर इनको वापस करते हैं, वे नहीं मानते हैं। आपकी सरकार अगर गवर्नर के ऊपर दबाव डाले कि आप इसको मान लो, तो गवर्नर भी मानने के लिए तैयार होंगे। … (व्यवधान)

सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन हो रहा है। … (व्यवधान) छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में काबिज भूमि का आदिवासियों और परंपरागत निवासियों को अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। निरस्त दावों की पुन: समीक्षा करके वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए जा रहे हैं। … (व्यवधान) आप यह सुन लीजिए। … (व्यवधान) राज्यों में 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 3,70,275 हैक्टेयर भूमि दी गई है। … (व्यवधान)

महोदय, सामुदायिक वन अधिकार मान्यता के अंतर्गत 45847 पत्र वितरित किए गए है, जिसके तहत 1983308 हेक्टेयर भूमि प्रदाय की गई है। आप पता कर लीजिए 3731 ग्रामीण सभाओं की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी कर 1532316 हेक्टेयर भूमि का अधिकार सौंपा गया है।… (व्यवधान) राज्य में वन अधिकार मान्यता पत्र के अंतर्गत आबंटित भूमि 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का जरिया बन गई है। सामुदायिक वन अधिकार एवं वन

संसाधन अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त भूमि पर फलादार वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया गया है। आप स्वयं पता कर लीजिए, अधिकृत भूमि को वापस भी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आने लगा है। बस्तर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के दस गांवों में एक निजी इस्पात संयंत्र के लिए 1707 किसानों से अधिग्रहित 4200 एकड़ जमीन वापस की गई है। आप बताएं कि यह सही है या गलत? … (व्यवधान)

सभापति जी, आदिवासियों के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। आज यहां झारखंड के नेता भी हैं। वर्ष 2010 में झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड में जब आदिवासियों की जमीन छीनी गई थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, क्या उसके बारे में यहां झारखंड के नेता कुछ कहेंगे? झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी ने हजारों फर्जी केस दर्ज किए थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आने के बाद सारे केस वापस ले लिए। उन आदिवासियों के खिलाफ देश द्रोह के केस भी लगाए गए हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण दर में वृद्धि एवं खरीदी और उनकी आय बढ़ाने के लिए तेंदू पत्ता संग्रहण की राशि ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति माह किया गया है। इस फैसले के कारण वर्ष 2020 में 13.51 लाख परिवारों को 145.79 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। देवगुड़िया का विकास हुआ है। अर्जुन मुंडा जी जरूर जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कुल 18,95,10,527 रुपये राशि प्रावधानित थी, जब कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत 21,49,23,4000 रुपये राशि प्रावधानित है। इस प्रकार इस मद में पिछले चार वर्षों में 25421873 रुपये की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का विकास इस रफ्तार से हो रहा है। मैं पतालगढ़ी मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अर्जुन मुंडा जी को आज से नहीं शुरू से बंगाल के एक मुद्दे के लिए बार-बार गुहार लगा रहा हूं कि कुर्मी समाज को एसटी में दर्जा दिया जाए। आज तक गुहार लगाने के बाद कोई काम नहीं हुआ है।

However, the Kurmi (or Kudmi) are one of the most primitive tribes of India's old Chhotanagpur region as well as the State of West Bengal, especially in the Jangal Mahal region. The Kurmi/Kudmi were analysed as "Kudmis of Woods" or "Jhari Kurmi". In the British census of 1872, produced in support of the report on the census of Bengal, 1872, by H. Beverly, Inspector-General of Registration, Bengal describes, "Colonel Dalton mentions some Jhari Kurmis, or Kurmis of the woods, in Chhotanagpur, who are said to worship strange gods." "In the province of Chhotanagpur, the ancestors of the people now known as Kurmis appear to have obtained their footing among the aboriginal tribes at a very remote period," Edward T. Dalton writes in Descriptive Ethnology of Bengal, 1872.

Further, in 1911-1921, they were again classified as an "Aboriginal Tribe" by the Census of India 1911, Volume V, Bihar, Odisha, and Sikkim, Part I, which describes: "The Kurmi and Kudmi are two great cultivating castes of Bihar, but the latter is also the name of an aboriginal tribe in Chhotanagpur and the Orissa State..."

Then, in "Animist" in 1921, "Primitive" in 1931, produced with the support of the Census of India, 1931, Vol. VI, Bihar and Orissa, Part II, W.G. Lacey mentioned: "The All India Kurmi-Kshatriya Association took up the cudgels on behalf of the Kurmi Mahato, and stoutly affirmed that they and the Kurmi-Kshatriyas of the Western Provinces are the same, proofs of which, if necessary, can be produced before the Government.... "

In Volume-V (II) of his Linguistic Survey of India, Sir George A. Grierson writes that the Kurmis of Chhotanagpur "are an aboriginal tribe of Dravidian stock."

It is also mentionable that, as per the declaration of Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, in Parliament, and as per the Government of India Order, SRO 510 dated September 6, 1950, and 2/38/50 Public, dated October 5, 1950, "Only those who were in the list of primitive tribes in the Census Report of 1931" were to be inducted in the list of Scheduled Tribes."

They have been classified as Tribal Hindus in 1941 by anthropological survey in British India, "it is suffice to say that their caste in unison of language, religion, culture, rights, ritual, fairs and festivals still continues until today by its own customs, culture and tradition". हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप और कितने दिन इस बात को टालते रहेंगे? यह मानने में आपको क्या हर्ज है? The Minister of Tribal Affairs and the Government of India say that it is under process in dealing with discrepancies among the caste identity of the Kurmi Kudmi by demolishing the caste entity of language, religion, culture, customs and so on leaving no column in the forthcoming census 2021.

HON. CHAIRPERSON: Please sum up your speech.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सेंसस में इनको क्यों शामिल नहीं किया गया?

सर, शुरू के दिन से जब यह बिल इंट्रोड्यूज हुआ था, तब भी हमारा यह तर्क था कि एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। अर्जुन मुंडा जी शुरू में ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, वगैरह-वगैरह। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज आप रिजर्वेशन के जरिए एमएलए बने, एमएलए के चलते बाद में मुख्य मंत्री बने। आज आप रिजर्वेशन के

चलते एमपी बने, एमपी के चलते आप मंत्री बने। यह बीजेपी सरकार का दान है या कांग्रेस सरकार का, यह आप बताएं कि दान किसका है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी की पैरवी करते हैं, वह पार्टी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोलती, बल्कि रिजर्वेशन की खिलाफत करती है। आदिवासियों के लिए ये घड़ियाली आंसू निकालते हैं। आखिर अर्जुन मुंडा जी हिन्दुस्तान के गृह मंत्री क्यों नहीं बन सकते? हम चाहते हैं कि वह हमारे देश के गृह मंत्री बनें। क्या इनकी हिम्मत है? यह हमारे महामहिम को राष्ट्रपति बनाते हैं और बनाने के बाद दुनिया भर में प्रचार करते हैं कि देखो, हमने एसटी कम्यूनिटी से महामहिम बना दिया। महामहिम बनना कोई भीख नहीं, कोई दान नहीं है। क्या यह उनकी काबिलियत नहीं है? उनकी काबिलियत पर बात नहीं होती, बल्कि बात यह होती है कि हमने दान दिया है, भीख दी है। इस तरह के नजरिए को बदलना चाहिए। महोदय, मैं अर्जुन मुंडा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि between January and June 2022, over 60 tribal protestors in Dhinkia village of Jagatsinghpur district of Odisha had been arrested for their opposition to the steel plant. सही है या गलत, यह आप बताएं। Tribals are also disproportionately represented in prison comprising 13 per cent of convicts, and 10 per cent of undertrials, even though they make up only 8.7 per cent of total population of the country. क्या उनके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे? Crimes against Scheduled Tribes community climbed by 9.3 per cent to 8,272 cases in 2020. According to National Crime Records Bureau, in 2021, the figure increased by 6.4 per cent to 8,802 cases. The number of crimes against ST communities under SC/ST Prevention of Atrocities Act stands even higher at 9,142. Judicial pendency rate of cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes stood at 96.5 per cent. Violence against Adivasi women has also risen. Women from Scheduled Tribes community account for

15 per cent out of total cases of violence against women. यह मेरी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

A series of incidents are recorded in various parts of the country where the citizens from north-eastern region were harassed, assaulted and traumatised owing to their appearances. फॉरेस्ट एक्ट हमने किया कि नहीं किया? फॉरेस्ट एक्ट किस तरह से लागू किया, सब जानते हैं। क्या कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया? आपने क्या किया?

Among the twenty states for which the Ministry of Tribal Affairs provided data, the BJP ruled States like Bihar, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Goa were the worst performers. तब थे, अब नहीं। Bihar had distributed mere 122 titles to its people between March 2009. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इतनी जल्दबाजी करने से कैसे होगा? हर दिन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात होती है।

महोदय, मैं यह कहता हूँ कि केन्द्रीय बजट वर्ष 2021-22 को देखा जाए। The Government plans to establish 750 Ekalavya Model Residential Schools. However, there are serious questions raised regarding budget allocation for the same. The MoTA itself aims to open 462 schools by 2022. As noted by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment's report, in 2021, only 285 EMR Schools were functional while 588 were sanctioned. As of March, 2022, the number of functional schools stands at 375 when the number of sanctioned schools is 652. हम चाहते हैं कि ट्राइब सब-प्लान का जो पैसा आता है, उसे नॉन लैप्सेबल फंड में तब्दील किया जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?…

(व्यवधान) प्लानिंग कमीशन नहीं है तो इन लोगों को सोचना चाहिए। … (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्टैंडिंग कमेटी की माँग थी। … (व्यवधान) आप खुद बताइए कि आपने कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स छात्रों को विदेश भेजा है? The Modi Government's boost for privatisation is jeopardising reservation. Public sector units are a prominent source of employment, and are mandated to follow the reservation rule. But the rapid and ill-thought privatisation of these units will also lead to scuttling of reservation. आप रिजर्वेशन कहाँ दोगे और जिस पार्टी के लिए आप यहाँ लड़ रहे हैं, वह पार्टी खुद रिजर्वेशन का विरोध करती है। आप इस पार्टी की आइडियोलॉजी देखिए। आप ...* की राय सुनिए। … (व्यवधान) वे नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन चले। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, ये नाम ले रहे हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The name will be deleted from the record.

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : उनका कहना है कि रिजर्वेशन के बारे में नये सिरे से चर्चा करनी चाहिए। … (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आप…** बोल रहे हो। … (व्यवधान) आप…** क्यों बोल रहे हो? … (व्यवधान) ऐसा उन्होंने कब कहा? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में उन्होंने रिजर्वेशन के विषय में विरोध करते हुए यह कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। … (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

** Not recorded

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उन्होंने तो उल्टा यह कहा कि जब तक समाज में असमानता है तब तक रिजर्वेशन की परम्परा जारी रहेगी।… (व्यवधान) उन्होंने विज्ञान भवन में यह कहा है।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूँ।… (व्यवधान) हिन्दुस्तान में हजारों साल से आदिवासी हैं।… (व्यवधान) क्या उनमें से कोई एक शंकराचार्य है, जो आदिवासी हैं।… (व्यवधान) क्या कोई किसी बड़े मंदिर का पुजारी है, जो आदिवासी हो? … (व्यवधान) राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, क्या उसमें कोई आदिवासी है? … (व्यवधान) आप बताइए।… (व्यवधान) आदिवासी के लिए घड़ियाली आँसू बंद होने चाहिए।… (व्यवधान) हमारे आदिवासी भाई-बहनों के लिए सही दिशा में काम हो, जैसे निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिए हैं।… (व्यवधान) हम इस बिल का समर्थन करते हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rahul Shewale, your party has already exceeded the time limit. In spite of that you are being permitted to speak for one minute.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपनी पार्टी, बाला साहेब की शिवसेना, की ओर से ग्रुप लीडर के नाते आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सदस्य राजेन्द्र गावित ने जो भूमिका रखी, उस भूमिका से पार्टी असहमत है। हमारी पार्टी के प्रमुख महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस साहब की यही भूमिका है कि धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। धनगर समाज को आरक्षण मिलने के लिए राज्य सरकार पूरे धनगर समाज के पीछे है। हमारी यह भी भूमिका है कि आदिवासी समाज के आरक्षण के ऊपर कुछ असर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। धनगर समाज को न्याय देते हुए आदिवासी समाज के साथ भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। यह भूमिका राज्य सरकार की है। एक गलत मैसेज महाराष्ट्र में जा सकता था, इसके लिए मैं बाला साहेब की शिवसेना पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहा हूं।

धनगर समाज के लिए जो-जो प्रयास करने चाहिए, राज्य सरकार के माध्यम से वे सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं केंद्र सरकार से, माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि धनगर समाज को आरक्षण देने के लिए आप पूरा प्रयत्न कीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, अभी झारखंड का जिक्र आया, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज है। पत्थलगड़ी का जो आंदोलन था, वे कह रहे थे कि आदिवासी कहीं से आए। यदि इनके नेता कहते हैं कि वह आदिवासी हैं और आदिवासी यहां के परमानेंट बाशिंदे हैं, तो आदिवासी और वनवासी की परिभाषा पहले कांग्रेस को समझनी चाहिए। उनके नेता कुछ कह रहे हैं और उनके लीडर कुछ और कह रहे हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन यह था कि आदिवासी कहीं बाहर से आए और जब से बाहर से आए, तो उन्होंने पत्थर लगाया हुआ था।

दूसरा, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि मैं जिस इलाके से आता हूं, आज ही अखबार में आया है, मैं लगातार ये बातें कह रहा हूं, कि मेरे इलाके में वर्ष 1901 में आदिवासियों की पॉपुलेशन 35 प्रतिशत थी और मुसलमानों की पॉपुलेशन 9 परसेंट थी। आज वर्ष 2022 में आदिवासियों की पॉपुलेशन 24 परसेंट है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 35 परसेंट है। यह मैं पूरे देश को समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे हिन्दू, मुसलमान, आदिवासी से लेना-देना नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो आज का कानून कहता है कि यदि आप इस तरह से धर्म परिवर्तन करेंगे, यदि किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलेगी तो उसके रिजर्वेशन के ऊपर आपने कभी सोचा है, क्योंकि इस कारण से हमारे यहां डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। पूरे देश में डीलिमिटेशन हो गया और झारखंड में नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी एक आदिवासी की सीट लोक सभा की और तीन आदिवासी की सीट विधान सभा की घट रही है। आदिवासियों की पॉपुलेशन जो घट रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?

तीसरा, हमने किसी को भीख नहीं दी है। यह कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता और उनके बेटे का उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जूता उठाया, उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी और बिहार के मुख्य मंत्री ने भी। मैं वर्ष 1975-76 की बात कर रहा हूं। मैं आज की बात नहीं कर रहा

हूं। ये सारे फोटोग्राफ्स हैं और चाहे वह नारायण दत्त तिवारी हो या जगन्नाथ… (व्यवधान) आप लोगों को भीख देते हैं। आप लोगों को गरीब बनाते हैं। हमने उनको अधिकार दिया है और आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए। वह अधिकार हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है।… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे एसटी बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कुर्मियों को इसमें सम्मिलित कर दो। राजस्थान में इनकी सरकार है। वहां ये कहते हैं कि हमने गुर्जरों के बारे में पत्र भारत सरकार को भेजा है और भारत सरकार स्पष्ट करती है कि हमारे यहां कोई ऐसा पेंडिंग नहीं है, जिसे नौंवी अनुसूची में डालकर एसटी में शामिल न किया जाए। ये कांग्रेसी बता दें, ये … * बोल रहे हैं, इन्होंने वहां से पत्र भेजा या नहीं भेजा।… (व्यवधान) बाकी 56 परसेंट दूसरे पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार आदि हैं। क्या इन्हें अकेले कुर्मी चाहिए। राजस्थान में अगर इन्होंने नहीं किया तो 56 परसेंट लोग आने वाले समय में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं देंगे। विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम भी कमजोर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, जिससे ये अपनी बात न चला पाएं। राजेश पायलट गुर्जरों का भगवान था। उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट को मुख्य मंत्री नहीं बना रहे। राजस्थान के लिए मैं मांग करता हूँ कि तुंरत राजस्थान के गुर्जरों को नौंवी अनुसूची में डालकर एसटी में डाला जाए और गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्य मंत्री बनाया जाए, नहीं तो विपक्ष को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।… (व्यवधान)

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ को देने वाले, एक पृथक् राज्य बनाने वाले, आज पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सभी स्मरण करते हैं। वास्तव में जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे, किन्तु आज छत्तीसगढ़ विकसित हुआ और जब पूर्व में जो सरकार थी तो उन्होंने सब प्रकार से छत्तीसगढ़ की

---

* Not recorded

चिंता की तथा इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। वहां चाहे नई राजधानी हो, सरगुजा से बस्तर तक का विकास हो, वहां विवेकानन्द जी पर एयरपोर्ट का नाम पड़ा है और सरोवर में जो विवेकानंद जी का स्टैच्यू है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि स्वामी विवेकानन्द जी को जन्म के बाद प्रथम ध्यान कहीं लगा तो वह छत्तीसगढ़ में लगा। जब वे वनवासी क्षेत्र से गुजरते हुए चिल्फी घाटी से उतरकर रायपुर की ओर आ रहे थे तो वहां की भ्रमर मंजरियों को देखकर, वहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर, वहां के साल के विशाल वृक्षों को देखकर उनको यदि ध्यान लगा तो सबसे पहले चिल्फी घाटी में लगा।

महोदय, यह वीर नारायण सिंह की धरती है, जिन्होंने अन्याय के विरोध में और गरीबों को अन्न बाँटने के लिए विद्रोह कर दिया और जिसे रायपुर में फांसी दी गई, वह आदिवासी थे। अगर आदिवासी को न्याय कहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मिला।

महोदय, आज कांग्रेस के लोग वहां के राज्यपाल का अपमान करते हैं। राज्यपाल जो कि आदिवासी हैं। अधीर रंजन जी ने सब प्रकार से राष्ट्रपति जी के विषय में भी टिप्पणी की थी और बाद में सब प्रकार से अपनी बातों को वापस लिया था। यह आदिवासी की बात कहने वाले… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, एक मिनट रुकिये।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

… (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Sir. I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022.

17.45 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, the makers of the Constitution… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह संसद है।

… (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Sir, I rise to support the Bill. The makers of the Constitution laid emphasis on equality amongst the citizens.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको बैठे-बैठे बोलने की कोई तकलीफ है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हिना गावीत जी आप बोलिए।

… (व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: The Constitution of India provides for reservation to enable the disadvantaged groups to come on the same platform as that of the forward communities.

Sir, under Article 342, for a group to be included in the list of Scheduled Tribes, the Government of India has recommended broad parameters, namely, primitive traits, distinct culture, geographical isolation, distinct dialect, animism, subsistence economy, shyness of contact with outside world, and backwardness.

In various States, different communities are giving representations to the Government, stating that there are typing mistakes in the name of a particular Scheduled Tribe, and are requesting the Government to replace a single character in the name. They also request the Government to state them as synonym to a particular tribe which is there in the list of Scheduled Tribes. The representation and request of such communities though look very small – replacement of only one character in the name or to consider them synonym to

a particular Scheduled Tribe community – the said correction or replacement can seriously affect the constitutional rights and safeguards of the genuine Scheduled Tribes.

In response to such representations from different communities, various criteria have been laid down for the inclusion of any community in the list of Scheduled Tribes. In majority of the cases, it is seen that there are no social, cultural or marital relations between the demanding communities and the particular Scheduled Tribe. The communities which do not fulfil the criteria of Scheduled Tribes, should not be included in the list of Scheduled Tribes. Also, a particular entry in the list cannot be corrected by replacing a character, as expected by the demanding community, in a casual manner without ethnographic study of the demanding community.

Sir, I urge upon the Government that the inclusion of any tribe or group into the list of Scheduled Tribes should be purely based on the characteristics of that community, and no inclusion should be made under any political pressure.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सदन का समय माननीय मंत्री जी के जवाब और शून्य काल के लिस्टेड सदस्यों के बोलने तक बढ़ाए जाने से क्या सदन सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुमान सिंह दामोर। आपको एक मिनट बोलने का समय दिया जाता है।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं आज इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जनजातियों का गौरव जागा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके योगदान को पूरी तरह से दफना दिया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान बिरसा मुण्डा का स्मारक हो, टांटिया भील का स्मारक हो, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान के मानगढ़ में जा कर भील जनजाति का गौरव बढ़ाया है। इस प्रकार से जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है, वह आज तक किसी और सरकार ने नहीं दिया है। चाहे वह प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधान मंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जिनके कारण जनजातीय समाज लाभान्वित हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में पेसा एक्ट लागू किया। पेसा एक्ट लागू करने के कारण आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज जल, जंगल और जमीन का मालिक बना हुआ है। वे 12 जाति समूह, जिनको आज इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ।

मैं आपके माध्यम से एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसके ऊपर भी तत्काल रोक लगानी चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। यह मिलेट जनजातीय क्षेत्रों में ही पैदा होता है और उनका मुख्य भोजन है। आज पूरा विश्व मिलेट से परिचित होगा और इसका पूरा-पूरा फायदा जनजातीय समाज को मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में लगातार जनजातीय मामलों के विषय पर सार्थक चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में आज श्री दीपक बैज से लेकर माननीय सदस्य गुमान सिंह

दामोर जी तक कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव, सहमति और वैसी जनजातीय समस्याओं को सदन के समक्ष लाया है, जो अत्यन्त गम्भीर हैं और आज के दिन उस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक भी है। इस सदन ने उस पर बहुत गम्भीरता से विचार भी किया है। इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उनमें श्री दीपक बैज जी, श्री अरूण साव जी, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. जी, श्री पिनाकी मिश्रा जी, श्री सुनील कुमार सोनी जी, श्री पी. रविन्द्रनाथ जी, श्री प्रद्युत बोरदोलोई जी, हमारे विपक्षी दल के माननीय वरिष्ठ नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी सहित सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सुझाव दिए हैं और कुछ मुद्दों को हमारे सामने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो संदर्भ है, आज का जो बिल है, वह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के वैसे 12 समुदाय, जो सिनोनिमस तरीके से, जो कई सूची में पहले से सम्मिलित हैं, लेकिन अब वे पर्यायवाची शब्द के रूप में सम्मिलित हुए हैं और एक नए एन्ट्री के रूप में भी शामिल किए गए हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात रखता हूं। भारत सरकार ने जो मानक तय किए **हैं**, वे पूरे देश के सभी ऐसी जनजातीय समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से जो मोडैलिटीज़ तय किए गए हैं, उनके आधार पर आज छत्तीसगढ़ राज्य का यह मामला सदन में विचारार्थ लाया गया है। इसके पहले इस सदन में कर्नाटक से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, हिमाचल प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे जनजातीय मामले, जो काफी वर्षों से उलझे हुए थे, उन्हें किया गया। माननीय पिनाकी मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे कि वर्ष 1978 से राज्य सरकार ने टी.आर.आई. के थ्रू रिपोर्ट सब्मिट किया है, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। वर्ष 1978 से यह समस्या उलझी हुई है, यह सबकी जानकारी में है। तब भी सदन था, आज भी सदन है और आगे भी सदन रहेगा। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर यह सवाल हमारे सामने उभर रहा है कि वर्ष 1978 से ऐसी समस्याओं के

समाधान के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है। आज तो हम लगातार इस सदन में कई राज्यों के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके सामने पूरी सूची रखना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले विचाराधीन हैं, उन सारे मामलों पर भारत सरकार और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार किस तरीके से गम्भीरता से विचार कर रही है।

यदि विचार नहीं करते, तो मैंने कल इस सदन में कहा था कि वैसे समुदाय जिनकी आबादी मात्र पाँच हजार है। कर्नाटक के बेट्टा-कुरूबा को न्याय मिले, इसलिए इस सदन में यह विषय चर्चा में लाया गया। इस देश को भी समझना चाहिए कि पाँच हजार लोगों पर भी यह सदन और नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार विचार कर रही है।

महोदय, इसके पहले नरिकुरूबन का मामला हुआ, जिसकी आबादी 27 हजार है। इसी सदन में नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के माध्यम से माननीय सदस्यों और हम सब ने चर्चा में भाग लिया तथा उसको पारित कराया। आज उसी तरीके से छतीसगढ़ के मामले हो रहे हैं। इस प्रकार हमारी नीयत साफ है। देश भर की जनजातियों की जो समस्या है, उसका समधान होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है। यह एक मंत्रालय नहीं है। इसको ट्राइबल अफेयर्स (जनजातीय मामले) कहा गया। इस पर एक होलिस्टिक एप्रोच होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। पूरे देश में बिखरे हुए जनजातीय समाज जो अपनी संस्कृति के लिए विख्यात हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की जो जीवंतता है, उसको बरकरार रखना चाहिए।

महोदय, आजादी के कितने वर्षों के बाद वर्ष 1999 में एक मंत्रालय बना। अब मैं अधीर रंजन जी से कहूँगा कि वह खुद से गणना कर लें। वर्ष 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन जब भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब जनजातीय मामलों का मंत्रालय बनता है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था।…(व्यवधान) उन्हें भी थोड़ा ध्यानपूर्वक बैठ कर सुनना चाहिए। मैं डार्विन के आविष्कार को गलत नहीं मानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में जनजातीय समाज को न्याय देने के बारे में सोचने के लिए कभी लोगों को फुर्सत नहीं मिली। अभी हम बहुत लंबी किताबें पढ़ रहे थे। अभी माननीय अधीर रंजन जी ने बहुत लंबी कसीदे पढ़े हैं। मैं मानता हूं कि वह सही है। बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी गई हैं, जिसका उल्लेख किया गया कि वर्ष 1931 में वह सूची से बाहर हो गए। मैं मानता हूँ कि कोलोनियल रूल था। वर्ष 1931 में कोलोनियल ब्रिटिश रूल था, उस समय उनकी सूची से नाम हटा दिए गए। वर्ष 1941 में कोलोनियल रूल था, लेकिन वर्ष 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर आप न्याय देना चाहते तो क्या उस समय आप उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले। सभी समुदाय जो इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति है और उस इच्छाशक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन, यह मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। आपसे यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ। लंबे कालखंड तक पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इस देश में कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए और किसके नेतृत्व में यह देश चला?

18.00hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह लेजिस्लेशन आज भी कांप्रिहैंसिव नहीं है। आज भी पीसमिल तरीके से आ रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए।…(व्यवधान) मैं आपको भी गिना सकता हूं। … (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: अधीर रंजन जी**,** अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बोल चुके हैं। आप थोड़ा सुन लीजिए।…(व्यवधान) आपको और आपके दल को इसलिए लीडर ऑफ अपोजीशन का स्टेटस नहीं मिला। यह इसलिए नहीं मिला, क्योंकि आप सीमित हो गए हैं। आपकी सोच सीमित हो गई है।

आपने एक प्रदेश के बारे में विषय उठाया। पूरे देश में कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं, कितने लोगों की डिमांडंस हैं, अगर आप यह बात कहते तो मानी जाती। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है।…(व्यवधान) मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनके दल की हालत क्या है, मैं बताना चाहता हूं।

"गिरते, उबरते, डूबते धारे से कट गया,
दरिया सिमट के किनारे से कट गया।"

अब इनका किनारा भी नहीं बचा है।

माननीय अध्यक्ष : कागज बिना हाथ लिए बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: इनकी हालत यह है। इन्होंने हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में कहा। बंगाल के हों, झारखंड के हों या ओडिशा के हों, हम चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड की घटवाल जाति का मामला है, वह सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। सब जानते हैं कि मोडैलिटीज़ क्या हैं। लोकुर कमेटी को किसने बनाया था? उसे आपने बनाया था, लेकिन लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी आपने नहीं माना। लोकुर कमेटी, 1965 में बनने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन आपने क्यों नहीं किया? देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता और देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आपके पास इसका उत्तर है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया। मैंने मांग की है।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन की, क्या उसका आपके पास उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते, तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन, इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात कही। इन्होंने औपचारिकता निभाई, क्योंकि ये चाहते नहीं कि उनका काम हो। ये चाहते हैं कि उनके नाम पर हम राजनीति करें। …(व्यवधान) जनजाति समुदाय के बारे में बोलते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना। जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाई कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाई

कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है। बाई कैरेक्टर, बाई ट्रेड वे एंथ्रोपॉलिजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। ये सारी चीजें एक परम्परा के साथ बनाई हुई पद्धति है।

इसे उसकी जीवन-पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक मुनाफा लेना चाहते हैं। आपने साठ साल तो ले लिए, अब कितना लीजिएगा? आपकी दुर्गति हो गई। आप किनारे से कट गए। लोगों को आप इस तरह से भुलावे में रखकर कुछ नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार देगी। हमने सारे प्रपोजल्स के बारे में, एक-एक करके लगातार संवाद, संपर्क, रिपोर्ट बनाने का काम किया और हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का मंडुला का मामला है, कोंडा कुमारी का मामला है, वाल्मीकि गोया का मामला है, योबिन कम्युनिटी का मामला है, कार्बी का मामला है, मटोक, मोरन, ताई अहोम का मामला है, अमरी कार्बी का मामला है, टी ट्राइब्स जो वर्षों से वहां रहते हैं, उनका मामला है।

लेकिन आपको इन सारी बातों पर चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। लुलूंग तीवा, थांगल, सारानिया, माली, मल्लाह, निषाद, बिन्द, गंगोटा, नोनिया, खरिया, सौंरा-सौंरा, भुंइया-भुंइया, धनुहार- धनुहार, धनगर के मामले हैं। क्या आप समझते हैं कि बिना रिसर्च के ही हम इसे सदन में लेकर आएं? ऐसी पद्धति नहीं है और यह उनको भी मालूम है। फिर वह क्यों इस तरीके से बातें कहकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि पूरे देश की समस्या का समाधान कैसे होगा, पूरे देश की जनजातीय समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा, यह अप्रोच आपका नहीं है, इसी अप्रोच के कारण देश की जनता ने आपको ...* बताने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से किसन, नगेशिया, कड़ाकू, भूंइयर-भूंइयर, देवनागरी, कोड़ा, बिरजिया, रजवाड़, सोनझरिया, सोनझरा, पवरा, राठी कोली और राठवा कोली के कई मामले हैं। क्या मैं पूरी सूची आपको पढ़ कर सुनाऊं? पूरे देश के मामले पर यह सरकार गंभीरता से विचार कर

* Expunged as ordered by the Chair.

रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने क्या किया? आपने देश में सिर्फ राजनीति की, आप जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, वर्ष 1957 में कांग्रेस की सरकार ने सभी आदिवासियों को नक्सलाइट बताकर मारने का काम किया। आप इतिहास देख लीजिए, आपने उस समय सारे लोगों को नक्सलाइट बनाने का काम किया। सिद्धार्थ शंकर राय के माध्यम से आपने इस देश में क्या किया? उग्रवादी कहकर सारे लोगों को मारने का काम किया। आपने इमर्जेंसी के नाम से इस देश को कहां धकेलने का काम किया?

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह सब पुराना हो चुका है।

श्री अर्जुन मुंडा: पुरानी बात बोलने से आपको कठिनाई होती है**,** आपको याद दिलाने से कठिनाई होती है। पुरानी बात कहने से आपको कठिनाई होती है।

यह सदन है**,** यहां गंभीरता से विचार कीजिए और गंभीरता से विचार करते हुए समाधान का रास्ता ढूंढिए। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से जनजातीय समाज को देखने की कोशिश इस देश के लिए … (व्यवधान) आपको तो लोगों ने ...[*] ही बता दिया। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : तुम्हारा ...* क्या है? एक आदमी को ...* दिखाता है?

माननीय अध्यक्ष: ...[**] शब्द रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह पार्टी की बात कर रहे हैं**,** मंत्री की बात नहीं कह रहे हैं**,** आपके एमपी की बात नहीं कर रहे हैं**,** इस देश की जनता की बात कर रहे हैं।

श्री अर्जुन मुंडा: कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को लूटने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष: औकात शब्द मत बोलिए।

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय**,** इनको सुनने की क्षमता नहीं है।

तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी।

---

[*] Expunged as ordered by the Chair.

[**] Not recorded

इन्होंने जो बीज बोया है, उसी की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए मित्रो, माननीय सदस्य, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। … (व्यवधान) बड़ा चिढ़ रहे हैं। … (व्यवधान) देश के आदरणीय प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है, उन्होंने कहा था – अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज यह हकीकत यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रही है। जब इस देश में जी-20 की चर्चा चल रही है। देश जी-20 का आयोजन आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक और विकास की राजनीति से अब नए भारत का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को न्याय मिल रहा है। देश की संप्रुभता के मामले में हमेशा कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई है और आज भी उससे बाज नहीं आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, देश को संगठित करने का यह स्वर इसी सदन से देश और दुनिया को सुनाने का काम यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। महोदय, आज छत्तीसगढ़ से संबंधित माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं और जिन समुदायों को आज न्याय मिल रहा है, मैं सदन में उनका आभार प्रकट करता हूं। … (व्यवधान) आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के जो मामले हैं, आपने कहा नौ हैं, नौ नहीं, हम उसके आगे जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, लोगों को फिर थोड़ा बुरा लग सकता है, 75 पीवीटीजी यानी फेवरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। इनका शासन 60 साल तक रहा, नौ इसमें से लिस्टेड नहीं थे, ट्राइबल की लिस्ट में ही नहीं हैं, उनको भी न्याय देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो मोडेलिटीज बनी, उसके आधार पर रिपोर्ट सदन में कैसे आए, उसकी कोशिश हो रही है। महोदय, लगातार संवेदनशील सरकार, विकासोन्मुखी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होकर नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित या जाए।

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय अध्यक्ष जी**,** मैं प्रस्ताव* करता हूं**:**

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* Moved with the recommendation of the President.

माननीय अध्यक्ष : मैं लिस्टेड शून्य काल चला रहा हूं, लेकिन एक मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं मिलेगा। माइक वाले एक मिनट में ही बंद कर देंगे। आप आपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर दें।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Sir. The declaration of Ecologically Sensitive Area and Ecologically Sensitive Zones is adversely affecting the livelihood of the farming community every time.

Our State Governments are including the people-inhabited areas to Ecologically Sensitive Zones. Very recently, the Kerala Government has done that. In my constituency, more than 20 villages including Kanjikuzhi, Idukki, Kumily, and Kuttampuzha have been included in Ecologically Sensitive Zones. It should be re-corrected and avoided by a physical verification. That is my first demand.

My second demand is regarding ESA declaration. It is time for the final notification. The process had been started in 2014 and the first draft notification came out on 2014. The ESA in Kerala is spread over an area of 9,993.7 square kilometers. It excluded the people-inhabited areas but subsequently four other draft notifications came out. The final notification is delayed. If the final notification is delayed unnecessarily, the Supreme Court may intervene in this case like it did in the buffer zone case. If it is coming and adversely affecting the livelihood of people, we cannot do anything. That is why, my request to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is this. We should have a final notification by excluding the people-inhabited areas. The Government of

India has already appointed a committee here. That Committee is still functioning but the final notification should come out by excluding the people-inhabited areas in case of ESA. That is my demand.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Sir. There are more than one lakh Sri Lankan Tamil refugees in the State of Tamil Nadu. The Citizenship Act, which was amended earlier, has been very unjust to these people because it restricts citizenship only to people from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh and the total numbers will be only 2000.

Here, we are talking about one lakh people. Several of them are staying here since 1983. They came here during the Black July when several thousands of the Tamils were killed. They were displaced forcefully where they had to run out of fear for loss of their life and limb. After coming here and staying for 40 years, now, they have families and children. Even their children are not being provided with citizenship and because of that those children are deprived of even basic education. They cannot become doctors because special educational provisions are not provided for them.

So, I urge upon this Government to ensure that an amendment is brought to the Citizenship Act to include the Sri Lankan Tamils so that they can have a peaceful life over here.

श्री रामदास तडस (वर्धा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । सदन के माध्यम से मैं माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सभी 23 आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रात: पाँच बजकर पचपन मिनट से रात को ग्यारह बजकर बीस मिनट तक मराठी भाषा के अंतर्गत तीनों प्रसारण सभाएं शुरू थीं, किन्तु 1 जुलाई, 2022 को प्रसार भारती की ओर से दिए गए निर्देश के

तहत मराठी भाषा का स्थानीय प्रसारण सिर्फ पाँच घंटे तक सीमित कर दिया है। प्रसार भारती द्वारा स्थानिक भाषा में की गई कपात केवल महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के लिए मर्यादित है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कर्नाटक और गुजरात के प्रसारण हेतु कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में रहने वाले मराठी भाषा के अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्व की तरह सभी 23 आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रात: पाँच बजकर पचपन मिनट से रात को ग्यारह बजकर बीस मिनट तक मराठी भाषा के अंतर्गत तीनों प्रसारण सभाएं शुरू कराने की कृपा करें।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं अपने बिहार राज्य की उस जहरीली शराब कांड की दर्दनाक और खौफनाक घटना की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसने सैंकड़ों गरीब परिवार को अनाथ कर दिया। वहां के मुख्य मंत्री और उसका पूरा प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपाने में व्यस्त है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार को अवलिम्ब बर्खास्त किया जाना चाहिए। … (व्यवधान) बिहार के मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से जहरीली शराब कांड में संवेदनहीनता की परकाष्ठा पार करते हुए कहा कि 'जो पिएगा, वह मरेगा', वह बहुत ही शर्मनाक बयान है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि भारत सरकार एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर इसकी जांच कराए और सभी मृतक परिवारों को मुआवजा दिया जाए।…(व्यवधान)

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित विभाग का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' में जो लागत दी गई है, आज के महंगाई के दौर में वह लागत बहुत कम है। आज उस लागत में आवास बनाना संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में दैनिक मजदूरी प्रति मजदूर 400 से 500 रुपये है। बालू, मौरंग, सरिया, सीमेंट सब कुछ

महंगा है। ईंट का सरकारी रेट 12,000 रुपये है। उन्हें सरकार से 18,000 से 20,000 रुपये मिलते हैं।

महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' में जो 1,20,000 रुपये मिलते हैं, उसको बढ़ाकर 2,50,000 रुपये किए जाएं।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती जिला है। इस जिले को हवाई मार्ग से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। यहां से देश और प्रदेश की राजधानी 500 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीगंगानगर में लालगढ़ हवाई पट्टी मौजूद है। पूर्व में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हवाई पट्टी मानक स्तर पर नहीं होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट का बहुत अधिक महत्व है। यहां पूर्व निर्मित हवाई पट्टी 1,200 मीटर है, जिसको बढ़ाकर 2,500 मीटर करने और लगभग 60 फीट चौड़ी करने की अत्यंत आवश्यकता है। यहां अन्य संसाधनों को भी स्थापित करने की जरूरत है।

महोदय, अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार ने वर्तमान में गाजियाबाद के निकट हिंडन में 'उड़ान योजना' के तहत एक एमओयू किया है, तो उसको न किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर को हवाई मार्ग से जोड़ने, एयरपोर्ट पर तकनीकी सुविधाएं देने, हवाई पट्टी और मानक मापदंडों के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली स्थापित करते हुए जल्द से जल्द हवाई क्षेत्र से जोड़ा जाए।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले चिमूर तहसील में मुरपार खान डब्ल्यूसीएल जनवरी, 2003 से स्थित है। ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नामित कोर और बफर जोन के बाहर आता है तथा खदान में पहले से ही पर्यावरण और वन की मंजूरी एमओईएफ और सीसी से पूरी तरह सुरक्षित है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि टीएटीआर के बफर जोन के आस-

पास इको सेंसेटिव जोन के संबंध में एमओईएफ और सीसी भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.09.2019 को जारी करने के साथ ये खान एसईजेड के अंदर आ गई है। उपयुक्त अधिसूचना खंड 4.1 के अनुसार सभी नए और मौजूदा खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से एसईजेड के अंदर प्रतिबंधित किया गया है।…(व्यवधान)

महोदय, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की मुरपार खदान में भूमिगत खनन कार्य जारी रखने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के इकोसेंसटिव के संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.09.2019 के कार्यान्वयन में छूट दिए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

The roadmap for development of cruise tourism has been made jointly by the Ministry of Tourism and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The passenger traffic which was 0.2 million in 2016 is projected to increase to four million in 2041. It would also lead to creation of 2,50,000 jobs. There is a need to make cruise tourism more competitive by improving the infrastructure and by developing and promoting tourist destinations and projects.

In my Tirupati Parliamentary Constituency, *Dugarajapatnam area has a lot of potential. It plays a major role in development of cruise tourism in India. So, there is a need for some enhancements such as development of appropriate infrastructure for handling cruise vessels and also facilitating ease of movement of passengers.*

Adding Dugarajapatnam area in cruise line destination will enable tourists to have a unique and memorable experience in Tirupati district.

I request, through you, Sir, the hon. Minister of Tourism to develop infrastructure facilities for promotion of cruise tourism at Dugarajapatnam Port. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: सबको एक मिनट का समय है।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, the Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education went up to 27.1 per cent in 2019-20 from 26.3 per cent in 2018-19 as per the All-India Survey of Higher Education 2019-20. But the GER of SC/ST remains much lower than the national GER, despite reservations in public institutions. Further, between 2016 and 2020, 60 per cent of the dropout students belonging to SC/ST communities are from IITs, NITs, IISERs, and from other Centrally-Funded Technical Institutions.

As per the Government estimates, over 63 per cent of the undergraduate dropouts at the top seven IITs in the last five years are from the reserved categories with almost 40 per cent being from the SC/ST communities.

Even the proportion of SC/ST dropouts is very high compared to their admissions to the Institutes. This suggests that those who drop out are disproportionately affected in certain aspects, and maybe, they experience increased pressure and discrimination at these institutes.

Sir, through you, I would request the Ministry of Education to take requisite measures to rectify such disproportionate trends in higher education among the reserved category students. Thank you.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्वाद। मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में किशनगढ़ की मार्बल की मंडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। वह विश्वविख्यात मंडी है।

अध्यक्ष जी, इसकी आपको भी जानकारी है। वह मार्बल और ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मंडी है। वहां पर रेलवे का एक कंटेनर डिपो भी स्थापित है। किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र से मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद का गुजरात के कांडला एवं मून्दडा बन्दरगाह से प्रतिदिन कई देशों में लगभग 40 से 50 कन्टेनर्स का आयात-निर्यात हो रहा है। इसके लिए वहां पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की अति आवश्यकता है।

यहां के निर्यातकों एवं आयातकों को मजबूरीवश कस्टम क्लीयरेंस के लिए या तो जयपुर जाना पड़ता है, अन्यथा उक्त बन्दरगाहों पर जाना पड़ता है, जिससे काफी असुविधा होती है तथा उससे विलम्ब तथा अनावश्यक आर्थिक भार भी वहन करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि किशनगढ़, अजमेर से गत वर्ष दिल्ली-मुम्बई रेलमार्ग पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसीसी) योजना के तहत न्यू किशनगढ़ रेलवे स्टेशन का संचालन भी प्रारम्भ हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि किशनगढ़, अजमेर में एक नवीन कस्टम क्लीयरेंस कार्यालय की स्थापना चालू बजट सत्र 2022-23 में करवाने की स्वीकृति अनुग्रहित कराएं।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, there is a growing conflict between the Government, that is, the Executive and the higher judiciary. This has been triggered by the Law Minister’s sharp criticism of the collegium system of appointment of judges.

The Law Minister’s statements are disturbing and inappropriate because they relate to the way the court should function. He has suggested that judges should not have too many vacations. He has said this because he does not have any idea of the workload and the pressure judges undergo, which also impact their health. The Law Minister also said that the SC should not hear bail pleas and frivolous PILs. Not hearing bail pleas will be taking away the Fundamental Rights enshrined in article 21.

माननीय अध्यक्ष : आप तो अपनी बात बोलिए। आप सीनियर व्यक्ति हैं। आप अपना विषय रख दीजिए। इनका स्टेटमेंट मत पढिए।

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने विषय रख दिया है। मैं सिर्फ एक मिनट ही बोलूंगा।

If they take away the PIL facility, which gives justice to the common people, it will be taking away the facility that was given by Justice P.N. Bhagwati. We think we should not allow the Government to be the final arbiter on the appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts. Making such statements by the Government through the Law Minister does not augur well. There can be a difference of opinion but to comment on the functioning of the Supreme Court is unacceptable. I would like the Government to find a solution to these impasses that are developing.

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (**कैराना**): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र कैराना यमुना के किनारे पड़ता है। उसके कुछ गांव हरियाणा की साइड पड़ते हैं। सोनदेबास और ग्यासुद्दीनपुर इस बात को लेकर बहुत बुरी तरह प्रभावित रहते हैं सहारनपुर के हिस्से में उनका आवागमन बड़ा कठिन रहता है। उनको लम्बी दूरी तय करके, घूमकर आना पड़ता है। बहुत लम्बे समय से एक मांग चली आ रही है कि वहां यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण हो जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि वहां अतिशीघ्र एक पुल का निर्माण कर दिया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। धन्यवाद।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, मैं आपका बहुत शक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया।

सर, मैं असम से आता हूं, इस वक्त हमारे इलाके में सरकार की तरफ से रोजाना एविक्शन चल रहा है। इस सर्दी में बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। पहले से उनको कोई नोटिस नहीं देते हैं। मैंने एक हफ्ता पहले भी पार्लियामेंट में यह विषय उठाया था कि कम से कम सर्दियों में एविक्शन

न किया जाए। इस तरीके से अभी पूरे असम में तकरीबन 5000 फैमिलीज को एविक्शन करके छोड़ दिया गया है, वे जहां चाहे वहां रहें, नदियों के पास रहें। सबसे बड़ा मसला असम में यह आता है कि हर साल वहां फ्लड आता है और इरोज़न होता है, जिससे ये लोग डिसप्लेस हो जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं। हमारे यहां धुबड़ी, लामडिंग, बारपेटा, करीमगंज, सलीमपुर आदि सभी जगहों पर एनक्रोचमेंट का मामला चल रहा है। इसको इमिडिएटली बन्द किया जाए। कम से कम सर्दियों के लिए रोक दिया जाए और उसके बाद यदि कोई गैरकानूनी है तो उसके साथ सरकार जो करना चाहे, हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई सिर्फ एक कम्यूनिटी को देख की जा रही है। 5000 फैमिलीज में से ऐसी दो फैमिलीज भी नहीं बता सकते हैं, जो किसी दूसरी कम्यूनिटी की हों। इसे बन्द करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گُزار ہوں کہ آپ نے مجھے زیرو آورمیں بولنے کا موقع دیا۔

سر، میں آسام سے آتا ہوں، اس وقت ہمارے علاقے میں سرکار کی طرف سے روزانہ ایوِکشن چل رہا ہے، اس سردی میں بچوں کو بِلکھتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے سے انکو کوئی نوٹس نہیں دیتے ہیں۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی پارلیمینٹ میں یہ مُدعہ اُٹھایا تھا کہ کم سے کم سردیوں میں یہ ایوِکشن نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے ابھی پورے آسام میں تقریباً 5000 فیملی کو ایوِکشن کرکے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہیں وہاں رہیں، ندیوں کے پاس رہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آسام میں یہ آتا ہے کہ ہر سال وہاں فلڈ آتا ہے اور ایروزن ہوتا ہے، جس سے یہ لوگ ڈِسپلیس ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بنگلا دیشی ہیں۔ ہمارے یہاں دھُبری، لامڈنگ، بارپیٹا، کریم گنج سلیم پور وغیرہ سبھی جگہوں پر اینکروچمینٹ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کو فوراً بند کیا جائے۔ کم سے کم سردیوں کے لئے روک دیا جائے، اوراس کے بعد اگر کوئی غیر

قانونی ہے تو اس کے ساتھ سرکار جو کرنا چاہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اینکروچمینٹ ہٹانے کی کاروائی صرف ایک کمیونیٹی کو دیکھ کر کی جارہی ہے۔ 5000 فیملیز میں سے ایسی دو فیملیز بھی نہیں بتا سکتے ہیں، جو کسی دوسری کمیونیٹی کی ہوں۔ اسے بند کرنا چاہئیے۔ بہت بہت شکریہ]

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): अध्यक्ष जी, मैं ओडिशा राज्य से आती हूं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि यह प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है, करीबन 22 प्रतिशत से अधिक लोक संख्या आदिवासी समुदाय की है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे छोटे-छोटे तीन निवेदन हैं। तीन जनजातियों के विषय में मेरी प्रार्थना है – प्रथम, सौरा, सबरा और सहरा एक जनजाति है, जो अधिसूचित जनजाति की केन्द्रीय सरकार की तालिका में 59वें स्थान पर उल्लिखित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 5 लाख 34 हजार 751 है। इसी सन्दर्भ में मेरा कहना है कि सारा, सरा, जो सौरा, सवरा और सहरा के पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं, उन्हें भी क्रम संख्या 59 पर रखा जाए।

इसके साथ ही धुरवा जनजातीय समुदाय और कन्धकुमार जनजातीय समुदाय के लिए भी मैं अनुरोध करूंगी इन्हें केन्द्रीय तालिका में अंतर्भुक्त किया जाए। धन्यवाद।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I want to bring to the notice of the House and the Union Government that a number of Sikh prisoners are languishing in jails for more than 25 years, though the convicts in Rajiv Gandhi assassination case and Bilkis Bano’s case have been released.

These prisoners are – Davinder Pal Singh Bhullar , who is in jail for 28 years. Gurdeep Singh Khera is in jail for 32 years; Balwant Singh is in jail for 27 years; Jagtar Singh Hawara is in jail for 27 years; Lakhvinder Singh Lakha is in jail for 27 years; Shamshwer Singh is in jail for 27 years Paramjit Singh Bheora

is in jail for 35 years; Jagtar Singh Tara is in jail for 27 years, and Gurmeet Singh is in jail for 27 years.

Sir, the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (STPC) is a statutory body, whose elections have not been held for the last 12 years. I will be grateful to you, Mr. Speaker, Sir, and the Union Home Minister if issues related to the prisoners and the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee are dealt with urgently. Thank you.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, NH 275, the expressway between Bengaluru and Mysuru, is a dream project conceived by the hon. Prime Minister himself. Under Shri Nitin Gadkari's able guidance, it aims to reduce the commute time between Bengaluru and Mysuru. Its maximum stretch passes through my constituency.

However, the recent unprecedented heavy rainfall in Karnataka and in my constituency of Mandya and surrounding districts have exposed the severe shortcomings. The unscientific method and approach adopted by the NHAI, without taking into consideration the specifications laid down by the Irrigation Department regarding storm water drainage etc., has resulted in thousands of hectares of farmland being submerged, loss and damage to lives and agriculture.

A severe problem is also being faced by farmers in my region due to lack of proper underpasses, as the exits and the entries which existed earlier have now been disregarded totally, and the local concerns have not been taken into consideration by the NHAI.

The poor quality of service roads makes it impossible for farmers on bullock-carts, with heavy goods being transported, to navigate these roads. It is also causing a lot of problems to school children trying to cross these waterlogged underpasses during the rains.

Sir, I request the Government, through you, to urgently intervene in this matter and take a review of the existing DPR and provide effective solutions to access roads, drainages and crossings etc. with a proper public consultation mechanism in place.

Thank you.

*__SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA):__ Respected Speaker Sir, I am the representative of Bardhaman Purba constituency. This area is entirely based on agriculture. There is no industry. The Krishi Sinchayee Yojana has been envisaged for the development of the agriculture sector. For this purpose, our Agriculture Minister has already met hon. Union Agriculture Minister and has put forth certain proposals in the interest of the farm sector. Therefore through you Sir, I request hon. Agriculture Minister and also hon. Jalshakti Minister to look into the proposals and accept them for the betterment of the agricultural scenario in my constituency. Thank you for allowing me to speak.

श्री संजय सेठ (राँची) : अध्यक्ष जी**,** धन्यवाद। पत्रकारिता और जनसंचार वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पत्रकारिता और जनसंचार की

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

पढ़ाई कर रहे हैं। प्रति वर्ष देश के विभिन्न संस्थानों से लगभग 50 हजार से अधिक विद्यार्थी पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में पत्रकारिता के विद्यार्थी पत्रकारिता, जनसम्पर्क, विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम करते हैं।

महोदय, सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि यूपीएससी में पत्रकारिता के विषय को शामिल किया जाए। यह विषय सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने वाला विषय है। यदि यूपीएससी में पत्रकारिता और जनसंचार को शामिल किया जाएगा तो बड़ी संख्या में पत्रकारिता और जनसंचार के लोग बेहतर समन्वय का काम कर सकेंगे। वे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के विकास का खाका खींचने और उसे अमलीजामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि पत्रकारिता और जनसंचार जैसे महत्वपूर्ण विषय को यूपीएससी की परीक्षा में शामिल किया जाए, ताकि पत्रकारिता से जुड़े युवा भी यूपीएससी में अपनी किस्मत आजमा सकें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। देश भर में लगभग डेढ़ लाख ईंट भट्ठे संचालित किए जाते हैं, जिनमें करोड़ों कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ग्रामीण और सीजनल कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित यह उद्योग कोरोना काल तथा कोयले की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण पहले से ही संकट से गुजर रहा है और बंदी के कगार पर है। जीएसटी की दरें बढ़ा दिए जाने से इस उद्योग पर संकट और भी अधिक गहरा गया है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्ठों में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर 1 अप्रैल, 2022 से बिना आईटीसी क्लेम के 1 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट तथा आईटीसी क्लेम करने पर 5 परसेंट से बढ़ाकर 12 परसेंट कर दी गई है। इतना ही नहीं, निर्माण क्षेत्र में 40 लाख रुपये तक वार्षिक टर्न ओवर का व्यवसाय जीएसटी में करमुक्त है, परंतु ईंट निर्माताओं के लिए कुछ राज्यों में 20 लाख रुपये तथा कुछ राज्यों में 10 लाख रुपये के वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करने वाले तथा निर्माण के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ईंटों को

बनाने वाले भट्ठों को बचाने के लिए जीएसटी की पुरानी दरों को लागू करने तथा ईंट निर्माताओं के लिए भी निर्माण क्षेत्र की भांति 40 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त करने का कष्ट करें।

[*]**SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI):** Hon Speaker Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to raise an important issue. Train No 16339 is operated between Nagercoil and Mumbai. Train No 16340 is operated between Mumbai and Nagercoil. These two trains are operated four times a week. I request that the frequency of these two trains (1339/16340) should be increased to 5 times a week. Tirukkural Express between Kanniyakumari and Hazrat Nizamuddin (12641/12642) should be made to run four times a week instead of being operated two times now. I request that Tejas Express run between Chennai and Madurai (Train No 22671/22672) should be extended upto Tirunelveli. Train Nos 16791 and 16792 between Tirunelveli and Palakkad had stoppages at Keezhakkadayam and Pavoorchatram before corona pandemic. I request that the stoppages for these trains at Keezhakkadayam and Pavoorchatram should be ensured as before. Moreover I urge upon the Hon Union Railway Minister that all the trains operated from Nagercoil *via* Panakudi, Valliyur, and Nanguneri should have stoppages ate Keezhakkadayam and Pavoorchatram benefitting the people of these areas. Thank you.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Sir, thank you for allowing me to request the Union Government to de-notify the forest land cultivated by

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

thousands of families, who were displaced during the Sharavathi hydro power project.

The displaced families were just asked to cultivate the forest lands in 31 different forest areas in the Malanadu region in Shimoga district. A majority of farmers who belong to Idiga community, other backward and SC/ST communities are suffering from this problem. But the names of the farmers have not been entered in the revenue records since 1959. Before the existing Forest Conservation Act, 1980, it was to be done and the land was to be de-notified, but it was not done due to the gross negligence of the then Government. As a result, these farmers are not getting any benefits from PM Kisan Yojana or any schemes of the Government.

Therefore, now the Union Government may please seek a detailed proposal from the Government of Karnataka and take appropriate measures to ensure the land rights and save livelihoods of those farmers.

My humble submission to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi – who is the champion of transforming India and who is taking every step to ensure a happy and safe life for the 139 crores of people, and also to the hon. Minister for Environment and Forest is to take immediate steps to issue de-notification to grant forest lands to all the displaced families of Sharavathi Hydro power project.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आज देश के किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। मुझे यह लग रहा है कि बिहार के साथ-साथ कई प्रदेशों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन भी हो रहे हैं।

महोदय, अभी रबी की फसल का मौसम है। इस मौसम में अत्यधिक यूरिया, डीएपी और पोटाश की आवश्यकता होती है। हमारी उत्पादकता भी इन्हीं पर निर्भर करती है। अत: खाद की कमी से देश के किसानों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं। अभी रबी का सीजन है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मांग रख दें।

… (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार : मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के साथ-साथ कोसी और सीमांचल इलाके में मक्के की खेती होती है और शेष बिहार में गेहूं और केले की खेती होती है। जब फसल लग जाती है, तो 20-25 दिनों के बाद उसमें यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। आज भयावह स्थिति है। यूरिया नहीं मिल रहा है। आप प्रत्येक दिन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो पाएंगे कि किसान कतार में खड़े हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए सप्लिमेंट्री ग्रांट में दो लाख रुपए फिर दिया गया है।

… (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार : बिहार को खाद का 100 फीसदी कोटा उपलब्ध करा दिया जाए। हमारे यहां यूरिया के लिए किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है।

इसलिए आपके माध्यम से उर्वरक मंत्री जी से मेरी विनती है कि बिहार को खाद उपलब्ध करा दिया जाए।

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर): अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लोग आशियाने की तलाश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बिल्डर-बायर समस्या की जाल में फंस गए हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि मध्यमवर्गीय परिवार अपने जीवन की कमाई वहां पर इनवेस्ट कर चुके हैं। 25 प्रतिशत बिल्डर्स जेल जा चुके हैं या जेल जाने के कगार पर हैं। बायर्स की समस्या है कि आज वे बैंक्स का ब्याज भी दे रहे हैं और घर का किराया भी दे रहे हैं। उनको फ्लैट्स का पजेशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने 'रेरा' का गठन किया है। लेकिन इसके माध्यम से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा

है। इससे बहुत सारे परिवार बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। सरकार इस विषय में उचित कार्रवाई करके उन बायर्स को बचाए, उनके हितों का संरक्षण करे।

मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Adv. Dean Kuriakose	Shri Malook Nagar
Shri Ramdas Tadas	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Gopal Jee Thakur	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravindra Kushawaha	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Nihal Chand Chouhan	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ashok Mahadeorao Nete	Shri Malook Nagar
Shri Maddila Gurumoorthy	Shri Malook Nagar
Shri Bhagirath Choudhary	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Pradeep Kumar Choudhary	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Aparajita Sarangi	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sumalatha Ambareesh	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Sunil Kumar Mondal	Shri Malook Nagar
Shrimati Chinta Anuradha	Shri Malook Nagar
Shri Sanjay Seth	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Rajendra Agrawal	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri.B.Y. Raghavendra	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Mahesh Sharma	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों को कल शून्यकाल में मौका दिए जाने का प्रयास किया जाएगा।

सभा की कार्यवाही कल गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.46 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 22, 2022/ Paush 01, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)